अष्टम माला, खंड 45 अंक 24

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 1988
25 अग्रहायण, 1910 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

## बारहवां सत्र

## (आठवीं लोक सभा)

(खंड 45 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 1988/25 अग्रहायण, 1910 (शक)

का

**शुद्धि-पत्र**

| पृष्ठ | पंक्ति | शुद्धि |
|---|---|---|
| विषय सूची (1) | नीचे से 9 | "पटनासक" के स्थान पर "पटनायक" पढ़िये। |
| 18 | 2 | "एल०टी०7136/88" के स्थान पर "एल०टी०7126/88" पढ़िये । |
| 26 | नीचे से 12 | शीर्षक में "प्रदेश" के स्थान पर "प्रवेश" पढ़िये । |
| 68 | नीचे से 8 | "महेश्वर राव" के स्थान पर "महेश्वर राव" पढ़िये । |

# विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 45, बारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

अंक 24, शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 1988/25 अग्रहायण, 1910 (शक)

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| सभापटल पर रखे गए पत्र | 7—18 |
| बागान श्रम (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित | 18 |
| नियम 377 के अधीन मामले | 19—27 |
| (एक) पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए पृथक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता<br>श्री एम० एल० भिकराम | 19 |
| (दो) बरालगोन किटोन के सम्बन्ध में औषध कम्पनियों से कम धनराशि की वसूली किए जाने की जांच किए जाने की आवश्यकता<br>श्री सन्तोष कुमार सिंह | 19 |
| (तीन) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि पत्रकारों और गैर-पत्रकारों सम्बन्धी वेतन बोर्ड का प्रतिवेदन नियत तिथि को प्रस्तुत किया जाए<br>श्री हरीश रावत | 19 |
| (चार) बिहार में हाल के भूकम्प से प्रभावित हुए लोगों को शीघ्र पर्याप्त सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता<br>श्री राम भगत पासवान | 20 |
| (पांच) पारादीप पत्तन पर तेल टर्मिनल चालू किए जाने और बालासोर में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता<br>श्रीमती जयन्ती पटनायक | 20 |
| (छः) टूथपेस्टों में फ्लोराइड के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की आवश्यकता<br>डा० जी० विजय रामा राव | 21 |
| (सात) न्यायिक प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता<br>प्रो० सैफुद्दीन सोज | 21 |
| (आठ) गुजरात में मछुआरों के घरों को ज्वारीय तरंगों से बचाए जाने के लिए समुद्रतट पर दीवार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता<br>श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि | 22 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| (नौ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से किसानों को ऋण दिया जाना पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री एस० जयपाल रेड्डी | 22 |
| (दस) पंजाब में "नम्बरदारों" के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया | 23 |
| (ग्यारह) आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास बोर्ड गठित किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री जगन्नाथ पटनायक | 23 |
| (बारह) भद्रक (उड़ीसा) में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री अनन्त प्रसाद सेठी | 24 |
| (तेरह) शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी की स्मृति में डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता | |
| कुमारी ममता बनर्जी | 24 |
| (चौदह) न्यूजीलैंड सरकार पर इस बात के लिए जोर डाले जाने की आवश्यकता कि वह इंगलैंड की क्रिकेट टीम को, उनके कुछ खिलाड़ियों के दक्षिण अफ्रीका के साथ सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए, अपने यहां न आने दें | |
| श्री सैफुद्दीन चौधरी | 24 |
| (पन्द्रह) नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर गंडक नदी के रास्ते से की जा रही तस्करी की रोकथाम किए जाने की आवश्यकता | |
| श्री काली प्रसाद पांडेय | 25 |
| (सोलह) हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत किए जाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाने की आवश्यकता | |
| श्री के० डी० सुल्तानपुरी | 25 |
| (सत्रह) गुजरात में गांधी धाम से भुज तक बड़ी रेल लाइन बिछाई जाने की आवश्यकता | |
| श्रीमती ऊषा ठक्कर | 25 |
| (अठारह) बिहार में फतुहा से बोध गया तक एक रेलगाड़ी चलाई जाने की आवश्यकता | |
| श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह | 26 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| (उन्नीस) पश्चिम बंगाल के सालबनी और बीनापुर क्षेत्र में जंगली हाथियों का प्रवेश रोके जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता<br>श्री मतिलाल हंसदा | 26 |
| (बीस) "राजभर" जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता<br>श्री राम नगीना मिश्र | 27 |
| (इक्कीस) मानसिक विकारों से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए उड़ीसा को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता<br>श्री चिन्तामणि जेना | 27 |
| **स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक** विचार करने के लिए प्रस्ताव | 28—82 |
| श्री ए० के० पांजा | 28—31 |
| डा० जी० विजय रामा राव | 31—32 |
| श्री अजय मुशरान | 32—34 |
| श्री राम भगत पासवान | 34—35 |
| श्री सुधीर राय | 36—37 |
| डा० गौरी शंकर राजहंस | 37—39 |
| श्री तम्पन थामस | 39—41 |
| श्रीमती प्रभावती गुप्त | 41—43 |
| श्रीमती जयन्ती पटनायक | 43—45 |
| श्री अजीज कुरेशी | 45—47 |
| श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह | 47—48 |
| श्री एन० टोम्बी सिंह | 48—50 |
| श्री वृद्धि चन्द्र जैन | 51—53 |
| श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही | 53—55 |
| श्री डी० बी० पाटिल | 55—56 |
| श्री दामोदर पांडे | 56—58 |
| श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) | 58—61 |
| श्री काली प्रसाद पांडेय | 62—63 |
| श्री शांताराम नायक | 63—64 |
| श्री जगन्नाथ पटनायक | 64 |
| कुमारी ममता बनर्जी | 64—65 |
| श्री जय प्रकाश अग्रवाल | 65—66 |
| श्री सैफुद्दीन सोज | 66—67 |
| श्री हरीश रावत | 67—68 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री डालचन्द्र जैन | 68 |
| श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव | 68—69 |
| श्री मोहम्मद महफूज अली खां | 69 |
| खंडवार विचार पारित करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री० ए० के० पांजा | 70—81 |
| प्रो० सैफुद्दीन सोज | 81— 8 |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण** | 82—113 |
| (एक) पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा अनेक रेलगाड़ियों का चलाना बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति | |
| श्री चिन्तामणि जेना | 82—83 |
| श्री महाबीर प्रसाद | 83—88 |
| श्री अनिल बसु | 88— 90 |
| श्री अजय बिश्वास | 90—91 |
| श्री अनन्त प्रसाद सेठी | 91—93 |
| श्री हरिहर सोरन | 93—94 |
| (दो) देश के विभिन्न भागों में कपास उत्पादकों की दयनीय दशा | |
| श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव | 98 |
| श्री भजन लाल | 98—104 |
| श्री रामस्वरूप राम | 104—106 |
| श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति | 106—107 |
| श्रीमती मनेम्मा अंजैया | 107—113 |
| **नियम 193 के अधीन चर्चाएं** | 113—129 |
| (एक) सियोल ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का निराशाजनक प्रदर्शन | |
| श्री के० पी० सिंह देव | 114—117 |
| श्रीमती मारग्रेट आल्वा | 117—119 |
| (दो) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में तूफान से हुई क्षति | |
| कुमारी ममता बनर्जी | 119—120 |
| श्री इन्द्रजीत गुप्त | 120—122 |
| श्री अमल दत्ता | 122 |
| श्री श्याम लाल यादव | 122—129 |

# लोक-सभा

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 1988/25 अग्रहायण, 1910 (शक)

लोक-सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

**श्री हरीश रावत** (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, लेबर मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं इसलिए आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े अखबारों के मालिक पहले केवल एडीटर ही कांट्रेक्ट सिस्टम पर रखा करते थे लेकिन अब उन्होंने सब-एडीटर, रिपोर्टर्स, आ रिपोर्टर्स, स्टाफ रिपोर्टर्स और कारेस्पांडेंट्स को भी कांट्रेक्ट सिस्टम पर रखना शुरू कर दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिखकर दीजिए, मैं देख लूंगा।

**श्री हरीश रावत** : इससे फ्रीडम आफ दी प्रैस समाप्त हो जायेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : बस हो गया, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** (महबूबनगर) : उनकी उस बात से सहमत होते हुए मैं आपका ध्यान एक अन्य मामले की ओर आकर्षित करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं। एक बार के लिए तो मैं उनसे पूर्णत: सहमत हो गया।

**अध्यक्ष महोदय** : एक बार के लिए आप दोनों एक हो गए। अब आप दो नहीं, ग्यारह हो गए हैं।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि 'नाबार्ड' ने सात राज्यों में सहकारी संस्थाओं को ऋण देना बिल्कुल बन्द कर दिया है। आपने मुझे नियम 377 के अन्तर्गत अनुमति दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको नियम 377 के अन्तर्गत अनुमति दी है। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि कोई ऐसा बीच का रास्ता होना चाहिए जिससे निर्धन किसानों को नुकसान न हो। कोई बीच का रास्ता होना चाहिए, दोनों के बीच समझौता होना चाहिए और हमें इसका कोई हल ढूंढना चाहिए। मेरे विचार से मैं वित्त मन्त्री से बात करूंगा कि यह संस्थान घटिया हरकतों से नष्ट

न होने पाए और हमें यह महसूस करना चाहिए कि कुछ चीजें व्यवस्थित करनी होंगी ताकि यह संस्था भी चलती रहे और किसानों को भी नुकसान न हो ।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था । मैं उसे वापस ले रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** (बारामूला) : कश्मीर राज्य में बिजली की भारी कमी के कारण हम अत्यन्त कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : वह तो मैंने करवा दिया है ।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : उस वक्त तो आपने बड़ी मेहरबानी कर दी थी ।

پروفیسر سیف الدین سوز : اس وقت تو آپ نے بڑی مہربانی کردی تھی۔

**अध्यक्ष महोदय** : और कर देंगे ।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : वहां पर हफ्ते में चार दिन ब्लैक आउट रहता है । ये जो कल्पनाथ राय जी नए मिनिस्टर बने हैं, रोज सर्कुलर भेजते हैं कि तजवीज बताओ । चार बार बता चुके हैं लेकिन एक और सर्कुलर आ गया है । आपके हुकम से काश्मीर में वे पूरे चार दिन रहें । जम्मू में तकलीफ कम होगी क्योंकि सलाल में बिजली है ।

پروفیسر سیف الدین سوز : وہاں پر ہفتہ میں چار دن بلیک آوٹ رہتا ہے، یہ جو کلپ ناتھ رائے جو نئے منسٹر بنے ہیں روز سرکلر بھیجتے ہیں کہ تجویز بتاؤ، چار بار بتا چکے ہیں لیکن ایک اور سرکلر آیا ہے، آپ کے حکم سے کشمیر میں وہ پورے چار دن رہے، جموں میں تکلیف کم ہوتی کیوں کہ سلال میں بجلی ہے۔

[अनुवाद]

हम बिजली कश्मीर नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां ट्रांसमिशन लाइनें नहीं हैं ।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : अगर बिजली नहीं हुई, तो वे कुलफी बन जायेंगे ।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : आजकल सर्दी का मौसम है और टेम्परेचर माइनस में है । माठे साहब न जाएं तो कम से कम कल्पनाथ जी जरूर जाएं ।

پروفیسر سیف الدین سوز : آج کل سردی کا موسم ہے اور ٹمپریچر مائنس میں ہے اسلئے صاحب نہ جائیں، تو کم سے کم کلپ ناتھ جی ضرور جائیں۔

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (प्रणजी) : नेशनल हेरल्ड में बलात्कार पीड़ित की एक दर्दनाक कहानी छपी है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्टेट सबजेक्ट है, मैं नहीं कर सकता ।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : यह राज्य का विषय नहीं है । यह सम्पूर्ण देश के लिए चिंता का विषय है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शांताराम जी आप मेरे से अनुचित काम क्यों करवाना चाहते हैं ।

श्री शांताराम नायक : अनुचित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप जानें और होम मिनिस्ट्री जानें । यह काम मेरा नहीं है, इस हाऊस का नहीं है, स्टेट का ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : एनर्जी मिनिस्ट्री के लिए आपका क्या हुक्म है ।

پروفیسر سیف الدین سوز : اینرجی منسٹری کے لئے آپ کا کیا حکم ہے ۔
تو میکش نہودے میں لکھوں گا ۔

अध्यक्ष महोदय : मैं लिखूंगा ।

[अनुवाद

मैं उनसे बात करूंगा । मैं मंत्री महोदय से बात करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : श्री जगदेव सिंह तलवंडी ने कहा है कि मेरे ऊपर कत्ल का जो अटैक हुआ है, उसकी इंक्वायरी में मेरे रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा है । जिनको नोमिनेट किया गया है, उनको बुलाया तक नहीं गया है । उसकी डिससेटिसफेक्शन है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिए, उसे मैं भेज देता हूं ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कल आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आप केरल सरकार द्वारा अनुमोदित अध्यादेश पर वहां के राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करने संबंधी नियम 185 के अन्तर्गत मेरे द्वारा सभा पटल पर रखे गए प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी छानबीन करूंगा ।

[हिन्दी]

आप मेरी बात भी तो सुन लिया करें ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ स्पष्टीकरण चाहिएं ।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आज अन्तिम दिन है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समस्या यह है कि मुझे प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना होता है और यदि प्रस्ताव व्यवस्थित है तो मैं इसे इस पर विचार करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री पटेल को अनुमति दी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप इसी प्रकार दबाव डालते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दण्डवते जी, आप अपने मित्र को रिस्ट्रेन कीजिए ।

श्री शांतिलाल पटेल (गोधरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से मिला था । ये कहते हैं कि किसानों को क्राप इंशोरेंस के बारे में हम पैसा देंगे । लेकिन साल भर होने को आया आज तक किसानों को इंशोरेंस का पैसा नहीं मिला, उनको पैसा जल्दी मिले ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बात करूंगा, मुझे इंशोरेंस पर कोई भरोसा नहीं है ।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी आपका हाथ नजर आता है, बैराग तो लिया है, लेकिन हाथ में कैप्टन नहीं लिया ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, 16-8-1988 को गृह मंत्री ने मुझे इस सभा में आश्वासन दिया था कि बिदार में चाईबासा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत एक आदिवासी लड़के की हत्या के मामले की जांच की जाएगी...(व्यवधान)

अभी तक कुछ नहीं किया गया है । (व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय :** आप मुझे लिखकर दे दें मैं पता करवा दूंगा। आपकी आश्वासन समिति किसलिए बनी हुई है।

(व्यवधान)

**श्री बालकवि बैरागी :** अध्यक्ष महोदय, मेरा श्रम मंत्री से निवेदन है कि बाछावत कमीशन की रिपोर्ट पत्रकारों के लिए इस महीने प्राप्त हो जायेगी, इसकी गारण्टी दें···

**अध्यक्ष महोदय :** आप लिखकर दें।

**श्री हरीश रावत :** मंत्री जी यहां पर हैं वह कह सकते हैं कि 30 दिसम्बर तक आ जायेगी।

**अध्यक्ष महोदय :** रावत जी आपको मैंने आज्ञा नहीं दी, मैं उनसे कह रहा हूं वह लिखकर देंगे तो लिखित में बात रिकार्ड में रहेगी। मैं भी लिखकर दूंगा, डबल काम हो जायेगा।

[अनुवाद]

मैं भी यही करने का प्रयास कर रहा हूं।

[हिन्दी]

**श्री बालकवि बैरागी :** साथ ही पत्रकारों की पेंशन के बारे में कमिशन कब बिठा रहे हैं?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं करूंगा।

**श्री मोहम्मद अयूब खां** (ऊधमपुर) : मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से गुजारिश करना चाहता हूं उन्होंने जो सड़क बुद्दल से लेकर रामबन तक शुरू की थी उस पर अधूरा काम किया है, उसको छोड़ दिया गया है।

مسٹر محمد ایوب خاں (اودھم پور) : میں ٹرانسپورٹ منسٹری سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، انھوں نے جو سڑک بدّل سے لے کر رامبن تک شروع کی تھی اس پر ادھورا کام کیا ہے، اُس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔

**अध्यक्ष महोदय :** लिखकर दें, मैं करवा दूंगा।

**श्री मोहम्मद अयूब खां :** एक लाख से अधिक की वहां आबादी है सब लोग मुसीबत में हैं।

محمّد ایوب خاں (اودھم پور) ایک لاکھ سے ادھک کی وہاں آبادی ہے، سب لوگ مصیبت میں ہیں۔

**अध्यक्ष महोदय :** बोलिए चौधरी दी प्रेंट।

[अनुवाद]

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा : महोदय, आप भी चौधरी हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो यही कह रहा हूं चौधरी को चौधरी मिले कर-कर लम्बे हाथ।

**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : महोदय, आज इस सत्र का आखिरी दिन है। प्रधान मंत्री जी चीन यात्रा पर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण घटना है। हमें सदन में इस घटना को उल्लेख करना चाहिए और इस सभा को प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करनी चाहिएं ? हमें आशा है कि इससे दोनों देशो के बीच अच्छे संबंधों की शुरूआत होगी।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे सहमत हूं।

[अनुवाद]

**श्री हरीश रावत** : हम उनकी बात का समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आज तो कमाल कर दिया, चौधरी हमेशा ही कमाल करते हैं। हमारे देश की संस्कृति, हमारा स्वभाव, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा सारा वातावरण कहता है कि हम शान्ति के इच्छुक हैं। हम किसी से गड़बड़ करना नहीं चाहते, हमारा हाथ हमेशा दोस्तों के लिए आगे बढ़ा रहता है। अगर कोई और हाथ न बढ़ाए तो उसकी मर्जी है, हमारा हाथ पीछे नहीं हटता है।

**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** : महोदय, चौधरी जी बधाई के पात्र हैं···(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : हां, सारा श्रेय उन्हें ही जाता है। मैंने तो उनका समर्थन किया है।

**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि देश के चालीस लाख बीड़ी मजदूरों का मामला न्यूनतम मजदूरी का पेंडिंग पड़ा हुआ है, कई राज्यों ने लागू नहीं किया है···

**अध्यक्ष महोदय** : यह राज्य सरकार करेगी या केन्द्र सरकार।

**श्री विजय कुमार यादव** : जब तक केन्द्रीय मंत्री हस्तक्षेप नहीं करते हैं···

**अध्यक्ष महोदय** : हस्तक्षेप करवा देते हैं। लेकिन कभी आप कहते हो कि क्यों इंटरफेयर करते हैं और कभी कहते हो कि नहीं करते हैं।

**श्री विजय कुमार यादव** : मैंने पत्र भी लिखा है, अनुरोध भी किया है ।

**श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू)** : जनाब सदर-ए-मोहतरम, राजस्थान में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें काफी से ज्यादा इलाका डार्क-जोन घोषित कर दिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : स्पेशयली कौन से इलाके हैं ?

**श्री मोहम्मद अयूब खां** : झुन्झुनू और सीकर । मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान के झुन्झुनू और सीकर आदि जिन इलाकों को डार्क-जोन घोषित किया गया है, उन्हें उससे मुक्ति दिलाई जाए ताकि किसानों को वे सुविधायें मिल सकें, जिनके वे हकदार हैं । वहां आज तक जितना विकास का काम हुआ है, किसानों को कुछ भी सुविधा नहीं मिल पायी है, इस डार्क जोन घोषित होने की वजह से ।

**अध्यक्ष महोदय** : चलिए ।

**श्री मोहम्मद अयूब खां** : मैं आपके माध्यम से इलतजा करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस डार्क-जोन घोषित इलाके को मुक्ति दिलाई जाए ।

**अध्यक्ष महोदय** : चौधरी बहादुर, इसका भी करते हैं ।

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद)** : अध्यक्ष महोदय, हमारी कई सिंचाई की महत्वपूर्ण योजनाएं 10-10 या 13-13 सालों से केन्द्र में स्वीकृति के लिए पड़ी हैं, जैसे मुहाना डैम 13 साल से और पुनपुन दरधा परियोजना 8 साल से पड़ी है । मेरा निवेदन है कि उन्हें आप शीघ्र से शीघ्र यहां से स्वीकृत करके भिजवाइए ताकि उन पर काम शुरू हो सके ।

**अध्यक्ष महोदय** : पूछ लेते हैं, देख लेंगे कि कितनी बाकी हैं ।

---

11.12 म० प०

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**भारत यन्त्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद और हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1989-88 के कार्य-करण की समीक्षा के बारे में विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन**

[अनुवाद]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित)** : महोदय, श्री जे० वेंगल राव की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं —

(क) (एक) भारत यन्त्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद तथा उसकी सहायक कम्पनियों के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत यन्त्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद तथा उसकी सहायक कम्पनियों का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 7081/88]

(ख) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7082/88]

**अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट-ब्लेयर तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1987-83 के प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा**

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7083/88]

(2) भारतीय वन्य-जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7084/88]

**मार्डन फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(एक) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7085/88]

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली वर्ष 1987-88 और कार्यकरण को समीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन; मारमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा, आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, मैं श्री राजेश पायलेट की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं —

(1) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) सा० का० नि० 1006(अ), जो 13 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन (पायलटों का प्राधिकरण) संशोधन विनियम, 1988 अनुमोदित किए गए हैं।

(दो) सा० का० नि० 1008(अ), जो 13 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) छठा संशोधन विनियम, 1988 अनुमोदित किए गए हैं।

(तीन) सा० का० नि० 1009(अ), जो 13 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 1988 अनुमोदित किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7086/88]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7087/88]

(3) (एक) मारमुगांव पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मारमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7088/88]

(4) (एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तूतिकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7089/88]

(5) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) मारमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मारमुगाव पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7090/88]

(ख) (एक) तूतिकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तूतिकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7091/88]

(ग) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1987-88 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7092/88]

(6) (एक) कान्डला गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कान्डला गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7093/88]

**भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा**

**नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय [के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) तथा धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7094/88]

**सीमाशुल्क अधिनियम, 1962**

**के**

**अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांडा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 1136(अ), जो 2 दिसम्बर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आस्ट्रेलिया के डालर और पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को आस्ट्रेलिया के डालर और पौंड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरें निर्धारित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 1145(अ), जो 5 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा "पीकिंग रिब्यू" नामक पत्रिका के भारत में आयात को प्रतिषिद्ध करने से सम्बन्धित 1 दिसम्बर, 1962 की अधिसूचना संख्या 186-सी० शु० को विखण्डित किया गया है।

(तीन) का० आ० 1152(अ), जो 6 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कनाडा के डालर को भारतीय मुद्रा को कनाडा के डालर में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरें निर्धारित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1988, जो 1 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा०का० नि० 1111(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1164(अ), जो 9 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रमों के लिए, जो स्वदेशी स्रोतों से कच्ची सामग्री की अपनी समस्त आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रमों से भिन्न एककों द्वारा संदेय उत्पाद शुल्क जमा उस पर उदग्रहणीय मूल शुल्क के 50 प्रतिशत की अतिरिक्त रकम के बराबर, उत्पाद-शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7095/88]

**रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली को वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा**

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7096/88]

**तमिलनाडु मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी विद्यालय (विनियम) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अधिसूचना; राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा**

मानव संसाधन मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1988 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी विद्यालय (विनियम), अधिनियम, 1973 की धारा 56 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० संख्या 1071, शिक्षा जो 14 जून, 1988 के तमिलनाडु राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7097/88]

(2) (एक) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7098/88]

(4) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7099/88]

(5) (एक) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7100/88]

(6) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7101/88]

(7) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7102/88]

(8) (एक) बाल भवन सोसायटी इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाल भवन सोसाइटी इण्डिया, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7103/88]

**भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1988; केन्द्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली का वर्ष 1987 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि**

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित)** : महोदय, श्री पी० चिदम्बरम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1988, जो 2 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1115(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7104/88]

(2) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के 1 जनवरी, 1987 से 31 दिसम्बर, 1987 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में आयोग की सलाह न मानने के कारण स्पष्ट करने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7105/88]

(3) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7106/88]

**अहमदाबाद टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा, आदि**

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एल० बैठा)** : महोदय, मैं श्री रफीक आलम की ओर से निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) अहमदाबाद टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7107/88]

(दो) बॉम्बे टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7108/88]

(तीन) साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7109/88]

(चार) नार्दन इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7110/88]

(2) अहमदाबाद टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद, बॉम्बे टैक्सटाइल एसोसिएशन, बम्बई, साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर और नार्दन इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 19 7-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए। संख्या एल० टी० 7107 से 7110/88]

**हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में वर्ष 1987-88 वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा**

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लीला दीक्षित)** : महोदय, मैं श्री आर० प्रभु की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7111/88]

(ख) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० डी० 7112/88]

(ग) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7113/88]

(घ) (एक) पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पटल पर रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7114/88]

(ङ) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पटल पर रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7115/88]

(च) (एक) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पटल पर रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7116/88]

(छ) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पटल पर रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7117/88]

(ज) (एक) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पटल पर रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7118/88]

(झ) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पटल पर रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 7119/88]

## तमिलनाडु विधान सभा (रेल रोक द्वारा अभिग्रहण) नियम, 1987 में संशोधन तथा आठवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाले विवरण

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : शीला जी, यदि आप थक गई हों तो आपके बिहाफ पर किसी और से करा दूं।

[अनुवाद]

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित)** : धन्यवाद, महोदय। मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1988 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु वेतन संदाय अधिनियम, 1951 की धारा 14 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का०नि०आ० ए-46/88, जो 16 मार्च, 1988 के तमिलनाडु विधान सभा (रेल रोक द्वारा अभिग्रहण) नियम, 1987 में संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-7120/88]

(2) आठवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(1) विवरण संख्या 20 — पांचवा सत्र, 1986

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7121/88]

(2) विवरण संख्या 17 — छठा सत्र, 1986

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-7122/88]

(3) विवरण संख्या 14 — आठवां सत्र, 1987

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-7123/88]

(4) विवरण संख्या 10 — आठवें सत्र का दूसरा भाग, 1987

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-7124/88]

(5) विवरण संख्या 9 — नौवां सत्र, 1987

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-7125/88]

(6) विवरण संख्या 7 — दसवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7126/88]

(7) विवरण संख्या 3 — ग्यारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7127/88]

**गुजरात कृषि उद्योग निगम के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण**

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7128/88]

———

**11.13½ म० पू०**

**बागान श्रम (संशोधन) विधेयक**

**श्रम मन्त्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बागान श्रम अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बागान श्रम अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : महोदय, आज हमने शून्य काल को युक्तिसंगत बना दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : यकीनन कम से कम एक बार तो परिवर्तन हुआ है। यह स्वागतयोग्य परिवर्तन प्रतीत होता है।

11.14 म० पू०

## नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए पृथक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री एम० एल० शिवराम (मांडला) : अध्यक्ष महोदय, बहुधा यह देखने में आया है कि देश के पहाड़ी अंचलों में आजादी के 40 वर्षों बाद भी आवागमन एवं यातायात की कठिनाइयां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। ऑल वैदर रोड़ों की कमी है। पुल-पुलियों का अभाव अभी तक बना हुआ है। यातायात की इन कमियों के कारण देश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यों में बड़ी बाधा आ रही है। यदि इन पहाड़ी क्षेत्रों के आवागमन के साधनों की उपेक्षा इसी प्रकार होती रहेगी तो हमारे यह क्षेत्र 21वीं सदी का सपना ही देखते रहेंगे। अतः इनके उत्थान के लिए केन्द्र शासन अलग से अतिरिक्त राशि पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकतानुरूप प्रदान कर प्रांतीय शासन को निर्देशित करें कि पहाड़ी क्षेत्रों की सड़क, पुल-पुलियों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करें तथा किए गए निर्माण कार्यों की सूचना केन्द्र को दें।

(दो) बराल्गोन किटोन के सम्बन्ध में औषध कम्पनियों से कम धनराशि की वसूली किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सन्तोष कुमार सिंह (आजमगढ़) : उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथपत्र में बताया गया था कि औषध निर्माण में 24,735.58 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बराल्गोन किटोन मिलाया गया था परन्तु इस औषध के सम्बन्ध में कम धनराशि वसूली की गई जिसके परिणामस्वरूप 1983 तक 8.40 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल नहीं हो पाई। क्षतिपूर्ति की प्रतिशतता/कमीशन बिना किसी औचित्य के दी गई है। जिस दल ने इसका मूल्यांकन किया था उसमें कोई विशेषज्ञ नहीं था अपितु ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पर्याप्त अनुभव नहीं था। इसकी पूर्ण जांच की जाए और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाए।

(तीन) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि पत्रकारों और गैर-पत्रकारों सम्बन्धी वेतन बोर्ड का प्रतिवेदन नियत तिथि को प्रस्तुत किया जाए

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : समाचार पत्रों के हजारों पत्रकार तथा गैर-पत्रकार कर्मचारी न्यायाधीश बछावत की अध्यक्षता में बने वेतन बोर्ड के निर्णय की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी कारणवश वेतन बोर्ड अपनी सिफारिशें नहीं दे सका है। प्रधान मन्त्री तथा श्रम मन्त्री ने घोषणा की थी कि 31 दिसम्बर, 1988 तक वेतन बोर्ड अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा। मैं समाचार पत्रों के सब पत्रकार तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों की ओर से कहना चाहता हूं कि इस निर्धारित अवधि का पालन किया जाए। अन्यथा यह उन कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा जो अधिक काम करते हैं और कम वेतन पाते हैं। न्यायाधीश बछावत समिति ने सितम्बर में जो प्रायोगिक प्रस्ताव घोषित किए थे वे पर्याप्त नहीं थे तथा उनसे कर्मचारी हतोत्साहित हुए थे। अब नैसर्गिक न्याय के हित

में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन कर्मचारियों को जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग इस उद्योग में लगाया है नये कर्मचारियों से अधिक वेतन मिले। इसका मतलब यह नहीं है कि नये कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

**(चार) बिहार में हाल के भूकम्प से प्रभावित हुए लोगों को शीघ्र पर्याप्त सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री राम भगत पासवान** (रोसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देता हूं—

"उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और मुंगेर जिलों में गत 21 अगस्त को भयंकर भूकम्प आने से हजारों लोग मर गए, हजारों लोग घायल हुए तथा हजारों के घर गिर गए। इस संकट की घड़ी में हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने पीड़ितों को देखा, इसके लिए भूकम्प पीड़ित जनता उनकी आभारी है। उन्होंने उदारतापूर्वक सहायता देने का आदेश केन्द्र और राज्य सरकार को दिया। जहां तक राहत का प्रश्न है अभी तक बहुत लोगों को नहीं मिल सकी है। कई घायल व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्था नहीं की गई है। हजारों घर गिरे हुए हैं जिन्हें अभी तक गृह अनुदान नहीं दिया गया है जबकि प्रधान मंत्री का सख्त आदेश है कि भूकम्प पीड़ितों की हर तरह से सुरक्षा की जाए। दरभंगा में राहत कार्यों में गड़बड़ी के कारण हजारों पीड़ित लोगों को राहत की व्यवस्था नहीं की गई है।

अत: भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि भूकम्प पीड़ित व्यक्तियों को उचित राहत दी जाए, दवाइयों की व्यवस्था की जाए और अविलम्ब घर निर्माण के लिए पर्याप्त रकम देने की कृपा करें।"

**(पांच) पारादीप पत्तन पर तेल टर्मिनल चालू किए जाने और बालासोर में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

**श्रीमती जयन्ती पटनायक** (कटक) : यह बड़ी चिंता का विषय है कि पर दीप पत्तन में एक तेल टर्मिनल बनाने के बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में आवश्यक विलम्ब हुआ है। तेल शोधक कारखाने की स्थापना बहुत आवश्यक है क्योंकि हल्दिया और विशाखापत्तनम से उड़ीसा को पैट्रोलियम उत्पादों की नियमित सप्लाई नहीं हो रही है। यद्यपि इन तेल शोधक कारखानों से पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण तथा सप्लाई कभी-कभी सन्तोषजनक होती है परन्तु पिछली वर्ष उड़ीसा को मिट्टी का तेल तथा खाना पकाने की गैस मिलने में कठिनाई हुई थी। चूंकि उड़ीसा सरकार ने ईंधन की लकड़ी के भण्डारण तथा वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी है इसलिए मिट्टी के तेल के अभाव में ग्रामीण जनता विशेषत: आदिवासी और हरिजनों को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में कोई तेल शोधक कारखाना नहीं है इसलिए इसे हल्दिया और विशाखापत्तनम की सप्लाई पर निर्भर रहना

पड़ता है। बालासोर में प्रस्तावित एल० पी० जी० बोटलिंग प्लांट अभी शुरू नहीं हुआ है यद्यपि राज्य सरकार ने इंडियन ऑयल कोरपोरेशन को जमीन आवंटित कर दी है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध कि बालासोर में बोटलिंग प्लांट की स्थापना में विलम्ब के कारणों की जांच करें और यथाशीघ्र उपचारात्मक उपाय करें। साथ ही मैं मांग करती हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पराद्वीप में तेल टर्मिनल शुरू किया जाए।

(छः) **टूथ पेस्टों में फ्लोराइड के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता**

**डा० जी० विजय रामा राव** (सिद्दिपेट) : हाल के वर्षों में अनेक रिपोर्टों तथा अध्ययनों ने यह बताया है कि टूथ पेस्ट में फ्लोराइड के हानिकारक प्रभावों तथा अधिक मात्रा में अन्तर्ग्रहण से अतिसार तथा जख्म बन जाने, मांस पेशियों में दुर्बलता तथा रक्त के गाढ़ेपन जैसे आंत्र सम्बन्धी अन्य रोग हो सकते हैं।

वर्ष 1986 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने टूथपेस्ट में फ्लोराइड के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी जिसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य वैज्ञानिक सम्मिलित थे। परन्तु इस रिपोर्ट को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड को बेबुनियादी तथा तर्कहीन आधारों पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि इससे दांतों का इनैमल मजबूत होता है तथा दांतों का खोखलापन रुक जाता है। वैज्ञानिक जानकारी से स्पष्ट है कि यदि पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होगा तो दांतों का खोखलापन रुक जायेगा।

इसलिए यह आवश्यक है कि इस समिति की सिफारिशें बतायी जायें और फ्लोरोसिस निवारक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इन्हें शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाए।

(सात) **न्यायिक प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता**

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** (बारामूला) : महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता शीला बारसे से भले ही कोई व्यक्ति सहमत न हो जिन्होंने एक प्रमुख पत्रिका के साक्षात्कार में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है और यह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, परन्तु हमें कुछ स्थितियों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए जो हमारी न्यायिक प्रणाली के लिए उचित नहीं हैं।

विचाराधीन मामलों की अधिकता के कारण सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली ही लड़खड़ा रही है। इस समय उच्चतम न्यायालय के पास ही 1,80,000 मामले लम्बित हैं। शीला बारसे ने तो प्रमुख पत्रिका के माध्यम से जनता को अपनी स्थिति बता दी है परन्तु देश के हजारों पीड़ित लोग एक दूसरे की स्थिति कैसे जान सकते हैं तथा हमें किस प्रकार बता सकते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। सुश्री बारसे ने उच्चतम न्यायालय को उन 1,00,000 बच्चों के बारे में जानकारी दी थी जो विभिन्न राज्यों की जेलों में सड़ रहे हैं। यद्यपि उन्होंने न्याय के लिए एक दशक तक संघर्ष किया परन्तु दुख की बात है कि स्वतन्त्र भारत के भाग्यहीन बालकों तथा बालिकाओं को कोई न्याय नहीं मिला।

मैं राष्ट्र के समक्ष एक व्यापक प्रश्न उठाता हूं—क्या हमारी न्यायिक प्रणाली को हमारी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होना चाहिए तथा क्या हमें बिना विलम्ब के आवश्यक सुधार शुरू नहीं करने चाहिए ?

**(आठ) गुजरात में मछुआरों के घरों को ज्वारीय तरंगों से बचाये जाने के लिए समुद्रतट पर दीवार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट)** : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में बहुत बड़े विशाल पैमाने पर दरियाई समुद्र है, जिसका पानी भरती के समय फैल जाता है तथा समुद्र तट के किनारे जो माछीमार एवं गरीब लोग रहते हैं उनकी जमीन एवं झुग्गी-झोंपड़ी घर आदि टूट जाते हैं, बह जाते हैं। इससे उन गरीबों का बहुत नुकसान होता है।

इन गरीब माछीमारों तथा किसानों की मदद के लिए तथा उनका जीवन सुरक्षित एवं सम्पन्न बनाने के लिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि समुद्र तट की रक्षा के लिए एक सर्वांगीण सुनियोजित कार्यक्रम बनाया जाए ताकि समुद्र तट को बांधा जा सके, पूरे समुद्र किनारे दीवार बांधकर दरियाई भरती पानी को रोका जा सके, वरना दिनों-दिन गरीब माछीमार अपना धन्धा रोजगार, रोजी-रोटी एवं मकान झुग्गी आदि से हाथ धो बैठेंगे तथा धीरे-धीरे नष्ट हो जाएंगे।

**(नौ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से किसानों को ऋण दिया जाना पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

**श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर)**: आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र जैसे देश के अनेक राज्यों को 'नाबार्ड' से इस आधार पर ऋण देने पर एकाएक रोक लगाई है कि इन राज्यों की सहकारिता संस्थाओं ने ऋण वितरण संबंधी अनुशासन भंग किया है तथा इससे किसानों को असाधारण कठिनाई हुई है। कृषि के इस व्यस्त मौसम, अर्थात चालू रबी के मौसम में ऋण को रोकने से किसानों को कठिनाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी और साथ ही इससे कृषि संबंधी कार्यों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा।

राज्यों में किसानों को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देने वाली सहकारिता क्षेत्र की वित्तीय संस्थायें 'नाबार्ड' पर निर्भर रहती हैं। अनेक राज्य सरकारों ने कतिपय रियायतें देकर किसानों पर ऋण के बोझ को कम करने की कोशिश की है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा 'नाबार्ड' ने इन रियायतों के संबंध में नकारात्मक रवैया अपनाया है। आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि उन किसानों को 5½ प्रतिशत की छूट दी जायेगी जो अपने ऋणों की अदायगी समय से कर देंगे। यह केवल किसानों को ऋण की अदायगी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए था, इसे ऋण अदायगी पर नकारात्मक प्रभाव नहीं समझा जा सकता। मामले की अच्छाइयों का पता लगाये बिना भी कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि वित्तीय संस्थाओं को ऋण नीतियों के संबंध में पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए।

इसलिए मेरा निवेदन है कि ऋण अदायगी का अच्छा माहौल बनाने के लिए समुचित मानदंडों को निर्धारित किए जाने तक आंध्र प्रदेश तथा दूसरे राज्यों के किसानों को 'नाबार्ड' से तुरन्त ऋण दिया जाना चाहिए। महोदय, आपकी टिप्पणी क्या है।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : वह मैंने पहले ही कर दिये थे।

[अनुवाद]

मैं आपसे भी आगे था।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, पहली बार वह उचित सुझाव दे रहे हैं। पहली बार इन्होंने कोई समझदारी की बात की है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज तो सभी समझदार होने लगे हैं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मल्लिक (जगतसिंहपुर) (मवेलिकरा) : जयपाल जी, नियम 377 में आपने जो मामला उठाया है वह विशिष्ट है।

(दस) पंजाब में "नम्बरदारों" के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में आज भी लगभग 12,000 गांवों के आम किसान से मालगुजारी, लगान आदि एकत्रित कर सरकारी कोष में जमा कराने का चिर प्रचलित कार्य, ग्रामों में नियुक्त नम्बरदारों से लिया जाता है और इस कार्य के लिए उन्हें दसियों वर्ष पूर्व जो राशि देना तय किया गया था, आज भी वही राशि दी जा रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए इन नम्बरदारों ने प्रशासन से प्रार्थना की थी। पंजाब के अधिकारियों ने एक आठ सदस्यीय समिति का गठन कर इस मामले में उचित सिफारिश करने का आश्वासन दिया था। समिति ने 30 सितम्बर, 1988 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी किन्तु खेद है कि उक्त तिथि के निकल जाने के बाद आज भी इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। नम्बरदारों की मांग है कि आज की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कम से कम उन्हें 300 रुपया महावार तो दिया ही जाना चाहिए। मेरा सरकार से आग्रह है कि उनकी इस मांग को तत्काल स्वीकृत कर क्रियान्वित किया जाये।

सर, आप तो नम्बरदार रहे भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कभी नम्बरदार नहीं रहा, मैं सरपंच रहा हूं। मैं तो एक प्रजातान्त्रिक आदमी हूं।

(ग्यारह) आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास बोर्ड गठित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहान्डी) : हमारे संविधान के अनुच्छेद 371 के उपबंधों के अनुसार उड़ीसा राज्य के कालाहांडी और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ जैसे आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष विकास बोर्ड स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जा सके, जो कि समाजवाद का मुख्य ध्येय है।

(बारह) भद्रक (उड़ीसा) में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाये जाने की आवश्यकता

**श्री अनन्त प्रसाद सेठी** (भद्रक) : महोदय, भद्रक उड़ीसा का एक तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक नगर है जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है। यह एक मुख्य उपमंडलीय मुख्यालय है जहां ज्यादातर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं।

भद्रक कटक से सौ किलोमीटर और बालासौर से 80 किलोमीटर दूर है जहां पर दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध है। दूरी के कारण, न तो कटक और ना ही बालासौर का सौ किलोवाट क्षमता का ट्रांसमीटर भद्रक के निवासियों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है इस कारण लोगों में नाराजगी और असंतोष तेजी से बढ़ता जा रहा है।

मैं इस सभा के माध्यम से तथा इस अवसर का लाभ उठाते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री से इस बात का आग्रह करता हूं कि वह इस बात की ओर तुरन्त ध्यान दें।

इसलिए वित्तीय वर्ष 1988-89 में भद्रक में एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया जाना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि इस ट्रांसमीटर से न केवल भद्रक के लोगों को फायदा होगा बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के उन 6 लाख लोगों के लम्बे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा।

इसके परिणामस्वरूप एक बहुत बड़ी संख्या पिछड़े तथा अल्पविकसित लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।

(तेरह) शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी की स्मृति में डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

**कुमारी ममता बनर्जी** (जादवपुर) : महोदय, शहीद खुदीराम बोस और चाकी प्रफुल्ल कुमार उर्फ दिनेश चन्द्र राय 1889 में पैदा हुए थे और दोनों ही प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। अत: मेरा सुझाव है कि भारत के इन महान सपूतों के याद में सरकार एक डाक टिकट जारी करें।

(चौदह) न्यूजीलैंड सरकार पर इस बात के लिए जोर डालने की आवश्यकता कि वह इंगलैंड की क्रिकेट टीम को, उनके कुछ खिलाड़ियों के दक्षिण अफ्रीका के साथ सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए अपने यहां न आने दे

**श्री संकुदीन चौधरी** (कटवा) : महोदय, 7 दिसम्बर 1988, जिस दिन भारतीय सांसद मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा की 40वीं वर्षगांठ मना रहे थे और अपने आप को रंगभेद के खिलाफ पुन: समर्पित कर रहे थे, तभी रंगभेद के समर्थक एक नई चुनौती दे रहे थे। रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष करने वाली भारत सरकार और जनता तथा सभी बहादुर योद्धाओं का मजाक उड़ाने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल ने ब्रिटिश क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड आने के लिए बुलाया है। यह बहुत अपमानजनक बात है, विशेषकर उस समय जबकि न्यूजीलैंड की टीम अभी भारत का दौरा कर रही है।

यह बताया जा सकता है कि "क्रीड़ा रंगभेद निवारण विधेयक, 1988", जो कि राज्य सभा

में 7 दिसम्बर को लाया गया था, के अनुसार "रंगभेद" व्यक्तियों के एक जातीय समूह द्वारा व्यक्तियों के दूसरे जातीय समूह पर अधिशासन स्थापित करने और बनाये रखने और योजनाबद्ध रूप से उन्हें सताने, जैसाकि दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया जा रहा है, के प्रयोजन से संस्थागत जातीय पृथक्करण और विभेद की एक पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 40वें अधिवेशन में भी खेलों में रंगभेद निवारण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय स्वीकार किया था और सदस्य देशों से निवेदन किया था कि दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद सरकार का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा खेलों में बहिष्कार किया जाना चाहिए। जो इस अभिसमय का पालन नहीं करते उनका भी बहिष्कार किया जाना चाहिए।

भारत को रंगभेद समर्थकों द्वारा दी गई चुनौती का उचित उत्तर देना चाहिए। इसके लिए मैं संघ सरकार से तुरन्त आवश्यक कार्यवाई करने का आग्रह करता हूं। भारत सरकार को न्यूजीलैंड सरकार को यह कड़ी चेतावनी भी देनी चाहिए कि अगर वह उस अंग्रेजी टीम को वहां आने से नहीं रोकती, जिसके कुछ खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से सम्बन्धित है, तो 1990 में आकलैंड में होने वाले राष्ट्र मण्डलीय खेलों का आयोजन खटाई में पड़ सकता है।

**(पन्द्रह) नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर गंडक नदी के रास्ते से की जा रही तस्करी को रोकथाम किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री काली प्रसाद पांडेय** (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, बिहार एवं उत्तर प्रदेश स्थित बिहार के गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण जिले तथा उत्तर प्रदेज का देवरिया जिला नेपाल देश के सीमावर्ती जिले हैं। नेपाल से तस्करों का आना-जाना बड़े पैमाने पर गंडक नदी के रास्ते से हो रहा है तथा यह गंडक नदी नेपाल की सीमा से होकर उपर्युक्त सभी जिलों की सीमा पार करते हुए सोनपुर तक जाती है। इन्हीं तस्करों द्वारा नेपाल देश से अवैध रूप से हथियारों एवं बड़े पैमाने पर तस्करी के अन्य सामानों को इसी गंडक नदी के रास्ते से लाया जा रहा है। तस्करों की रोकथाम हेतु कस्टम विभाग के पास कोई भी अच्छी एवं व्यवस्थित व्यवस्था बूढ़ी गंडक में नहीं है, जिसके चलते गोपालगंज एवं उपर्युक्त सभी जिलों में तस्करी के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति भी दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है जिसका मूल कारण तस्करों की रोकथाम हेतु इस गंडक नदी में मोटरयान, स्टीमरों की कोई व्यवस्था नहीं होना है।

अतः सदन के माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि नेपाल और बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर गंडक नदी के रास्ते से की जा रही बड़े पैमाने पर तस्करी पर रोक लगाने हेतु समुचित संख्या में मोटरयानों, स्टीमरों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।

**(सोलह) हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत किए जाने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाने की आवश्यकता**

**श्री के० डी० सुल्तानपुरी** (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में आलू, सेब और दूसरे फल यानी आड़ू, नाशपाती, खुमानी तथा टमाटर, गोभी आदि सब्जियों के उत्पादन पर लोगों की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। इस दफा वर्षा अधिक होने के कारण ग्रामीण लोगों की सुविधा देने हेतु जो सड़कें सरकार ने बनाई थी, वह सब बरबाद हो गई और राज्य सरकार इन तमाम सड़कों को ठीक नहीं कर सकती। इस कारण से लोग अपनी सब्जियां, फल आदि मार्केट में नहीं ला सकते। अतः मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इन मार्गों को ठीक करने के लिए धन दिलाने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त जो उद्योग राज्य में बन्द पड़े हैं या घाटे में चल रहे हैं उन्हें भी भारत सरकार अपने अधीन ले ताकि बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सके। पंजाब, हिमाचल की सीमा से लगा हुआ राज्य है। मैं चाहता हूं कि हिमाचल सरकार को भारत सरकार धन देकर 2 बटालियन पुलिस भर्ती करके और उसका सारा खर्च बरदास्त भारत सरकार करे ताकि राज्य में ठीक तरह से अमन कायम रखा जा सके।

**(सत्रह) गुजरात में गांधी धाम से भुज तक बड़ी रेल लाइन बिछाई जाने की आवश्यकता**

**श्री ऊषा ठक्कर** (कच्छ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र कच्छ में ब्रोडगेज लाइन गांधी धाम तक है। भुज कच्छ जिले का मुख्य नगर है। कच्छ बहुत बड़ा जिला है। गुजरात का दो-तिहाई हिस्सा है। कच्छ के भूगर्भ में खनिज भंडार हैं इसलिए गांधी धाम से भुज तक ब्रोडगेज लाइन होना बहुत जरूरी है।

अत: मैं आपसे इस सदन में प्रार्थना करूंगी कि मेरे चुनाव क्षेत्र गांधी धाम से भुज तक रेलवे लाइन का काम शुरू किया जाये।

**(अठारह) बिहार में फतुहा से बोधगया तक एक रेलगाड़ी चलाई जाने की आवश्यकता**

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, विश्व के किसी भी देश में रेल विकास का प्रमुख स्थान रहता है। बिहार राज्य हर तरह से पिछड़ा राज्य है। इसका स्थान सिर्फ नागालैंड राज्य से ऊपर है। इसका मुख्य कारण यह है कि केन्द्र को जो राजस्व मिलता है, उसमें से बिहार राज्य को बहुत कम हिस्सा मिलता है जिससे बिहार का पिछड़ापन बढ़ता जा रहा है। जिसके फलस्वरूप उग्रवादी संगठन राज्य में तेजी से फैल रहे हैं। बिहार के पटना जिला के बोधगया से फतुहा के लिए एक अलग छोटी लाइन थी जिसके मालिक मार्टिनबर्न थे। सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण करके इसको चलाना बन्द कर दिया है। वह गाड़ी इस इलाके के लिए बहुत आवश्यक थी जिससे लाखों लोग आवागमन करते थे। आज प्राइवेट बस से पटना से गया का भाड़ा बीस रुपये देना पड़ता है। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि फतुहा से बोधगया तक रेलगाड़ी चलाई जाए।

**(उन्नीस) पश्चिम बंगाल के सालबनी और बीनापुर क्षेत्र में जंगली हाथियों का प्रवेश रोके जाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता**

**[अनुवाद]**

**श्री मतिलाल हंसदा** (झाड़ग्राम) : गत वर्ष लगभग 60 जंगली हाथियों के एक झुंड ने मिदनापुर और बांकुरा के मैदानी भाग में उतरकर धान की फसल और घरों को नुकसान पहुचाया और सात व्यक्तियों को मार डाला। वे बिहार की दालमा पहाड़ियों से नीचे आये थे और लगभग 3 महीने तक सालबनी और बीनापुर क्षेत्रों में रहे। बहुत प्रयास करने और फुसलाने के बाद वे दालमा पहाड़ियों पर वापस लौटे। परन्तु जंगलों के अनियन्त्रित विनाश और चारे की कमी के कारण इस वर्ष भी लगभग 70 हाथी सालबनी और बीनापुर क्षेत्र में आ गये है और धान की फसल को नष्ट कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है, क्योंकि उन्होंने गत वर्ष भी काफी नुकसान उठाया था। उन्हे नाममात्र का मुआवजा दिया गया है। यह बात उचित है कि वन्य जीवन का संरक्षण किया जाना चाहिए। अत: उचित होगा कि पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सरकारों के प्रतिनिधि एकजुट होकर

इसका कोई समाधान ढूंढे। केन्द्रीय सरकार, विशेषरूप से पर्यावरण मंत्रालय को इस मामले को गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए।

**(बीस) 'राजभर' जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री राम नगीना मिश्र** (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान राजभर जाति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश में हरिजन तथा अन्य छोटी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देकर समाज के समकक्ष लाने की कोशिश भारत सरकार काफी तत्परता से कर रही है। उन लोगों को नौकरी-शिक्षा इत्यादि में आरक्षण के अन्तर्गत हर प्रकार की सुविधा प्रदान कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर रही है। भारत सरकार का यह कार्य कमजोर वर्ग के लिए अत्यन्त ही सराहनीय है। इसके संदर्भ में भारत सरकार से यह निवेदन है कि समाज की उपेक्षित जातियों में से राजभर जाति भी उसी श्रेणी की जाति है। उत्तर प्रदेश ने भी भारत सरकार को इस प्रकार की संस्तुति प्रेषित की है कि जिस प्रकार छोटी जातियों, हरिजन, मुसहर, आदिवासी इत्यादि को आरक्षण देकर समाज के समकक्ष लाया जा रहा है, उसी तरह राजभर जाति को भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर सुविधाओं से उनको भी लाभान्वित किया जाए।

मेरा सरकार से आग्रह है कि शीघ्र अति शीघ्र राजभर जाति को भी अनुसूचित जाति में शामिल कराने का कष्ट करें जिससे भविष्य में उनको भी आरक्षण की सुविधा प्राप्त हो सके और उनका पिछड़ापन दूर हो तथा समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष वे भी अपना स्थान प्राप्त कर सकें।

**(इक्कीस) मानसिक विकारों से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए उड़ीसा को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

**श्री चिन्तामणि जेना** (बालासोर) : महोदय, कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिमको) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की विकलांगता परियोजना के सर्वेक्षण में यह उल्लेख किया है कि उड़ीसा राज्य में लगभग 2 प्रतिशत जनसंख्या गम्भीर दिमागी बीमारियों से ग्रस्त है। यदि यही स्थिति जारी रही तो वर्ष 2000 तक यह प्रतिशतता बढ़कर 30 प्रतिशत हो जायेगी, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का एक तिहाई अर्थात लगभग एक करोड़ होगी। एक अन्य मस्तिष्क चिकित्सा विशेषज्ञ ने जो एस० सी० बी० मैडिकल कालेज उड़ीसा में है, बताया कि राज्य में 3 चिकित्सा कालेज अस्पतालों में दिमागी रोगियों के इलाज की वर्तमान मूलभूत सुविधाएं बिलकुल अपर्याप्त हैं। उन चिकित्सा कालेजों में केवल 18000 मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को ही प्रतिवर्ष इलाज के लिए भर्ती किया जा सकता है और बाकी 90 प्रतिशत रोगियों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों की कोई देखभाल नहीं की जाती है।

राज्य सरकार के सीमित संसाधनों के कारण राज्य के स्वास्थ्य बजट का केवल 0.2 प्रतिशत भाग ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम पर व्यय किया जाता है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य की अधिक सहायता करनी चाहिए।

———

11.44 म० पू०

## स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक

**वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को जानते हैं, भारत के रास्ते से अवैध रूप से स्वापक औषधियों को ले जाने में हाल ही में काफी वृद्धि हुई है। नशीली दवाओं के इस तरह के व्यापार के दौरान नशीली दवाओं के बीच में देश में रह जाने से नशीली दवाओं की लत की समस्याएं पैदा हो गई हैं ऐसे संकेत मिले है कि इस प्रवृति से नशीले पदार्थों की अवैध मांग उत्पन्न हो गई है और इसके परिणामस्वरूप वैध-रूप से अफीम की खेती करने वाले क्षेत्रों से अफीम अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाने की प्रवृति भी बढ़ने की सम्भावना है।

देश में व्याप्त मादक पदार्थों की स्थिति से चिन्तित होकर सरकार ने अनेक विधायी, प्रशासनिक और निवारक उपाय किये हैं, जिनकी वजह से देश में से होकर किए जाने वाले मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार को काफी सीमा तक रोका जा सका है। लेकिन मादक द्रवों के बढ़ते हुए आंतरिक व्यापार, कानूनी रूप से अफीम की खेती का अन्य कार्यों के लिए उपयोग किये जाने और देश के अन्दर मादक द्रव्यों के अवैध उत्पादन के प्रयासों से सरकार द्वारा किये गये उपायों के निष्फल होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा मामूली तकनीकी आधार पर अपराधी जमानत प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और अपनी गैर-कानूनी गतिविधियों को जारी रखते हैं।

गोल्डन क्रिसेन्ट क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान सम्मिलित है तथा गोल्डन ट्राएन्गल क्षेत्र, जिसमें बर्मा, थाइलैंड और लाओस सम्मिलित है, में मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार से उत्पन्न खतरे और आंतरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमन्त्री महोदय ने 4 अप्रैल, 1988 को मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार और दुरुपयोग का सामना करने के लिए एक नई शुरुआत के रूप में एक 14 सूत्री निर्देश जारी किये थे। प्रधानमन्त्री महोदय ने इसके लिए विभिन्न मन्त्रालयों के कार्यकरण की देखरेख करने और उनमें सामन्जस्य स्थापित करने के लिए गृह मन्त्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उपसमिति की स्थापना भी की थी। कैबिनेट उपसमिति ने औषधियों के अवैध व्यापारियों के लिए और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के निवारक दांडिक उपबन्धों को और कठोर करने के लिए एक निवारक नजरबन्दी कानून बनाने की आवश्यकता अनुभव की। तदानुसार स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 बनाया गया और उसे अगस्त 1988 में लागू किया गया। कैबिनेट उप-समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में उचित संशोधन किया जाना चाहिए :—

(एक) नशीले पदार्थ अपराधों को गैर-जमानती बनाना;

(दो) नशीले पदार्थ के अवैध व्यापारियों की सम्पत्ति को जब्त करना;

(तीन) पकड़े गए नशीले पदार्थों को मुकदमा चलाने से पहले नष्ट करने की प्रक्रिया बनाना;

(चार) अधिनियम के अन्तर्गत दी गई सजाओं में किसी विशेषाधिकार अथवा छूट को लागू न करना;

(पांच) नशीले पदार्थों के गम्भीर अपराधों के लिए मृत्यु दण्ड की व्यवस्था करना;

(छह) उन अधिकारियों, जो नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा देते हैं और रोगियों (नशा करने वाले, वे कैदी जिन पर मुकदमा चल रहा है) की देखरेख करने वाले अन्य प्रभारी व्यक्तियों के लिए; दण्ड का बढ़ाया जाना;

(सात) नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को स्वयं अपना इलाज कराने के लिए जीवन में एक बार छूट देना।

महोदय, सदन के समक्ष जो वर्तमान विधेयक है, उसमें न केवल उपरोक्त बातों को सम्मिलित किया गया है अपितु इस विधेयक के माध्यम से कुछ ऐसी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भी किया गया है जो गत 3 वर्षों में मूल अधिनियम को लागू करने में सामने आई हैं और इसके द्वारा मूल अधिनियम को और अधिक शक्तिशाली भी बनाया गया है। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण विधेयक 1988 पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है।

महोदय, विश्व भर में कानून लागू करने वाली एजेन्सियों का यह अनुभव है कि जब तक नशीली दवा और नशीली दवाओं सम्बन्धी अपराधों से गलत तरीके से कमाये गये धन को खोजकर उसे जब्त नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी प्रकार से कानूनों को लागू करने के प्रयासों द्वारा अवैध नशीली दवाओं की स्थिति पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ेगा। नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार करने वाले लोगों के गलत तरीके से कमाए गए धन पर हमला करना उनका घृणित कार्यों का गला घोट देना है।

गत तीन वर्षों से एक नई परिपाटी पर विचार हो रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मादक द्रव्यों से सम्बन्धित अपराधों से अर्जित सम्पतियों को खोजने, पहचान करने, पकड़ने और जब्त करने की व्यवस्था की गई है और 20 नवम्बर से 20 दिसम्बर 1988 तक वियना में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में भी इस परिपाटी को अपनाया जा रहा है।

वर्तमान विधेयक में, मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार से प्राप्त सम्पत्ति अथवा अवैध व्यापार में उपयोग की जाने वाली सम्पत्ति को जब्त करने के बारे में एक पृथक अध्याय पांच 'क' शामिल किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ इस अध्याय में अवैध रूप से अर्जित ऐसी सम्पत्ति रखने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जिसे स्वापक और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित सम्पत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की पहचान उसे पकड़ने अथवा जब्त करने की भी व्यवस्था की गई है। इसमें आगे सम्पत्ति जब्त करने से सम्बन्धित सभी पहलुओं को निपटाने के लिए सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करने, पकड़ी गई अथवा जब्त की गई सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिए प्रशासकों के रूप में अधिकारियों को नियुक्त करने और ऐसी सम्पत्ति के लिए एक अपीलीय न्यायाधीकरण की स्थापना की भी व्यवस्था की गई है।

इस संशोधन विधेयक की अन्य प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(एक) मादक वस्तुओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निधि और उसकी संचालक संस्था

की व्यवस्था करना, इस निधि की वित्त व्यवस्था, संसद द्वारा दी गई राशियों अधिनियम के अन्तर्गत जब्त की गई सम्पत्ति के विक्रय और किसी व्यक्ति अथवा संस्थान द्वारा दिए गए अनुदानों से की जायेगी;

(दो) कतिपय औषधियों की विशिष्ट मात्रा से सम्बन्धित विशेष अपराधों के बारे में दूसरी बार दोष सिद्धि होने पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था करना;

(तीन) यह व्यवस्था करना कि अधिनियम के अन्तर्गत धारा 27 के अलावा, दी गई किसी भी सजा को निलंबित, माफ अथवा कम नहीं किया जायेगा;

(चार) विशेष न्यायालयों के गठन का उपबन्ध करना;

(पांच) यह प्रावधान करना कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा गैर-जमानती होगा;

(छः) नशीले पदार्थों के शिकार व्यक्तियों द्वारा स्वयं को नशे से छुटकारा दिलाने के लिए इलाज हेतु स्वेच्छा से प्रस्तुत होने पर जीवन में एक बार अभियोजन से छूट देना;

(सात) कुछ ऐसे पदार्थों को इस अधिनियम की परिधि में लाना जो स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नहीं हैं लेकिन मादक द्रव्यों के उत्पादन में जिनका उपयोग किया जाता है। ऐसे नियंत्रित पदार्थों को आदेश जारी करके नियंत्रित किया जाएगा;

(आठ) ऐसे नियंत्रित पदार्थों से संबंधित उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए 10 साल तक की कठोर सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है; और

(नौ) मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के लिए धन उपलब्ध कराने और मादक द्रव्यों के अपराधियों को शरण देने वालों को वही दण्ड देने का प्रावधान किया गया है जो मादक द्रव्य के अपराधी के लिए रखा गया है।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार सभी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों से भी अधिक है। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग, अवैध उत्पादन और व्यापार के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय करार किये हैं इसके अलावा, मादक द्रव्यों के व्यापार तथा मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के अंतर्गत सहयोग करने के निर्णय लिया गया है। भारत अपना समर्थन दे रहा है तथा स्वापक औषधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के संयुक्त राष्ट्र आम सभा की तीसरी समिति के सत्रों आदि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अन्तिम रूप देने के लिए वियना में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग लेने के लिए भारत ने एक बड़ा दल भेजा है। वास्तव में, माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि भारत इस सम्मेलन के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है।

महोदय, हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की समस्या को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए और मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संघर्ष में किसी भी प्रकार की शिथिलता आने से समाज के कल्याण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मादक द्रव्यों की

समस्या के विरुद्ध लड़ाई में यह सभा सरकार को पूर्ण समर्थन दे रही है और मुझे विश्वास है कि इस कानून को भी सभा का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त होगा।

अब, मैं सभा द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए सिफारिश करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**डा० जी० विजय राघव राव** (सिद्दिपेट) : अध्यक्ष महोदय, मूल कानून अर्थात स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम को लागू करते समय अधिकारियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को देखते हुए यह विधेयक लाया गया है। कुछ कमियां हैं और अधिकारी नशीले पदार्थ के अवैध व्यापार को प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं कर सके। हमारे देश में अन्य देशों से काफी मात्रा में नशीले पदार्थ आ रहे हैं।

वास्तव में मूल कानून पुराना नहीं है। इसे हमारी माननीय सभा ने हाल ही में पारित किया था। यह 1985 में पारित हुआ था। लेकिन तीन वर्षों में ही मंत्री महोदय को मूल कानून में कुछ कठिनाइयों तथा कुछ कमियों का पता लगा।

**11 55 म० पू०**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

अब उन्होंने कुछ संशोधन पेश किए हैं। इन नए उपबन्धों से कानून और अधिक प्रभावी हो जाएगा। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उस सम्पत्ति को जब्त करना है जो मादक द्रव्यों की अवैध तस्करी द्वारा एकत्र की जा रही थी। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए इसमें एक राष्ट्रीय कोष गठित करने का प्रावधान है। इसी प्रकार चार पांच और मुद्दे है। इन सभी उपबन्धों के कारण कानून और अधिक प्रभावी हो जाएगा तथा हमारे समाज में इन मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हो जाएगा। स्कूल तथा कालेज के छात्र तथा बेरोजगार युवक इन स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का अत्यधिक उपयोग करते हैं। वे इन पदार्थों को बाजार में आसानी से प्राप्त कर रहे हैं जबकि मार्फिया जैसी अस्पताल में उपयोग में लाई जाने वाली औषधियां अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं। बाहर नशा करने के लिए मार्फिया अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है।

इन मादक पदार्थों के सेवन ने कालेज के छात्रों के स्वास्थ्य तथा जीवन वृत्ति को नष्ट कर दिया है और इसके फलस्वरूप वे समाज का नाश कर रहे हैं। समाज के कल्याण के लिए वास्तव में यह कानून अत्यन्त सख्त उपबन्धों से युक्त होना चाहिए। इससे एक व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने में सहायता मिलेगी। पिछले 5-10 वर्षों के दौरान हमारे देश में मादक पदार्थ अधिक मात्रा मे जब्त हुए हैं। 1983 में जब्त की गई हरोइन की मात्रा केवल 139 किलोग्राम थी जबकि 1987 में यह बढ़कर 2000 किलोग्राम हो गई है। इसी प्रकार हशीश तथा चरस के मामले में यह मात्रा 1983 में केवल 6073 किलोग्राम थी जबकि 1987 में यह बढ़कर 15,000 किलोग्राम हो गई है। इसी प्रकार अन्य मादक पदार्थों के मामले में भी जब्त की गई मात्रा में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। दूसरा, हमारे देश में बहुमूल्य धातु सोना भी इन मादक पदार्थों के साथ-साथ आ रहा है। हमारे देश में सोने तथा

[डा० जी० विजय रामा राव]

मादक पदार्थों की तस्करी का मुख्य मार्ग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब तथा लन्दन अभी भी कायम है। भारत में तस्करी हुए तथा पकड़े गए सोने तथा मादक पदार्थ के दस में से तीन मामलों में या तो एक पाकिस्तानी नागरिक या एक पंजाबी संलिप्त होता है।

जनवरी में कस्टम अधिकारियों ने लुधियाना के एक ट्रक/वैन को रोका तथा 175 किलोग्राम हेरोइन और 39 किलोग्राम अफीम बरामद की। इसी प्रकार फरवरी में डी० आर० आई० के अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक श्री मोहम्मद दीन को दिल्ली में गिरफ्तार किया और 79 सोने के बिस्कुटों के बराबर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किये। फरवरी में दिल्ली में श्री नीरज समाधी नामक एक अफगान शरणार्थी गिरफ्तार किया गया और अधिकारियों ने 237 किलोग्राम हशीश बरामद की। गई में हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारत-पाक सीमा पर खेमकरन क्षेत्र में

**12.00 मध्याह्न**

तस्करों के एक गिरोह के साथ गोलीबारी की। तस्कर बच निकले लेकिन पश्चिमी एशिया से आई 150 किलोग्राम हरोइन पीछे छोड़ गए। हमारे देश में स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थों के परिवहन में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। मैं समझता हूं कि इस कानून को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने से यह कम हो जाएगा। लेकिन यहां जो भी कानून बनता है वह संबंधित अधिकारियों द्वारा सख्ती से लागू नहीं किया जाता। अधिकारियों में कर्त्तव्यपरायणता नहीं है। इसी कारणवश ऐसे नशीले पदार्थ हर रोज अधिक मात्रा में आ रहे हैं। अब मुझे आशा है कि कानून और अधिक प्रभावी हो जाएगा तथा मादक पादर्थों के आवागमन पर नियंत्रण हो जायेगा। युवा पीढ़ी नशे का शिकार नहीं होगी तथा नष्ट नहीं होगी। सामाजिक स्थिति में आमतौर से सुधार होगा।

**श्री अजय मुशरान** (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1988 का समर्थन करता हूं। यह एक स्वागतयोग्य कदम है कि सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में विचारक सत्राओं को सम्मिलित करके उसमें संशोधन करने तथा उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस विधेयक को लाई है।

यदि मेरी बात गलत नहीं है तो आजकल भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन और बांगलादेश सम्मिलित हैं, में अवैध व्यापार की सबसे बड़ी समस्या सोने की तस्करी नहीं है। यह समस्या स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों की है। हमारे देश की नौजवान पीढ़ी न केवल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में ही मादक द्रव्यों का सेवन कर अपने स्वास्थ्य और शैक्षणिक लक्ष्यों से खिलवाड़ कर रही है, अपितु वह छोटे कस्बों में भी ऐसा कर रही है। मैंने व्यक्तिगत रूप से वर्ष 1985 में भी इस मुद्दे का उल्लेख किया था। यद्यपि मैं इस विधेयक का पूर्णत: समर्थन करता हूं क्योंकि यह 1985 के अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाता है, तथापि मुझे इस बारे में कुछ सुझाव देने हैं। माननीय मन्त्री महोदय और भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की राजधानी दिल्ली में मादक द्रव्यों का सेवन करने के आदी लोगों की संख्या 70 या 80 हजार के बीच है। इससे देश के अन्दर मादक द्रव्यों का सेवन करने के आदी व्यक्तियों की संख्या का अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है। जब इस सम्मानित सभा में इस बारे में वर्ष 1985 में विधेयक पेश किया गया था तो उस विधेयक में यह बात कही गई थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय को अधिक से अधिक संख्या में नशे से मुक्ति दिलाने के केन्द्र स्थापित करने की सलाह दी जायेगी। मुझे

यह कहते हुए खेद है कि अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। मुझे यह कहते हुए भी खेद है कि इस संशोधन विधेयक में किसी भी स्थान पर इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार नई पीढ़ी को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए क्या योजना बना रही है। मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार वित्त मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय और गृह मन्त्रालय की समस्या है। परन्तु देश में मादक द्रव्यों को लाये जाने और उनके उपभोग के बारे में समाज कल्याण मन्त्रालय और स्वास्थ्य मन्त्रालय को अधिक चिन्तित होना चाहिए। यह दोष उन नवयुवकों का नहीं है जो इन लतों के शिकार हो जाते हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और छोटे स्कूलों के बाहर ब्राउन शूगर मिश्रित आइसक्रीम बेची जाती है। बच्चे यह समझते हैं कि उन्हें आइस-क्रीम की लत पड़ रही है परन्तु वास्तव में उन्हें ब्राउन शूगर से होने वाले सरूर की लत पड़ जाती है। स्कूल के बाहर बैठने वाले आइसक्रीम विक्रेता बच्चों को यह लत डालते हैं।

जैसा कि मैंने कहा है, जहां तक समाज कल्याण मन्त्रालय और स्वास्थ्य मन्त्रालय का संबंध है, उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय मन्त्री महोदय से इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करने और यथाशीघ्र इस विधेयक में आदेशात्मक खंड सम्मिलित करने का आग्रह करता हूं जिससे स्वास्थ्य मन्त्रालय बजट में इसके लिए प्रावधान करके प्रत्येक राज्य की राजधानी में भारत सरकार द्वारा संचालित कम से कम एक नशा मुक्ति केन्द्र और दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जैसे बड़े महानगरों में कम से कम पांच या छह सरकारी नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किए जाएं। कुछ नशा मुक्ति केन्द्र इस समय विद्यमान हैं किन्तु वे नाममात्र के हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुझे इसकी निश्चित जानकारी है। दिल्ली में कुछ गैर-सरकारी समितियां भी नशा मुक्ति केन्द्र चला रही हैं। मुझे इस बात की जानकारी है क्योंकि मैं 'अविनाश' नामक एक संस्था से सम्बन्ध रखता हूं। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रति वर्ष तीन से चार करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में मिल रही है परन्तु 'अविनाश' को कोई धनराशि नहीं दी गई है। धनराशि का वितरण ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों में किया जाता है जो नशा मुक्ति दिलाने का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं; वे केवल समाज कल्याण मंत्रालय के नौकरशाहों के चहेते हैं।

महोदय, जैसे मादक द्रव्यों का व्यापार एक अन्तर्देशीय समस्या है वैसे ही यह एक अन्तर्मंत्रालय समस्या है। नशा मुक्ति केन्द्रों का प्रभावी नहीं होना एक अन्तर्मंत्रालय समस्या है और माननीय मंत्री जो इस सम्मानित सदन में इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें इस समस्या का हल निकालना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को दिल्ली में एक मार्गदर्शी योजना के रूप में नशे के आदी लोगों का उपचार एवं उनकी देखरेख के लिए, इस महानगर के प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में 3-4 नशा मुक्ति केन्द्र आरम्भ करने चाहिए। मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले 70 या 80 हजार व्यक्तियों में कम से कम 20 हजार विद्यार्थी हैं।

हमने मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। बहुत से व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन करने के आदी हैं। भविष्य में चुनाव होने पर यदि इन लोगों को मन:प्रभावी पदार्थ अथवा स्वापक औषधि दो दिन तक नहीं मिले और तीसरे दिन उन्हें वे पदार्थ अथवा औषधियां दे दी जाएं तो वे उसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे जिसके एजेन्ट ने उन्हें ये मादक द्रव्य दिये हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिससे राजनैतिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह समस्या हमारी युवा पीढ़ी को तबाह कर रही है। हमें इस मामले को एक निवारक सजा के रूप में ही नहीं लेना है

[श्री अजय मुशरान]

जिसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और यह कार्यवाही करने के लिए मैं मंत्री महोदय और सरकार को बधाई देता हूं।

पाकिस्तान की प्रधानमंत्री ने मादक द्रव्यों के व्यापार को अपनी सबसे बड़ी समस्या बताया है। इससे आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि मादक द्रव्यों के व्यापारी कितने बड़े पैमाने पर यह कार्य कर रहे हैं और यह मामला कितना गम्भीर है।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस बारे में उदार रवैया अपनायें। समाज कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय के पहलुओं को भी इस विधेयक में शामिल कर लेना चाहिए। मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता था परन्तु मैं उसे प्रस्तुत करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे उस संशोधन को वापस लेना पड़ता। यदि आप स्वयं ऐसा करते हैं तो जहां तक नशा-मुक्ति का सम्बन्ध है, ऐसा करने से यह विधेयक अधिक प्रभावी बनेगा। महोदय, इस सदन में एक माननीय सदस्य ऐसे हैं जो भली प्रकार से यह जानते हैं कि मादक द्रव्यों का आदि एक बच्चा कैसे परिवार पर कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है और नशा-मुक्ति के उपचार के लिए कितना अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। नशा-मुक्त होने पर भी बच्चा यदि पुन: मादक द्रव्यों का शिकार हो जाता है तो उसे पुन: नशा-मुक्त करना पड़ता है। जिस सांसद के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वे यादक द्रव्यों का सेवन करने वाले एक बच्चे के पिता हैं। महोदय, 6 अथवा 7 सांसद प्रत्यक्ष रूप से इस समस्या से सम्बन्धित हैं परन्तु हमने उन समाज कल्याण केन्द्रों मे इस बारे में कुछ भी नहीं सुना है जिससे नशा-मुक्ति का कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। नशा-मुक्ति का कार्य करने वाली एजेंसियों और गैर-सरकारी संस्थाओं को मंत्रालय द्वारा कोई मान्यता अथवा वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

जहां तक सजा का सम्बन्ध है, विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि दूसरी बार अपराध करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दण्ड दिया जायेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार करता है और जिसके पास एक किलोग्राम से अधिक मादक द्रव्य अथवा मन:प्रभावी पदार्थ पाये जाते हैं, उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। मृत्यु दंड की यह सजा कानून और न्यायपालिका की जटिलताओं में फंसकर उपहास का विषय न बने। अन्य देशों की भांति यहां भी कड़ी सजा दी जानी चाहिए जहां ये मादक द्रव्य अपना प्रभाव डाल रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों को निवरक सजा दी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं वर्ष 1984 के अधिनियम को और अधिक निवारक और प्रभावी बनाने हेतु इस विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधन लायें कि सामाजिक संस्थाओं अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा इस समय संचालित नशा-मुक्ति केन्द्रों को सहायता दी जायें ताकि सम्पूर्ण समाज अक्षरश: इस विधेयक और वर्ष 1985 के अधिनियम में अपना सहयोग दे सके।

[हिन्दी]

**श्री राम भगत पासवान** (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ संशोधन अधिनियम का मैं समर्थन करता हूं। युवा पीढ़ि के मस्तिष्क को सही रखने के लिए यह विधेयक लाया गया है। नशीले पदार्थ युवकों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। नशीले पदार्थों का प्रभाव इतना खराब हो रहा है कि समाज में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर रोक लगाना आवश्यक

है। इसका जो उत्पादन करते हैं और जो इसकी तस्करी करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि यह तस्करी कौन करते हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियां जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी करोड़ों और अरबों में हैं, वे करोड़ों के नशीले पदार्थ मंगाती हैं और हमारे देश के बच्चों का भविष्य अन्धकारमय करती हैं। आपने यह कहा है कि जो गैर-कानूनी तरीके से काम करेगी उसकी सम्पत्ति सील करली जायेगी और दस साल तक सजा भी दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जो सजा की व्यवस्था आपने की है, उसे अवश्य लागू करेंगे। लेकिन अफसरशाही द्वारा आपके सारे कानूनों को ताक पर रख दिया जाता है। कानून तो पास होते हैं लेकिन लागू नहीं होते। कानून लागू होने में अफसरों का स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। नशीली दवाइयों के चक्कर में बहुत सी कंपनियां पकड़ी गई हैं और आपने कार्यवाही भी की है। संसद में मन्त्री महोदय ने बताया कि दिल्ली में 14 कम्पनियां पकड़ी गई हैं। लेकिन आपने सिर्फ दो, चार या सात दिन के लिये उनका लाईसेंस कैन्सिल किया है। यह कोई पनीशमेंट नहीं है। व्यापक सजा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन आपकी अफसरशाही इस बिल को या इस कानून को नाकामयाब करती है। इस बिल में आपने पनिशमेंट की व्यवस्था की है, लेकिन इसको किस तरह लागू होना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर जो 14 कंपनियां पकड़ी गई हैं, जो नशीली दवाएं बनाती हैं, जिनके कारण लोगों की मौत हुई हैं, सफदरजंग हस्पताल में मौत हुई है, इनमें ग्रेटर फार्मा नाम की दवाएं बनाने वाली कम्पनी है, उसकी दवाओं से मौत हुई है। इसी तरह से एसोसिएटेड फार्मा है, पुरी सर्जिकल्स है, सुभाष ट्रेडिंग कंपनी है, इनकी बनी हुई दवाओं से लोगों की मौत हुई हैं। स्लैक्सों भी नशीली दवाएं बना रहे हैं। उनको पकड़ा भी गया है लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। इनमें पाम फार्मेस्यूटिकल कंपनी है, सिविल ड्रग्ज लैबोरेट्रीज है, अल्पाइन इन्डस्ट्रीज है, ये सब दिल्ली की कम्पनियां हैं। मेरे पास संसद में दिया गया जवाब है, इनके दो-दो और चार-चार दिन के लिए लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं और पुन: उन्होंने दवाएं बनाना शुरू कर दिया है। आप कानून तो बनाते हैं लेकिन उनको अच्छी तरह से लागू होना चाहिए। एक्ट के अनुसार जो आपने पनिशमैंट की व्यवस्था की है, उसके अनुसार आप ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें और अपने अफसरों पर नियन्त्रण रखें जिससे वह सही तौर पर कानून का इम्पलीमैंटेशन कर सकें।

नशीले पदार्थों के बारे में हम बराबर सुनते रहते हैं कि कभी 2 हजार किलो हेरोइन पकड़ी गई और गांजा पकड़ा गया। लेकिन इनके खिलाफ कार्यवाही आप नहीं करते हैं। ये मादक पदार्थ विलेज लेवल तक व्यापक हो गए हैं, छोटे से छोटे किसान और मजदूर के लड़के भी उसका उपयोग कर रहे हैं और परिणामत: गम्भीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं रहता है और वह इनका सेवन करते रहते हैं।

हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप कानून लाए और इसमें व्यापक रूप से पनिशमैंट की व्यवस्था की है लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, बड़े-बड़े स्मगलर्स हैं उन सबको आप पकड़िए जो उनके कारखाने हैं उन पर छापे मारिए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए। जिन 14 कम्पनियों के नाम मैंने बताए हैं उन पर आप छापे मारिए, अभी भी उनके स्टाक में बहुत सी नशीली दवाएं हैं जिनके कारण लोगों की मौत हो रही है। आप उनको पकड़िए और दंड दीजिए ताकि नशीली दवाओं का प्रयोग बन्द हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

**डा० सुधीर राय** (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इस विधेयक के द्वारा स्वापक औषधियों के विक्रेताओं के खिलाफ कानून को और अधिक सख्त बनाया गया है।

1980 के दशक के शुरुआत में नशीले पदार्थों के सेवन का प्रचलन इतना व्यापक नहीं था लेकिन पिछले वर्षों के दौरान स्वापक औषधियों के पकड़े जाने से पता चलता है कि नशीले द्रव्यों के सेवन का प्रचलन अब बहुत अधिक हो गया है। श्रमिकों, फेरी वालों, सरकारी कर्मचारियों तथा विशेष रूप से विद्यार्थियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

महोदय, पिछले वर्ष मैंने एक मीटिंग में भाग लिया था जहां मणिपुर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री होकिशे सेमा ने स्वयं यह कहा था कि उनके राज्य में भारी संख्या में नवयुवक नशीले द्रव्यों के सेवन के आदि हो गए हैं तथा इसलिए इस बुराई को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने जरूरी हैं।

महोदय, अनुमान है कि भारत में करीब 7 लाख से अधिक लोग नशीले द्रव्यों के सेवन के आदि हैं जिसमें से करीब एक-एक लाख लोग बम्बई व दिल्ली में हैं। दिल्ली में करीब 10,000 बच्चे स्मैक का सेवन करने की लत का शिकार हैं जिसमें से अधिकांश गली मुहल्लों के आवारा बच्चे तथा मटर-गश्ती करने वाले हैं। हमने पाया है विशेषरूप से छात्र इस मादक द्रव्यों के सेवन की लत का शिकार हुए हैं। मैंने अनेक युवा मेधावी छात्रों को कालेजों या विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में अपनी पढ़ाई के दौरान नशे की लत का शिकार होते तथा अपना जीवन बरबाद करते देखा हैं। अतएव, इस बुराई का मुकाबला पूरे जोरशोर के साथ किया जाना चाहिए।

महोदय, मादक द्रव्यों के सेवन की लत तथा अपराध, दोनों में गहरा सम्बन्ध है। दिल्ली में होने वाली छोटी-मोटी डकैतियों में से एक तिहाई नशे के आदी लोगों द्वारा की जाती हैं तथा सड़क व औद्योगिक दुर्घटनाएं अकसर इस नशीले द्रव्यों की लत के कारण ही होती हैं। नशीले पदार्थों के आदी लोग अक्सर हत्याएं तक करने से भी नहीं चूकते हैं क्योंकि उन्हें स्वापक औषधियां खरीदने के लिए धन की बहुत जरूरत होती है।

भारत नशीले द्रव्यों के अवैध व्यापार का एक बड़ा रास्ता बन गया है क्योंकि भारत की सीमाएं 'गोल्डन क्रीसेंट' तथा 'गोल्डन ट्राइंगल' से मिली हुई हैं। महोदय, यह विदित है कि 'गोल्डन ट्राइंगल' जो कि थाइलैंड, लाओस तथा बर्मा के निकटवर्ती क्षेत्र में सी० आई० ए० के प्रत्यक्ष प्रोत्साहन तथा संरक्षण के अन्तर्गत 'कुओमिंगटांग इरेगुलर्स' ने अफीम का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। परन्तु हाल ही के वर्षों में 'गोल्डन क्रीसेंट' अर्थात ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के सीमावर्ती जनजातीय क्षेत्रों में अफीम की खेती बहुत अधिक की जाने लगी है। यह कहा जाता है कि वहां 12,000 किलोमीटर भूमि में अफीम की खेती होती है इस क्षेत्र का दो-तिहाई भाग पाकिस्तान में है। यह पाया गया है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है अपितु वह उन्हें मादक द्रव्यों की सप्लाई भी करता है क्योंकि हमारे देश में वर्ष 1986 में जितने मादक द्रव्य पकड़े गए थे, उनमें से 80 प्रतिशत मादक द्रव्य पाकिस्तान से आए थे। चूंकि अब 'सार्क' की स्थापना हो चुकी है और हमारा देश पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय आधार पर बातचीत कर रहा है, अत: ऐसे समय में विदेश मंत्री को मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए उपाय करने चाहिए।

मैंने अभी-अभी कहा था कि भारत बड़े स्तर पर मादक द्रव्यों की तस्करी का जरिया बन गया है। इस सम्बन्ध में 'इंटरपोल' ने कुछ आंकड़े दिए हैं। वर्ष 1987 में पकड़े गए 7.7 टन मादक द्रव्यों में से 2.7 टन भारत में पकड़े गए थे। अतएव, इन मादक द्रव्यों की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। मैं अपने से पहले वाले वक्ताओं से सहमत हूं कि यद्यपि छोटे-मोटे अपराधी, जो मादक द्रव्यों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, पकड़े जाते हैं लेकिन असली अपराधी, सफेद पोश अपराधी, जो इन गिरोहों के मुखिया हैं, उन्हें कभी नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि उनके पास काला धन होता है। ऐसे लोग अब गृह निर्माण उद्योग तथा फिल्म उद्योग में भारी मात्रा में पूंजी निवेश कर रहे हैं और उन्होंने समाज में एक सम्मानित दर्जा तक प्राप्त कर रखा है। अतएव न तो उन्हें पुलिस पकड़ती है और न ही राजनीतिज्ञ उनके खिलाफ उंगली उठाते हैं। चूंकि वे वास्तविक अपराधी हैं, अत: मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पुलिस के लम्बे हाथ उन तथाकथित सम्मानीय लोगों तक पहुंच सकें। इन अपराधियों को अवश्य ही पकड़ा जाना चाहिए तथा उन्हें कारागार में भेजा जाना चाहिये।

मैं यह भी दलील देना चाहूंगा कि जहां तक हो सके, इन मामलों को निपटाने के लिए अधिक से अधिक विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिए क्योंकि जैसाकि माननीय मंत्री महोदय जानते हैं, यदि न्याय में विलम्ब होता है तो वह न्याय ही नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की है कि मुकदमों की कार्यवाही संक्षिप्त तथा शीघ्र होनी चाहिए। चूंकि विधेयक में विशेष अदालतों का प्रावधान है, अत: जहां तक हो सके इन अपराधियों के बारे में कार्यवाही करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में विशेष अदालतें बनाई जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध भी करूंगा कि नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के केन्द्र सभी राज्यों की राजधानियों में तथा यदि सम्भव हो तो जिला मुख्यालयों में भी स्थापित किए जाने चाहिए क्योंकि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। विशेष रूप से हमारा युवा वर्ग नशे की लत का शिकार हुआ है। अतएव, नशाखोरी से मुक्ति दिलाने वाले केन्द्र या क्लीनिक जिला मुख्यालयों में खोले जाने चाहिए तथा इसके साथ ही इसके प्रति जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। मुझे खुशी है कि दूरदर्शन अब इस विषय पर कार्यवाही कर रहा है लेकिन बड़े पैमाने पर जनसंचार माध्यमों का इस कार्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिससे लोग इस बारे में जागरूक हो सकें। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि नशा खोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। कलकत्ता में फूलका बेचने वाले जब छोटे बच्चों को खाद्य पदार्थ बेचते हैं तो उसमें 'ब्राउन शुगर' मिला देते थे। जब सरकार ने स्कूली बच्चों को फुचका बेचने पर रोक लगाई तो वहां लोगों ने आंदोलन किए थे। लोगों ने फुचका बेचे जाने पर रोक लगाने के लिए सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे।

अतएव, आवश्यकता इस बात की है कि इन मादक द्रव्यों के निर्माताओं के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किए जाएं। मैं अपने से पहले के वक्ताओं की इस बात से भी सहमत हूं कि वास्तव में, औषधियों का उत्पादन कर रही अनेक कम्पनियां नशीले द्रव्यों के व्यापार में लगी हुई हैं तथा परिणामस्वरूप लोग नशाखोरी के शिकार हुए हैं। अतएव, उन कम्पनियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

**डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर)** : डिप्टी स्पीकर महोदय, ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या उससे ज्यादा गम्भीर है, जितनी कि सरकार या हम लोग समझते हैं। यह समस्या दिल्ली के लिए

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

ज्यादा गंभीर है, बनिस्बत किसी और जगह के। हम गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायेंगल के बीच में हैं। गोल्डन क्रिसेण्ट में अफगानिस्तान, ईरान, टर्की और पाकिस्तान आते हैं। हम रे भाई ने ठीक कहा कि पाकिस्तान में तो हजारों एकड़ में खुले-आम कोकीन की खेती होती है और ऐसा ही अफगानिस्तान में होता है। यह सारी नशीली दवाइयां नारकोटिक्स की दिल्ली होकर विदेशों में जाती हैं। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि दिल्ली में, खासकर साउथ दिल्ली में बहुत से नियो रिच हो गये हैं, अचानक उनकी बड़ी कोठी हो जाती है, अचानक -10 इम्पोर्टेड गाड़ियां हो जाती हैं। लोग व्हिस्परिंग करते हैं कि ये नारकोटिक्स में डील कर रहे हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उनको छुएं। सरकार को पता है, कम से कम पुलिस को तो पूरा पता है मैं एक वाकया अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से कहता हूं। दक्षिण दिल्ली के जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, उसके यहां एक दिन अचानक बहुत बड़ी रेड हो गई, पता चला कि उसके यहां गांजा निकला था, जब पुलिस आई। पुलिस एक दिन पहले उस आदमी को इन्फार्म करके चली गई कि कल तुम्हारे घर रेड होगी और दूसरे दिन रेड का तमाशा हुआ और कहा गया कि इसके यहां नारकोटिक्स तो कोई रख गया था। इनके यहां एक नौकर था, जिसको इन्होंने निकाल दिया था, वह दुश्मनी से रख गया। यह तो बड़ आदमी हैं, यह नारकोटिक्स का काम क्यों करेंगे, यह नशीली दवाइयों का काम क्यों करेंगे और बड़े आराम से वह छूट गये। उस पाप को धोने के लिए उन्होंने भगवती जागरण कर दिया और सारा मामला खत्म हो गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जब लोग ओवर नाइट अरबपति बन गये हैं, करोड़पति नहीं अरबपति बन गये हैं।

सरकार को मालूम है लेकिन उन लोगों पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं 1985 के एक्ट के अन्दर ही आपको इतनी ज्यादा पावर्स थीं कि अगर आप ऐक्शन लेते तो दूसरा बिल लाने की जरूरत ही नहीं होती। मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि आप कानून एक से एक बना दीजिए लेकिन अगर आप उनको इम्प्लीमेण्ट नहीं करते तो उनका कोई मतलब नहीं है। आपने इसमें प्राविजन किया है कि सेकेंड आफेंस जब कोई करेगा तो डेथ-पेनाल्टी दी जायेगी। साउथ ईस्ट-एशिया के कई देशों में ऐसे प्राविजन हैं कि फर्स्ट एक्ट के लिए ही डेथ पेनाल्टी है। मैं कहता हूं यहां पर आप सेकेंड आफेंस पर ही किसी को डेथ-पेनाल्टी कराइये और अगले साल सरकार हमें यहां पर बताई कि कितने लोगों को डेथ-पेनाल्टी मिली। लोग सीना तानकर नशीली दवाओं का व्यापार करते हैं, करोड़पति और अरबपति बनते हैं और कानून से बचकर साफ निकल जाते हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं होता है क्योंकि वे मामूली लोग नहीं होते हैं, उनके हाथ बड़े मजबूत होते हैं। यदि सरकार में बिल है तो सरकार इसे इम्प्लीमेंट करायें।

आपने इसमें एक लाख रुपए का फाइन रखा है। मैं कहता हूं कि जो लोग नशीली दवाओं का व्यापार करते हैं, उनके लिए एक लाख रुपया क्या होता है? आप ही दिनरात टी० वी० पर दिखाते हैं कि करोड़ों की हशीश पकड़ी गई। मेरा खयाल है यदि सरकार इस देश को बचाना चाहती है, देश के युवावर्ग को बचाना चाहती है, तो ऐसी कड़ी सजा दे जिससे कि इसका व्यापार करने वाले आदमी दूसरों के लिए उदाहरण बन जायें कि जो इस तरह का व्यापार करेगा, जो ड्रग ट्रैफिकिंग में इंवाल्व्ड पाया जायेगा उसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं है उसकी सारी सम्पत्ति को जब्त किया जाए। आपने इस बिल में प्रापर्टी सीजर का प्राविजन किया है लेकिन होता क्या है। जब किसी की प्रापर्टी सीज होनी होगी, उससे पहले ही आकर लोग उसे बतला देंगे कि भाई तुम जल्दी से अपनी प्रापर्टी हटा दो क्योंकि

तुम्हारी प्रापर्टी सीज होने वाली है। और जब उसकी सीज होगी तब कहा जायेगा कि इसके पास तो लायबिलिटी ही लायबिलिटी है, असेट्स हैं वहां, कौन सी प्रापर्टी इसकी सीज की जाये ? तो इस समस्या को काफी गम्भीरता से देखना चाहिए। मैं तो एक छोटी सी बात कहूंगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट कराईये। 1985 के ऐक्ट को ही इम्प्लामेंट कराइये। मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जिन जिन को सजा मिली है आप उनके कारनामे टेलिविजन पर दिखला दीजिए। आज टेलिविजन बड़ा पावरफुल मीडियम बन गया है। आप उस पर दिखाइये कि अमुक सज्जन ने ड्रग ट्रैफिकिंग की और उसको यह सजा मिली। फिर आप देखेंगे कि इसमें कितनी कमी आती है।

हमारे कई भाइयों ने यहां पर कहा कि इन ड्रग्ज से हमारे युवा वर्ग को कितना नुकसान होता है। मैंने अपनी आंखों से लोगों को मरते देखा है। जो यंग लड़के हैं यूनिवर्सिटी और कालेज में पढ़ने वाले, जो ड्रग लेते हैं, वह बड़ा झूठ बोलते हैं। मैंने बहुत से लड़कों से पूछा कि भाई तुम ड्रग लेते थे या अब लेते हो तो कहा नहीं जी, हम तो कभी नहीं लेते थे और न आज ही लेते है। लेकिन उनकी हरकतों से पता चल जाता है कि वे ड्रग लेते हैं। मैंने उनको घुटघुट कर मरते देखा है और उनकी फैमिली को बरबाद होते देखा है।

चीन में सेकेन्ड वर्ल्ड वार के पहले चीन को अफीमचियों का देश कहा जाता था। उनकी पूरी जेनरेशन बरबाद हो गई थी। चीनी लोग अफीमची कहलाते थे लेकिन क्या हुआ ? पूरे वेस्ट को सफीयर आफ इन्फ्लूएन्स बनाकर अपनी परिधि में कर लिया था। लेकिन आखिर में चीन में कुछ नेता निकले जिन्होंने अफीम के व्यापार करने से मना किया और आज आप देख रहे है कि चीन कितना बड़ा राष्ट्र बन गया है।

एक बात और कहना चाहूंगा। आपने इसमें एक फण्ड बनाने की योजना बनाई है। इसमें सेण्ट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। मैं कहूंगा कि आज यह बीमारी बहुत तेजी से इण्डस्ट्रियल वर्कर्स में फैल गई है।

इससे इन्डस्ट्रियल वर्कर्स का नुकसान तो होता ही है और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स का भी नुकसान होता है, क्योंकि इसका असर उनके प्रोडक्शन पर पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर लेवी लगाए, इससे जो पैसा मिले, उसको इस फण्ड में जमा करे, जिससे ड्रग एडिक्शन बन्द हो।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ही सीरियस प्राब्लम है और समय रहते हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।

[अनुवाद]

**श्री तम्पन थामस** (मवेलिकरा) : महोदय, निश्चय ही मैं सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का तथा नशाखोरी के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करने वाले इस विधेयक का स्वागत करता हूं : यह एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। जिसका सामना हमारे देश को विश्वविद्यालयों, फैक्टरियों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों में दो रही नशाखोरी के मामले में करना पड़ रहा है।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। जहां पर इन नशीली दवाओं का सेवन होता है है तथा नशीली दवाइयों का व्यापार होता है, उनका पता लगाने के लिए गम्भीर प्रयास किए जाने चाहिए। कुछ प्रयास किए गए है। इस विधेयक में भी अथवा मूल अधिनियम में नशाखोरी को रोकने

[श्री तम्पन थामस]

हेतु सख्त कदम उठाने के लिए तथा नशीले पदार्थों के व्यापार एवं प्रयोग वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय व उपबन्ध हैं। मैं इस विधेयक के एक उपबन्ध के बारे में, विशेषरूप से संपत्ति को जब्त करने के बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा आप इससे अर्जित की गई सम्पत्ति का पता कैसे लगाएंगे। जब तक इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध या सामान्य कानून न हो कि व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना जरूरी है, तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति ने मादक द्रव्यों के व्यापार से कुछ सम्पत्ति बनाई है। वह आसानी से यह कह सकता है कि यह उसने किसी अन्य तरीके से अर्जित की है। वह इसके कई अन्य स्रोत बता सकता है। अतएव, व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अपनी सम्पत्ति की घोषणा करे। जब तक सम्पत्ति की घोषणा नहीं की जाती है, तब तक आप उसकी सम्पत्ति को इस व्यापार द्वारा अर्जित सम्पत्ति कैसे कह सकते हैं।

ऐसा केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जिसका दोष सिद्ध किया जा चुका हो और यह भी सिद्ध हो चुका है कि उनके द्वारा धन अर्जित किया गया है। उसके लिए क्या उपबन्ध हैं? इन सब उपबन्धों से सिर्फ प्रचार होगा ना कि उनका परिपालन। इससे सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि हम यह नहीं जान पायेंगे कि धन नशीली दवाइयों के व्यापार से कमाया गया है। इसलिए, एक ऐसा उपबन्ध होना चाहिए जिसके द्वारा धन को बाहर लाया जा सके। क्या सरकार समाज के इस नये वर्ग का अध्ययन करेगी जो ऐसे धन पर प्रकाश में आया है? श्री राजहंस ने भी इस बात की ओर इंगित किया था कि लोग बड़े-बड़े मकान, बंगले बना रहे हैं और नये उद्योग लगा रहे हैं। वे कहां से और कैसे वह धन लाते हैं? क्या इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं? जब तक हम इस दिशा में सही प्रयत्न नहीं करते, यह पता लगाना सम्भव नहीं हो सकता।

मैं एक दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि नशीली दवाईयों की विभीषिका के प्रति लोगों को जागरुक करने में स्वैच्छिक संस्थाओं को भी भाग लेना चाहिए। हम लोग उसमें समर्थ नहीं हो पाये हैं। हम लोगों ने स्वैच्छिक संस्थाओं को इसमें भाग लेने के लिए आगे लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। हां, मद्यनिषेद्ध के सम्बन्ध में स्वैच्छिक संस्थाओं जैसे मद्य विरोधी समितियों और सभी लोगों ने जो लोगों को इस सम्बन्ध में शिक्षित कर रहे हैं, इस दिशा में काम किया है। लेकिन अत्यधिक कठिनाईयां होने के कारण, अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिए। साथ ही कानून और कार्यान्वयन संबंधी व्यवस्था के अलावा सरकार को इस बात के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसी संस्थाओं को समुचित सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे हरेक जगह चेतना उत्पन्न की जा सके। उन्हें लोगों के दिमाग में ऐसी धारणा उत्पन्न करनी चाहिए जिससे इसके गम्भीर प्रभावों के प्रति उनमें चेतना जगाई जा सके और उन्हें जागरुक किया जा सके। इसके अलावा, उन कड़े उपायों के साथ-साथ जो हम अपना रहे हैं, हमें लोगों को इसकी विभीषिका और भयंकर परिणामों और समाज के गहरे पतन में गिरने के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जो भी सुविधाएं इस सम्बन्ध में उपलब्ध हैं जैसे प्रचार माध्यम और दूसरी चीजें, हमें उसका उपभोग इस संदर्भ में करना चाहिए।

पश्चिमी देशों के तरह ही हमारा राष्ट्र भी कुछ हद तक इस नशीली दवाईयों के सेवन से ग्रस्त हो गया है। हाल ही में जब मैं अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के दस देशों के सम्मेलन के लिए जकार्ता में सम्मलित हुआ था तो इनमें से कुछ समस्याओं पर विचार किया गया था, खासकर एशिया के देशों के बारे में उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों में से एक यह थी कि नशीली दवाईयों के आदी लोग उसके शिकार बने हैं और उनके साथ सहानुभूति रखना और उन्हें सुधरने का अवसर

प्रदान करना चाहिए और उसे सुनिश्चित करना चाहिए। ये सिफारिशें अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन द्वारा की गई हैं। उन्हें अपंग समझकर रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। महोदय, इस सम्बन्ध में हमें दो अलग-अलग मार्ग अपनाने चाहिए। एक उनके सम्बन्ध में जो इसका अवैध व्यापार कर रहे हैं और पैसा कमा रहे है तथा दूसरा उन गरीब लोगों के सम्बन्ध में जो उसके शिकार हुए हैं। हमें दोनों का अध्ययन करना चाहिए। हमें उन शिकार हुए लोगों को पुन: समाज में लाना होगा और साथ ही गुनाहगारों को कड़ी सजा देनी होगी। महोदय, छोटे से देश मलेशिया में भी इसके लिए मृत्यु-दंड की सजा है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके लिए मृत्यु-दंड एक अच्छा कदम है। परन्तु उससे भी अधिक कठिन दंड दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, शोभराज भारत में शरण ले रहा है और अगर वह वापस थाईलैंड गया, तो उसे फांसी पर लटका दिया जायेगा, क्योंकि वहां पर उसके खिलाफ एक मामला है। अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी हमारे कानून की शरण लेते है। एक बार वह किसी मामले में कहीं भी अभियुक्त होता है तो वह इस देश में शरण लेकर अपनी सुनवाई स्थगित कर सकता है, जबकि अगर वह उस जगह वापस चला जाए जहां उसने गुनाह किया है, तो उसे फांसी पर लटका दिया जावेगा। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस दिशा में कड़ा कदम उठाना होगा।

महोदय, मुझे मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें वन क्षेत्र के बारे में कहनी है, खासकर उस क्षेत्र के बारे में जहां अत्याधिक वर्षा होती है अफीम गांजा और ऐसे पौधों गैर-कानूनी तौर पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में उपजाये जा रहे हैं कुछ वर्गों के लोग इसमें लगे हैं। इन पौधों का पता लगाकर उन्हें सम्पूर्णतया नष्ट करना चाहिए। इस कार्य के लिए, विभिन्न अभिकरणों को अधिकार दिए जाने चाहिए। मैं तो केवल यह सुझाव दे रहा हूं कि कानून करने वाले संगठनों को इन सभी चीजों से सम्बद्ध करना होगा और एक कार्यकारी बल का निर्माण करना होगा। इस कानून को लागू करने की दिशा में भरकस प्रयास किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्रीमती प्रभावती गुप्त** (मोतीहारी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाला जो विधेयक हमारे मंत्री महोदय ने इस सदन में प्रस्तुत किया है, वह बहुत स्वागत-योग्य है।

मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस उद्देश्य और आदर्श को लेकर यह विधेयक लाया गया है, वह बहुत अच्छा है। पूरे देश में और पूरी दुनिया के अन्दर आप देखिये, तो आप पायेंगे कि नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोग बढ़ रहे हैं और एक अजीब समस्या इस से पैदा हो गई है। यह रोग सारी दुनिया में व्याप्त है चाहे वे देश गरीब हों या अमीर हों और चाहे विकसित हों या अर्द्ध-विकसित हों लेकिन हमारे गरीब देश में यह समस्या बहुत भयानक रूप से बढ़ रही है। 1985 में जो कानून नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोकने के लिए बना था, मैं ऐसा समझती हूं कि यदि कठोरता से उसका पालन हुआ होता और जो प्रावधान उस कानून में हैं, उनका ठीक से पालन किया होता, तो वह अपने आप में इतना सक्षम है कि बहुत हद तक नशीली दवाओं का सेवन रुक जाता और जो स्मैक हेरोईन आदि चीजों की तस्करी होती है, उसको आप रोक सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि कठोरता से उसका पालन नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या वे इस सदन को आश्वस्त करेंगे, एस्योर करेंगे कि जो यह संशोधन 1988 में आप ला रहे हैं, उसका कठोरता से पालन होगा और जिस मकसद से और जिस उद्देश्य से यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, वह वास्तव में पूरा होगा। तस्करी क्यों होती है। इसके पीछे कई कारण है। इसका मेन कारण यह है

[श्रीमती प्रभावती गुप्त]

कि यह सबसे आसान तरीका है पावर और मनी को हासिल करने का। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि आज हमारे देश में बड़े-बड़े राष्ट्रीय गिरोह हैं, जो तस्करी का धन्धा करते हैं और यह धन्धा करके आगे बढ़ जाते हैं। इसकी हमें कोई परवाह नहीं है लेकिन परवाह तब होती है जब पूरे समाज के अन्दर यह विष फैल रहा है, जहर फैल रही है, यह कटुता फैल रही है और विशेषतौर पर हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है, जो भविष्य के भारत निर्माता हैं, वे इसका बड़ी मात्रा में सेवन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ही बड़ी आकांक्षा लेकर मां बाप के दुलारे बच्चे यूनिवर्सिटी में और कालेजों में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और इस तरह की गन्दी आदतें लेकर यहां से जाते हैं। पहले स्वाभाविक रूप से इनको लेने का काम शुरू होता है, बाद में आदत बन जाती है जो छूटती नहीं है।

आपने पहले विधेयक में प्रावधान किया है कि तस्करी को रोकने के लिए सख्त कानून बनायेंगे और जो लोग बच्चे, युवा, वृद्ध इससे प्रभावित हैं, उनको इसके प्रभाव से मुक्त कराने के लिए जगह-जगह चिकित्सालय खोले जायेंगे। लेकिन इस तरह के चिकित्सालय काम नहीं कर रहे हैं और जहां पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में प्रभावित लोगों को पता नहीं है। इसके लिए समाज सेवी संस्थाओं और स्वयं सेवी संस्थाओं को यह काम सौंपा जाना चाहिए, तभी इसका मकसद हल हो सकता है।

मैं जिस इलाके से आती हूं वह नेपाल के नजदीक रसोल का इलाका है। वहां पर हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हजारों ट्रक गांजे, हेरोइन, स्मैक से लदे हुए पार हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा देने से उनका काम हो जाता है। इसको रोकने के लिए 85 में बिल लाया गया, अभी और प्रावधान हो रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने जो यह काम हो रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, क्या कदम उठाने आप जा रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रावधान किया है, एक कोष की स्थापना करने आप जा रहे हैं, इसका स्वागत है, लेकिन इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए आप क्या करने जा रहे है, यह मैं जानना चाहती हूं। आपने इसमें पहली बार अपराध करने पर एक लाख रुपया जुर्माना और दूसरी बार अपराध करने पर मृत्युदण्ड का प्रावधान किया है, आपने उनकी संपत्ति जप्त करने की बात भी कही है, यह भी स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मैं तो यहां तक कहना चाहती हूं कि जो हमारे नौजवानों का भविष्य और इस देश का भविष्य अंधकारमय करने में लगे हुए हैं, रातों रात धनवान बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तो पहली बार अपराध करने पर ही मृत्यु-दण्ड दे दिया जाना चाहिए। इन लोगों की खोज ईमानदारी और निष्पक्षता से की जानी चाहिए। कई हाजी मस्तान राजनेताओं की शरण में हैं, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को पकड़ने के लिए आप क्या करने जा रहे है। इन गिरोहों के पास बहुत ताकत है अमरीका जैसे देश को ये प्रभावित किए हुए हैं, इनके प्रभाव को रोकने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं।

इन सब प्रावधानों के अलावा टी० वी० और रेडियो आदि माध्यमों का इस क्षेत्र में लाभ उठाइए, उनको और अधिक सक्षम बनाइए। गांवों को बिजली दीजिए, ताकि वहां के लोग भी टी० वी० देखकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन लोगों को सारी जानकारी मिल सके। प्रखण्ड अधिकारी और विलेज लेवल वर्कर्स को यह काम सौंपिए कि वे गांव-गांव में इसका प्रचार करें, जानकारी दें कि इन-इन स्थानों पर इसके प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है, आपको आदत छुड़वाई जा सकती है। कहा गया है—

कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय,
या खावत बौराए हैं, वा पावत बौराए।

यह तो सोने से भी ज्यादा महंगा है, 50, गुना महंगा है। यह भी बताया गया है कि इक्कीसवीं शताब्दि के शुरू में करीब 15 मिलियन ड्रग एडिक्ट हिन्दुस्तान में हो जाएंगे इस स्थिति को रोकने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है। मुझे तो पढ़ने का समय भी नहीं मिल पाता, जो दिमाग में आता है बोलती चली जाती हूं। आप जो कानून 1985 में लाए वह बहुत अच्छा है और अब उसमें आप और संशोधन करने जा रहे हैं, लेकिन इस बात को आप अवश्य देखिए कि आपके आफिसर लोग मिले रहते हैं। शिक्षा विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, सीमा सुरक्षा विभाग के अधिकारी मिले रहते हैं और इनकी मिलीभगत से ही सारे काम होते हैं। इनको पकड़ने के लिए आपको कठोर कदम उठाने होंगे। वैसे आपके द्वारा लाया गया विधेयक स्वागत योग्य है, हम चाहते हैं कि इसका पूरी तरह से पालन किया जाए।

[अनुवाद]

**श्रीमती जयन्ती पटनायक** (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वायक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक का समर्थन करती हूं। विशेषकर देश के महानगरीय क्षेत्रों से हर रोज नशीले पदार्थों की तस्करी और उनके दुरूपयोग के समाचार मिल रहे हैं। वर्तमान अनुमानों से यह पता चलता है कि 21वीं सदी तक डेढ़ करोड़ लोग नशीले पदार्थों के आदी हो चुके होंगे। औषध व्यसनी उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग दोनों में ही पाए जाते है तथा इनमें बच्चे और युवा शामिल है। जिस बात की आज हमें सबसे ज्यादा परेशानी है वह यह है कि विशेषकर शहरों में छात्रों में इनकी लत पड़ चुकी है। उन्होंने पहले इसे उत्सुकतावश आरम्भ किया, फिर यह एक फैशन बन गया अब उनकी आदत बन चुकी है। नशीले पदार्थों के आदी यह लोग न केवल अपनी शक्ति खो रहे है बल्कि इससे भावी पीढ़ी को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।

दूसरी बात यह है कि लगभग हर रोज ही देश में इसके अवैध आयात या निर्यात की खबरें आती रहती है। गोपालन समिति भी इस बारे में अत्यन्त चिन्तित थी और औषध नियन्त्रण के लिए एक अकेला कानून बनाए जाने का सुझाव दिया था, जिससे वर्तमान कानूनों की त्रुटियों के समाप्त होने की आशा थी ताकि कोई भी औषध तस्कर इसकी जद से बच न सके। समिति की रिपोर्ट कहती है :

> "यदि नशे की इस लत को छुड़ाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए तो स्थिति के और बिगड़ने तथा काबू से बाहर हो जाने की आशंका है।"

हम नशीली औषधों के व्यापार और इनकी तस्करी के बारे में चिन्तित हैं। हम मांग और पूर्ति का नियम जानते हैं अर्थात जहां मांग होगी वहां पूर्ति होगी। किन्तु एक और नियम है अर्थात बेचने का नियम, जो यह कहता है कि सप्लाई अपनी मांग खुद पैदा करती है और जितनी अधिक सप्लाई होगी उतनी ही मांग बढ़ेगी। यह बात नशीले पदार्थों के दुरूपयोग पर यह नियम पूरी तरह से लागू होता है और इसीलिए नशीले पदार्थों की सप्लाई को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। नशीले पदार्थों की तस्करी और इनका दुरुपयोग आपस में जुड़े है और यह सभी राजनैतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर एक बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। भारत जो पहले केवल एक मार्गस्थ स्थल था अब ऐसी बात नहीं रही है, क्योंकि इस बात के प्रमाण है कि अब देश में ही अफीम की हेरोइन में बदलने

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

का कार्य भारी पैमाने पर चल रहा है। भारत में इस व्यवसाय के प्रमुख व्यापारियों के साथ अमरीकी और इतालवी माफिया के सम्बन्ध बढ़ रहे हैं इस प्रकार, इस उत्पाद को रोकने के लिए विशेषज्ञ राष्ट्रीय एजेन्सियों के बीच निकट का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, और पुलिस द्वारा भी भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा कि लोग मुनाफे के कारण नशीले पदार्थों की तस्करी का धन्धा अपना रहे है। इस व्यापार में इतना अधिक मुनाफा है की नशीले पदार्थों से सोने से 50 गुणा अधिक लाभ प्राप्त होता है। नशीले पदार्थों से संबद्ध भ्रष्टाचार पुलिस बल के साथ तेजी से संस्थागत हो जाता है। इसीलिए आज यह स्थिति उत्पन्न हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे रोकने के लिए कोई कारगर तंत्र तैयार नहीं किया गया। पाकिस्तान हमेशा ही यह शिकायत करता रहता है कि भारत इस बुराई को कुचलने में पर्याप्त रुचि नहीं ले रहा और इसीलिए विश्व में यह समस्या इतनी भयंकर हो गई है। किन्तु आज हम यह देखते हैं कि अधिकांश हेरोइन पाकिस्तान के रास्ते आती है और इसका मूल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रान्त है। हम यह भी जानते हैं कि आतंकवादी भी नशीले पदार्थों की तस्करी के कार्य में लगे है। वह ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी गतिविधियों के लिए आसानी से धन मिल जाता है।

योरुपीय लोगों को नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में भारत के विरुद्ध शिकायत है। किन्तु नशीले पदार्थों की तस्करी से धन योरुपीय देशों द्वारा खुले रूप से कानूनी या गैर-कानूनी धन्धों में लगाया जाता है। इन योरुपीय देशों में कानून लागू करने वाली एजेन्सियां, इन मामलों में वाणिज्यिक या बैंकिंग गोपनीयता संबंधी वर्तमान कानूनों के कारण कोई भी कार्यवाही करने में असमर्थ है। पिछले मार्च में अधिकांश योरुपीय देशों और भारतीय उप-महाद्वीप के देशों के औषध प्रवर्तन एजेन्सियों के नई दिल्ली सम्मेलन में इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई। हम उस सम्मेलन के परिणामों के बारे में जानना चाहते है। क्या नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस सुझाव सामने आया है? हम जानते है कि यदि हम कानून पास करके कड़ी सजा का प्रस्ताव भी कर देते है तो भी इसे वास्तविकता का जामा पहनाने के लिए कार्यान्वयन तन्त्र की जरूरत होगी।

यह देखा गया है कि अफीम का आधिकारिक उत्पादन जितना भी हो, उसके कहीं ज्यादा यह गैर-कानूनी ढंग से उगाया जाता है। सरकारी तौर पर भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पोस्त की खेती के अन्तर्गत 3,359, हेक्टेयर भूमि से प्रति वर्ष 995 टन अफीम उगाई जाती है। इससे कहीं अधिक गैर-कानूनी रूप से उगाई जाती है। किन्तु अकेले उत्तर प्रदेश में ही 45,000 किलो अफीम की फालतू खेती होती है।

हमें बहुत खुशी है कि आप इस विधान के माध्यम से नशीले औषधों की तस्करी पर रोक लगाने जा रहे है।

जैसी कि परिकल्पना की गई है केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष न्यायालय तुरन्त स्थापित किए जाएं। न केवल यही बल्कि इससे सम्बन्धित आधारभूत ढांचा तुरन्त तैयार किया जाना चाहिए।

नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय कोष की स्थापना एक सराहनीय कदम है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा का सुझाव किया गया है।

अब एक ऐसी एकीकृत और व्यापक निवारक नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिसमें एन्टी-नार्कोटिक्स, आसूचना, राजस्व, पुलिस और चिकित्सा एजेन्सियों के समेकित प्रयत्नों की अपेक्षा हो। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के अलावा हमारा प्रमुख उद्देश्य नशीले पदार्थों की आदत छुड़ाना है, जिसके लिए तीन ओर से प्रहार करने वाली नीति की आवश्यकता है।

सबसे पहले, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और चिकित्सकीय कारणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे नशीले पदार्थों के सेवन की आदत पड़ती है।

दूसरे समाज, परिवार, पुलिस और स्वयंसेवी संगठनों के संयुक्त प्रयत्नों से नशीले पदार्थ लेने की आदत को छुड़ाने के प्रयत्न प्रारम्भ में ही किए जाने चाहिए।

अन्त में, नशीले पदार्थों के आदी लोगों की आदत छुड़ाने, उनके पुनर्वास के लिए कार्यक्रम होना चाहिए।

इसलिए, इस कानून के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर भी इस बुराई से लड़ने की जरूरत है, विशेष रूप से इसके व्यसनियों की आदत छुड़ाने की योजनाएं आरम्भ करके। इसके लिए, समाज कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना होगा ताकि प्रभावी कार्यवाही की जा सके। निवारक उपाय जरूरी है। इसके साथ-साथ तस्करों और नशीले पदार्थों का गैर-कानूनी धंधा करने वालों का पता लगाने के लिए कम्प्यूटर भी जरूरी है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए उपस्करों का आधुनिकीकरण आवश्यक है। औषध व्यसनियों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए आधारभूत ढांचा जो देश में प्रारम्भिक अवस्था में है, को सुदृढ़ बनाना होगा।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करते हुए इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां बहुत-सी बातें इस बिल में हैं, मैं खासतौर से इसके सेक्शन 59 के बारे में कहना चाहता हूं। सेक्शन 59 में आपने अधिकारियों को दण्ड देने की बात कही है कि जो अधिकारी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पायेंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस देश में किसी प्रकार की कोई ड्रग या स्मैक या हशीश तस्करी नहीं हो सकती जब तक कि अधिकारी किसी न किसी स्तर पर शामिल न हों। अधिकारियों के साथ साथ जो राजनीतिक है नौकरशाह हैं इनका भी इन्वाल्वमेंट न हो उस वक्त तक इस देश में ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं हो सकती।

[4.00 म० प०]

जब मैं यह कह रहा हूं तो मेरे सामने बम्बई में होने वाली गैंग वार्स हैं जिनमें सरे-आम प्रति दिन एक-दो या पांच लोगों की हत्याएं हो रही हैं। उन गैंगस्टर्स या क्रीमिनल्स के पास इतने औटोमेटिक वैपन्स हैं जो शायद हमारी साधारण पुलिस के पास भी उपलब्ध नहीं हैं। पोश कालोनियों में सरे-आम लोगों को मार दिया जाता है। बम्बई की मैगजीन्स और अखबारों में रोजना ऐसी खबरें छप रही हैं कि स्मगलर्स अपने अपोनैन्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए पुलिस का सहारा लेते हैं और पुलिस या दूसरे अधिकारी एनकाउन्टर दिखाकर उन लोगों को मार देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां आपने सैक्शन 59 में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रावधान किया है, उन पर एक लाख रुपये जुर्माना करने की बात कही है, जिनके खिलाफ यह साबित हो जाए कि आपके विभाग के

[श्री अजीज कुरेशी]

अधिकारी ने किसी न किसी रूप में ड्रग-क्रीमिनल्स को सहयोग दिया है, साथ दिया है, तो साथ-साथ आप उनकी सारी सम्पत्ति जब्त कर लेने की व्यवस्था भी इस बिल में कर लें, उनकी सारी प्रोपर्टी को भी फोरफीट कर लिया जाना चाहिए।

हमारे साथियों ने वैसे तो इस बिल के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कह दी हैं, डी-एडिक्शन, कौंसलिंग, उनके रिहैबिलिटेशन और यह बात भी ठीक है कि आपने मुनासिब संख्या में रिहैबिलिटेशन सैंटर्स भी कायम नहीं किए है लेकिन मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि इस लानत को समाप्त करने के लिए केवल सरकार की एजेन्सियां ही नहीं, बल्कि वालेंटरी बौडीज ही कोई नुमाया काम कर सकती हैं। आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि देश में जितनी वालेंटरी एजेन्सियां काम कर रही हैं, उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है, सहायता मिलती है, संरक्षण मिलता है, जहां किसी मंत्री की बीवी हो, किसी सैक्रेटरी की बीवी हो, किसी पूंजीपति की बीवी हो, या किसी पोश कालोनी में रहने वाले लोग हों, कोठी-बंगले में रहने वाली हों, जिन्होंने न कभी किसी का दुख देखा, न दर्द जाना, लेकिन वे कुछ मिनटों के लिए अपनी एअर-कंडीशन्ड कार में बैठकर स्लम कालोनी में आकर खड़ी हो जाती हैं और कुछ दवाइयां, कुछ मिठाइयां, कुछ कपड़े बांट कर चली जाती हैं। उनका नाम हो जाता है कि ये समाज के बहुत बड़े सोश्यल इंस्टीट्यूट को चलाने वाली महिला हैं। उनके फोटो खींचे जाते हैं और अखबारों में छपते हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि जब तक इस देश में इस तरह का पाप और अत्याचार होता रहेगा, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर वालेंटरी बौडीज चलती रहेंगी, इस इलीट को, इस धन्धे में लगे लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा, तब तक हमारे देश में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ सकता। इसे समाप्त करना ही होगा। उन संस्थाओं को कोई नहीं पूछता जो स्लम्स में रहकर कार्य करती हैं, झोंपड़ियों या गंदे स्थानों में कार्य करती हैं, जिनकी हाउस-वाइव्ज कड़ी मेहनत, मजदूरी, पसीना बहाकर रोटी कमाती हैं, उसी जगह अपना पूरा जीवन बिताती हैं। आप जो काम कराएं उन इलाकों में रहने वाले, बसने वाले, पलने वाले, जिन्दा रहने वाले लोगों से ही कराएं जो न किसी खूबसूरत कोठी बंगले का ख्वाब देखते हैं बल्कि उन्हीं स्थानों पर अपने जीवन की आखिरी श्वांस लेते हैं और वहीं उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, इस लानत को समाप्त नहीं कर पायेंगे। आप इस लानत से प्रभावित लोगों को जिस तरह से कौंसलिंग करते हैं, साइकोट्रापिक ट्रीटमैंट देते हैं, उन सैन्टर्स में रहकर जब बच्चे या विद्यार्थी अच्छे हो जाते हैं, परन्तु अच्छा हो जाने के बाद उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता कि फिर वे किस तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी योजना हो जिससे कि उन बच्चों या विद्यार्थियों को, जिनका ट्रीटमैंट किया जा चुका है, जिनका साइकोट्रापिक ट्रीटमैंट कर दिया गया है, किसी काम में लगा दिया जाए, छोटे मोटे रोजगार में लगा दिया जाए, कोई टैक्निकल ट्रेनिंग दी जाए, किसी टैक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिल करा दिया जाए, कोई नौकरी दे दी जाए, आप कोई स्कूल या कालेज ऐसा कायम कर दें ताकि वे अपने आपको वहां व्यस्त रख सकें, अपना समय व्यतीत करने लग जाएं, तब जाकर आप इस लानत को प्रभावी तरीके से दूर करने में कामयाब हो पायेंगे।

उपाध्यक्ष जी, इस बिल में आपने जो डैथ सैंटैंस का प्रावधान किया, जो व्यक्ति इस अपराध में सहयोग करेगा, मैं उसका स्वागत करता हूं और बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं वह व्यक्ति ही नहीं, बल्कि अगर आपके पास सुबूत है, अगर आप साबित करने की स्थिति में हैं, तो वे सारे लोग जो अपने

कुरीअर से काम कराते हैं, उनको बुलाकर भी आप डैथ सेंटेंस दीजिए, गोली मारिए, फांसी कराइए, तभी इनके खिलाफ डर फैलेगा और ये बात समाप्त हो पाएगी।

इसी प्रकार से आपने इस एक्ट के अन्दर इन अफेंसेस को काग्नीलेबल बनाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, मेरी शुभ कामनाएं आपके साथ है। मेरी इसके लिए दुआएं है कि जब भारत इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करे, तो इस लानत से मुक्ति मिल जाए और हम एक नई सुबह का खैरमकदम कर सकें।

[अनुवाद]

**श्री ए० के० पांडा** : मेरा सुझाव है कि प्रत्येक को सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोजनकाल समाप्त किया जाए ताकि हम इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बहस पूरी कर सकें। इसे यहां पास करके राज्य सभा को भेजना है।

**कई माननीय सदस्य** : जी, हां।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से सदन की यह आम राय है।

[हिन्दी]

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर कुछ चन्द मिनटों में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो यह संशोधन बिल यहां पेश किया है, यह ठीक ही पेश किया गया है। इसलिए भी कि 1985 में जब यह बिल बना था, तब से आज तक आप इस बिल से इस चीज पर नियंत्रण नहीं कर सके जिसके कारण आपने यह सोचा कि इसमें कुछ और भी संशोधन करके हम नियंत्रण करें, तो यह संशोधन भी अब आप इसमें लाए हैं। मृत्युदण्ड की बात भी इसमें कही गई है। यह देखने में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको एक जानकारी भी होगी क्योंकि आप हर चीज की जानकारी रखने वाले हैं, बात शहर या दिल्ली महानगर तक ही सीमित नहीं है, यह बात छोटे शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव के अन्दर झोंपड़ी तक यह पहुंच गई है। तो यह बहुत ही सोचने का विषय है। इसी प्रकार से मादक पदार्थ ग्रहण करने वाले लोग चीन में अधिकांश संख्या में जय हो गए, तो उसका क्या नतीजा निकला, यह आप सब लोग जानते ही हैं। जब इतनी मात्रा में मादक पदार्थ का सेवन लोग करना शुरु कर दें, तो देश रसातल में जाएगा ही। जो पढ़े-लिखे यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, वे भी सेवन कर रहे हैं और कल इन्हीं में से कुछ लोग आफीसर बनेंगे, कुछ राजनीतिज्ञ बनेंगे, कुछ सिपाही बनेंगे, तो ये किस प्रकार से देश को चला पाएंगे। यह चीज मांस के अन्दर जा रही है, मेहनतकश लोगों के अन्दर जा रही है, यह चीज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा देश के लिए अहितकर हो रही है। आपको मैं यह बताना चाहता हूं चीन में मादक पदार्थों के सेवन के बढ़ जाने से क्या हुआ, चीन में उत्पादन कम हो गया। जब आदमी नशे में होता चला जाएगा, तो उसके काम करने की शक्ति कम हो जाएगी। आफीसर्स में जब इस चीज की लत लग जाएगी तो उनकी भी काम करने की शक्ति कम हो जाएगी। वे भी देश के लिए काम करते हैं। हम राजनीति करते हैं, तो वह भी देश के लिए ही करते हैं। तो इस सारी चीज को देखना होगा। हम देश को कहां मादक पदार्थों के सेवन कराने की स्थिति में ले जा रहे हैं, यह बहुत ही हानिकर हो रही है।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, कोको का पौधा देश में लोग लगा रहे हैं। जहां झाड़ जंगल हैं, वहां ऐसे पौधे लगाते हैं। जहां आपकी नजर नहीं जा रही है और वहां पर वन संरक्षण करने वाले अधिकारियों की मिलीभगत और सांठगांठ से ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं थाने के कम्पाउन्ड के अंदर मैंने गांजे का पौधा देखा जिसमें 20 किलो गांजा था। वह जहांनाबाद के थाने में था। सिपाही गांजा पीता है।

ये लोग जो कर रहे हैं, मास कर रहे हैं। एक बार हमने अखबार में पढ़ा कि एक मानवीय सदस्य के यहां छापा पड़ा तो उनके ब्रीफ केस से हैरोइन निकली। हमने यह समझा कि हीरोइन तो फिल्मों में रहती हैं, इनकी पेटी में हीरोइन कैसे आ गई। बाद में उसे पढ़ा तो पता लगा कि बहुत कीमती मादक पदार्थ पकड़ा गया है।

संजीवनी सुरा नशे की चीज है, उसमें ब्राउन शुगर वगैरा मिलाकर काफी नशे की चीज बनाते हैं। यह गांव में झोंपड़ियों से जा रही है, आपको यह चिन्ता दे रही है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जांच कराइए। आप इसे दवा उत्पादन वालों को देते हैं, जितनी उसको चाहिए उतनी वह इस्तेमाल नहीं करता है, बाकी को कहां बेचता है, इसको रोकने के लिए बड़े-बड़े 10-10 और 5-5 हजार सैलरी पाने वाले आफिसर्स हैं लेकिन इसको कोई रोकता नहीं है। जब 1985 में आपने कानून बनाया तो उसके बाद तो इसको कमती होना चाहिए, इसका आपको जवाब देना चाहिए। आप इस तरह के कानून बनाते जाइए इससे यह रुकने वाला नहीं है। आपको पता नहीं होगा कि कितने आदमियों को आपने इसमें सजा दिलाई है और कितने मूल्य के मादक पदार्थ आपने पकड़े हैं। सारी चीजें आप यहां बताइए। खाली कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। लोगों ने सुन लिया कि फांसी का कानून है, आपने कहा कि सामान जब्त करेंगे, इससे जो धन अर्जन होगा उसे जब्त करेंगे। धन अर्जन कौन कर रहा है? दवा उत्पादन करने वाला धन अर्जन कर रहा है, आप खाली स्मगलर्स-स्मगलर्स मत करिए। दवा बनाने वाले आज अरबों पति बन रहे हैं। इस हाउस में और उस हाउस में हैं, आप किसको पकड़िएगा? तस्कर कौन है बड़े अफसर का बेटा ही तस्कर है। मेरा बेटा भी तस्कर हो सकता है। धन अर्जन करना है तो नहीं पकड़ सकते हैं और किसी-किसी को पकड़कर आप फांसी दे नहीं सकते है। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

आप चीन की बात याद कीजिए, चीन में इसी तरह लोगों ने मादक पदार्थों का सेवन किया, नतीजा क्या हुआ वहां? एक कप चाय के लिए एक पुड़िया ले जाना पड़ता था। वही स्थिति हमारे देश की होने वाली है। मेरा कहना है कि जो आप लागू करें ईमानदारी से लागू करें। लेकिन आप ईमानदारी से लागू नहीं करते हैं। इस देश में जितनी बुराइयां आ रही हैं सब राजनीतिक संरक्षण से आ रही हैं। अगर इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिले तो हमारा देश स्वर्ग बन सकता है। सबसे गन्दे राजनीतिज्ञ लोग हैं जो इनको आगे बढ़ाते हैं और धन अर्जन करते हैं। यही कहकर मैं बैठ रहा हूं।

[अनुवाद]

**श्री एम० डोम्बी सिंह** (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस चर्चा का महत्व सिर्फ बौद्धिक ही नहीं है अपितु इससे बढ़कर कुछ और भी है। यह चर्चा स्वापक औषधियों व मन पर प्रभाव डालने वाले द्रव्यों की तस्करी को रोकने पर पिछले सत्र के दौरान हुई चर्चा के एकदम बाद हो रही है। मैंने कुछ सुझाव दिए थे जैसे पकड़े गए नशीले द्रव्यों को सार्वजनिक रूप से नष्ट किया जाना। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि उसे सुस्पष्ट रूप से इसमें समाविष्ट किया गया है। मैं इस विधेयक का एक अन्य कारण से भी समर्थन तथा स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें धन के लिए भी व्यवस्था की गई है। मैं इस पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

मेरा राज्य इस 'गोल्डन ट्राइएंगल' की जकड़न में है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस 'ट्राइएंगल' में 'गोल्डन' क्या है सिवाय इसके कि इससे मानव जाति का तथा सभ्यता का नाश हो रहा है। मेरे राज्य मिजोरम तथा मणिपुर दोनों सीधे-सीधे इस 'गोल्डन ट्राइएंगल' का शिकार बने हुए हैं।

इस सत्र के शुरुआत में एक बार मैंने माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न किया था कि कितनी मात्रा में यह मादक द्रव्य पकड़े गए हैं तथा उन पकड़े गए द्रव्यों का क्या किया गया है ? इन मादक द्रव्यों के पकड़े जाने में कितने अधिकारियों तथा इससे सम्बन्धित कितने लोगों को दण्ड दिया गया है ? ऐसा कहा गया था कि नाममात्र को मादक द्रव्य पकड़े गये हैं।

महोदय, यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत में इन स्वापक औषधियों की भारी मात्रा में तस्करी की जा रही है लेकिन यदि आप किसी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी से पूछें तो वह कहेगा कि यह बहुत थोड़ी मात्रा में हो रही है तथा इसका कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चीजें भारी मात्रा में लाई जा रही हैं। इन्हें पकड़ा जाना चाहिए तथा सम्बन्धित लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। यह मात्रा युवकों का जीवन तबाह करने के लिए काफी है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है जहां प्रत्यक्षरूप से 'गोल्डन ट्राइएंगल' सक्रिय है तथा अनेकों युवा लड़के-लड़कियों के भविष्य को नष्ट कर रहा है।

मैं एक अन्य बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा वह है इसमें फार्मासिस्टों को भी इसमें लगे हुए हैं। इनमें से कुछ फार्मासिस्ट एजेंटों के रूप में संवेदनशील क्षेत्रों में सक्रिय है। वे लोग खुले आम आबकारी विभाग तथा सम्बन्धित अधिकारियों की आंखों के सामने यह मादक द्रव्य बेच रहे हैं।

महोदय, जो अधिकारी यह मादक द्रव्य पकड़ता है उसका हिस्सा क्या होता है। मान लीजिए कोई तस्कर जिसके पास 10 लाख रुपये की कीमत के मादक द्रव्य है वह किसी कांस्टेबल या जूनियर अधिकारी के सम्पर्क में आता है जो एक ओर उसकी इज्जत बचाने के लिए लूट के माल में हिस्सा बांटने के लिए तैयार है तथा दूसरी ओर अवैध माल को बचाने के लिए तैयार है तो वह तस्कर अपने अवैध माल की आधी कीमत तक उसे देने के लिए तैयार हो जायेगा। अत: जो लोग ड्यूटी पर होते हैं उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए ताकि वे लोग ऐसे जाल में न फंसे।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ दवाओं में स्वापक औषधियों का कुछ अंश होता है तथा मेरे क्षेत्र के बहुत से युवा लड़के-लड़कियां यह जानते हैं कि यदि वे एक निश्चित मात्रा में यह दवाएं लें तो उन्हें जितना नशा चाहिए उतना हो सकता है। फिनसिडल तथा फेनार्गन जैसी साधारण दवाइयों का भी सेवन सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों द्वारा भारी मात्रा में किया जाता है। वे इनका सेवन इस हद तक करने लगे हैं कि कुछ फार्मासिस्टों को कहा गया है कि वे ये दवाएं बिना किसी डाक्टर की लिखित पर्ची के न दें।

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

इस विधेयक में एक खण्ड है जिसमें एक निधि बनाने और उसके लिए एक शासी निकाय गठन करने का प्रावधान है । कोष बनाने के प्रावधान का स्वागत है लेकिन जो शासी निकाय बनाया जा रहा है उसका सभापति अतिरिक्त सचिव होगा । मैं नहीं समझता कि ऐसा करने से समिति प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगी । जब इसका सभापति पद में सचिव से कम दर्जे का होगा तो सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । अत: मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस समिति का सभापति या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जज हो अथवा भारत सरकार का कोई सचिव हो । सिर्फ तभी यह निकाय प्रभावी रूप से कार्य कर सकेगा । नशीली दवाओं सम्बन्धी अपराधों के लिए तमाम दाण्डिक उपबन्धों अथवा पकड़े गए माल को, उसकी सूची बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर नष्ट करने आदि के उपायों के अतिरिक्त इस सारे कार्य में समन्वित दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए । सारे देश में अपराधियों तथा पीड़ित व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ।

एक सुझाव यह दिया गया है कि जिला मुख्यालयों, राज्यों की राजधानियों, मैट्रोपोलिटन शहरों तथा बड़े शहरों में—जिन स्थानों में कहीं कुछ जटिलताएं हैं—वहां कुछ पुनर्वास केन्द्र खोले जाने चाहिए । अभी तक इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं । ऐसा कहा गया है कि यह कोष जिसका गठन किया जा रहा है उसका प्रयोग मादक द्रव्यों की तस्करी पर नियंत्रण पाने के लिए किया जायेगा । आखिरकार, सरकार के पास इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए अपने नियमित विभागों के जरिए जो रोजमर्रा के उपाय हैं वे तो हैं ही । जब पकड़े गए माल तथा जब्त की गई सम्पत्ति से धन इकट्ठा किया जायेगा तो हम चाहेंगे कि ऐसे धन को सिर्फ पुनर्वास कार्यों पर लगाया जाए जिसे करना अभी बाकी है । अत: इस मामले में, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि इस धन का उपयोग सिर्फ पुनर्वास उपायों के लिए तथा बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए ।

पिछले सत्र में, जब मैंने स्वापक औषधियों तथा मन पर प्रभाव डालने वाले द्रव्यों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने से सम्बन्धित विधेयक के सम्बन्ध में भाषण दिया था, तो मैंने यह कहा था कि प्रचार तंत्र दूरदर्शन आकाशवाणी तथा अन्य संचार साधनों का उपयोग नशीली दवाओं के विरुद्ध प्रचार के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए । मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ किया जा रहा है वह खराब है । दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से नशीली दवाओं के बारे में वैसे ही गहन कार्यक्रम प्रसारित व प्रचारित किये जाने चाहिए जैसे कि परिवार कल्याण के सम्बन्ध में किये जाते हैं । एक ओर कुछ लोग रातों रात अमीर हो गये हैं तो दूसरी ओर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में जहां कहीं भी लोगों को बहकाया जा सकता है, हमारे बच्चों को बरबाद कर दिया गया है तथा हमारा भविष्य खतरे में है । इस पर समन्वित रूप से कार्य होना चाहिए तथा इस निधि का उचित रूप से उपयोग होना चाहिए । श्री पांजा, इस कोष का गठन करते समय तथा इसके शासी निकाय के गठन के सम्बन्ध में आपकी अनुपस्थिति में मैंने सुझाव दिया था कि इसका सभापति कम से कम भारत सरकार का सचिव पद का अधिकारी होना चाहिए ।

**श्री ए० के० पांजा** : मेरे सहयोगी ने यह बात पहले से ही नोट कर ली है ।

**श्री एन० टोम्बी सिंह** : इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

[हिन्दी]

**श्री बुद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, दि नारकोटिक्स ड्रग एण्ड साइकोट्रिक सब्सटेंसेज एमेण्डमेंट बिल, 1988, जो सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

इसके सब क्लाजेज को मैंने पढ़ा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसमें बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। जो कानून 1985 में बना था उसकी शक्ल में ही परिवर्तन कर दिया गया है और इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले कानून में जो कमजोरियां थीं वह काफी हद तक दूर कर दी गई हैं। मेरे क्षेत्र में भी इस प्रकार के केसेज हैरोइन के कोर्स में चल रहे थे और कोर्स में चल रहे उन केसेज में लोगों का एक्विटल हो रहा था, वह बरी हो रहे थे, टैक्नीकल मैटर्स पर बरी हो रहे थे। उनकी पहले बेल भी हो जाती थी, टैक्नीकल मैटर्स पर लेकिन अब कानून इतना सख्त बनाया गया है कि एक लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की सजा। पहले अपराधी अपराध करते हुए भी बच जाता था, वह कानून में पला होने के कारण बच जाता है, तो यह जो एक बड़ा भारी डिफैक्ट था, उसके कारण वह बच जाता था, मैंने इसका गहराई से अध्ययन और मनन किया है, पहले जो डिफैक्ट्स थे, उनको इसमें काफी ठीक कर दिया है और इस कानून में कान्नीजेबुल नॉन बेलेबुल आफेंस क्लियरली घोषित कर दिया है, पहले यह नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता कि पहले कानून में यह प्रोवीजन क्यों नहीं था, इसको तो हर एक आदमी समझ सकता है लेकिन आप अधिकारियों पर निर्भर करते हैं और अधिकारी जिस प्रकार का बिल प्रस्तुत कर देते हैं, ड्राफ्ट बनाकर, आप उसको कानून की शक्ल में प्रस्तुत कर देते हैं। यह एक स्थिति बन गई है कि ऐसे महत्वपूर्ण कानून को हम सलैक्ट कमेटी में प्रस्तुत नहीं करते, अगर प्रस्तुत करते तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। अब मेहनत करके यह महत्वपूर्ण कानून में संशोधन कर दिया है इसलिए इस कानून की शक्ल अच्छी हो गई है।

इस समय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में अफीम कतई पैदा नहीं होती···परन्तु अफीम का जितना सेवन हमारे यहां की जनता कर रही है उतना देश में और कहीं भी नहीं कर रही है। आज तो वहां पर स्थिति यह बन गई है कि यदि किसी के यहां मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में कोई भी आदमी उसके यहां पहुंचे तो उसको अफीम आफर की जाती है। और अगर किसी के यहां शादी हो तो भी अफीम आफर की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी ने अफीम का सेवन किया तो वह उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शगुन होगा, उसके भाग का सितारा चमकेगा। अफीम के सेवन को इस प्रकार से मान्यता दी जाती है। अगर दो दुश्मनों के बीच में काम्प्रोमाइज होता है तो अफीम का सेवन करके कम्प्रोमाइज किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति वहां पर बनी हुई है। इस सामाजिक बीमारी को किस प्रकार से दूर किया जाए—हमारे सामने यह सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे कानून का क्रियान्वयन ठीक तरह से नहीं होता है। हमारे साथी जो कोटा और झालावाड़ में आते हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा था। हमारे किसान कह रहे थे कि आप अफीम की खेती करते ही क्यों हो। जब अफीम पैदा ही नहीं होगी तो उसके सेवन का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त कर रहा था। अफीम की खेती के लिए लाइसेंस तो लेते ही हैं और लाइसेंस लेकर आधा बीघा या कुछ थोड़े एरिया में अफीम की खेती करने की पर्मीशन दी जाती है और उसमें पैदा हुई अफीम गवर्नमैंट द्वारा खरीद ली जाती है। तो जब अफीम सरकार द्वारा खरीद ली जाती है फिर हमारे क्षेत्र में कैसे आती है? एक बात तो यह हो सकती है कि उसकी अन-अथराइज्ड कल्टिवेशन की जाती हो या फिर गवर्नमैंट को देने के लिए अफीम

[श्री बुद्धि चन्द्र जैन]

की जितनी तादाद फिक्स्ड होती है उसके देने के बाद उनके पास सरप्लस रह जाती है जिसको वे ब्लैक में बेच देते हैं। इस प्रकार अनअथराइज्ड कल्टिवेशन के द्वारा और सरप्लस पैदावार होने पर वह अफीम हमारे क्षेत्र में आती है और बड़ी तादाद में आती है। तो इसको रोकने के लिए उपाय करने चाहिएं।

अफीम विशेष रूप से मध्य प्रदेश में पैदा होती है। मेरा निवेदन है कि अफीम की खेती कम से कम की जाये। सिर्फ दवाइयों के पर्पज के लिए ही अफीम की खेती की जाये और किसी भी प्रकार से सरप्लस या अन-अथराइज्ड प्रोडक्शन किसी भी दूसरे क्षेत्र में न जा सके — इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिए। इसको या तो आप कन्ट्रोल कर सकते हैं या राज्य सरकारें कन्ट्रोल कर सकती हैं। इस संबंध में जो भी लूपहोल्स हों उनको दुरुस्त किया जाये और सारी व्यवस्था को ठीक करने का प्रबन्ध किया जाये।

इसके साथ मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में कुछ वालंटरी आर्गेनाइजेशन्स लोगों की अफीम खाने की लत छुड़वाने का काम करती हैं और वेलफेयर डिपार्टमेंट उनकी मदद करता है। वेलफेयर डिपार्टमेंट जितनी भी मदद करे, मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से यह है कि हमारे क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर या पंचायत समिति के लेवल पर जो भी अस्पताल और डिस्पेंसरीज हैं वहां पर सभी जगह इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर डाक्टर्स को विशेष रूप से इसी काम के लिए रखा जाए और वहां पर पूरी मेडिसिन्स का प्रबन्ध भी किया जाये। केन्द्रीय सरकार इसमें पूरी मदद करे और यह प्रोसेस हमेशा के लिए चलना चाहिए। वालन्टरी आर्गेनाइजेशंस जो भी मदद करें वह अलग बात है परन्तु प्रत्येक हास्पिटल और डिस्पेंसरी में कंटिनुअसली यह प्रोसेस चलना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत ज्यादा तस्करी हो रही है। पुलिस के पास इतने साधन, जीपें वगैरह नहीं हैं कि वे पूरी तरह से कन्ट्रोल कर सकें। वैसे पुलिस की पर्फारमेंस अच्छी है। बी० एस० एफ० की पर्फारमेंस अच्छी है लेकिन सबसे ज्यादा खराब पर्फारमेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज डिपार्टमेंट की है।

इस बात की मैंने पूरी जानकारी कर ली है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कस्टम डिपार्टमेंट में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों को निकालिए और निकालकर एक अच्छी व्यवस्था कायम कीजिए। अगर उन अधिकारियों के पास सुविधाओं की कमी है, तो उनको सरकार द्वारा सुविधाएं दी जायें। तस्करी अभी भी चल रही है और अधिकतर यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रहा है। हमारे क्षेत्र से होकर आगे बढ़ती है, लेकिन वे दंडित नहीं होते हैं। स्थिति यह है कि जो अधिकारी काम करते हैं, उनको हैरोइन बरामद हो जाती है, चरस बरामद हो जाती है, मगर मुलजिम पकड़े नहीं जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार के केसेज जैसलमेर और बाड़मेर में हुए हैं और जान-बूझकर मुलजिमों को पकड़ा नहीं जाता है। मालूम पड़ जाता है, तो भी पकड़ा नहीं जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही से इस कानून का जिस प्रकार परिपालन होना चाहिए सख्ती से, उस तरह से परिपालन नहीं होता है। इस कानून में सबसे आवश्यक और जरूरी बात यह है कि इस कानून का क्रियान्वयन बहुत ही योग्यता के साथ होना चाहिए। डैडिकेटेड आफिसर्स वहां भेजे जाने चाहिएं। आपने एडवाइजरी कमेटी का फार्मेशन किया है। जिसके चेयरमैन एडिशनल सैक्रेटरी होते हैं, मेरा यह सुझाव है कि उसके चेयरमैन मिनिस्टर ही बने और उसमें कुछ संसद सदस्यों को, जो कि अनुभवी हों,

सदस्य बनाना चाहिए। जब इस प्रकार एडवाइजरी कमेटी का फार्मेशन होगा, तो काम सक्सैसफुली होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्व में मादक पदार्थों का अभाव हो रहा है, विद्यार्थियों में आदत चल रही है, इसका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि टैरेरिस्ट भी इस प्रकार की कार्यवाही में लीन है, जिनका मुकाबला भी सरकार को करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से इस सभा में ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है। लेकिन, महोदय, मेरे दिमाग में एक बात यह है कि हाल ही में हम लोगों ने एक विधेयक उसी सभा में पारित किया है जिसमें सरकार को निवारक नजरबन्दी शक्ति प्रदान की गयी हैं। मैं यह जानना चाहूंगा की जिस दिन से वह विधेयक पारित किया गया है, कितने लोग इस उपबन्ध के अन्दर बंदी बनाये गये हैं।

यह एक बहुत गम्भीर समस्या है और मैं यह जानता हूं कि किसी को भी इन नशीली दवाईयों के विक्रेताओं से कोई सहानुभूति हैं जोकि समाज और हमारी नयी पीढ़ी का सर्वनाश करने पर लगे हैं। मैं यह कहने में भी संकोच नहीं करूंगा की वे लोग हत्यारे हैं। यह एक प्रकार से धीरे-धीरे जहर देने की प्रक्रिया है। नशीली दवाईयों को बेचना मौत बेचने जैसा ही है। इस निवारक नजरबन्दी विधेयक में भाग लेते हुये मैं यह मांग करता हूं कि लोगों को मृत्युदण्ड दिया जाये। मैं सरकार और मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि अब वे विधेयक में इस उपबन्ध को लाये हैं।

**श्री ए० के० पांजा** : क्या मैं एक मिनट के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं? माननीय सदस्य ने अपने भाषण के शुरू में एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछा था जोकि सभी लोगों के दिमाग में हैं। हम लोगों ने दिसम्बर, 12 तक जब से अध्यादेश पारित हुआ है 260 लोगों के नजरबन्दी आदेश जारी किये हैं और 221 लोगों को निरुद्ध किया है।

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्नों का आंकड़ों के साथ तुरन्त जवाब दिया।

अब महोदय, समस्या यह है कि अनेक अपराधी किसी न किसी न बहाने साफ बच निकलते हैं। वे इसे संज्ञेय और गैर-जमानती बनाना चाहते हैं। मेरे विचार से सरकार को ऐसे अधिकार देने में सभा कोई विरोध नहीं करेगी। सभा इस बात से पूरी तरह चिन्तित है कि इस बढ़ती हुई बुराई को यथासम्भव शीघ्रता से प्रभावी ढंग से रोका जाये।

जैसाकि आप सभी जानते हैं कि संसार के नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में भारत नर्बेदशक के प्रारंभ तक नहीं आता था। लेकिन अब यह समस्या भारत में भी शुरू हो गयी है और अब इसने ऐसा खतरनाक अनुपात अपना लिया है कि अब भारत से इसे न केवल लाया ले जाया जाता है वरन यहां अब इन नशीली दवाओं का बहुत अधिक उपयोग भी होता है नशीली दवाओं के शिकार नवयुवकों की संख्या खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रही है और जैसाकि हम जानते हैं, कि एक बार अगर कोई नशे का आदी हो जाता है तो इसका अन्त कहां है यह नहीं जानता। हां, इन सालों में, भारत ने इस समस्या

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

को रोकने के लिए अनेक कदम उठायें हैं। इस दिशा में हमारे प्रधानमन्त्री अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए बधाई के पात्र हैं। बाद में मंत्रीमंडलीय उपसमिति की भी नियुक्ति की गयी। मंत्रीमंडलीय उपसमिति के सुझाव पर ही यह विधेयक सभा के समक्ष आया है।

यहां मैं यह बताना चाहूंगा की यह केवल हमारी ही समस्या नहीं है। हम इसके बारे में अलग होकर नहीं सोच सकते हैं। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है और एक अन्तर्राष्ट्रीय घटना है। विश्व-व्यापी संदर्भ का ध्यान में रखते हुए, इसे देश के भीतर और बाहर सुलझाया जाना चाहिए। विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए मंत्री महोदय ने एक विश्वव्यापी सम्मेलन का हवाला दिया जो कि वियेना में चल रहा है। हमें यह जानकर खुशी हुई कि भारत प्रारुप समिति का सभापति नियुक्त किया गया है, इस तरीके से भारत न केवल देश के भीतर वरन बाहर भी आरम्भिक कदम उठा रहा है। सरकार को इसमें शीघ्र सफलता मिले ऐसी हम कामना करते हैं।

अब, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपने जो समय सीमा निश्चित की है उससे मैं भली-भांति अवगत हूं और मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं कि भारत से न केवल इन नशीली दवाओं को लाया लेजाया जाता है। वरन यहां नशीली दवाईयों का अधिक मात्रा में उपयोग भी होता है। एक विवरण के अनुसार इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि हेरोइन जो की एक अत्याधिक खतरनाक नशीली दवाई है उसका 80 प्रतिशत भाग भारत के माध्यम से बाहर जाता है। इन्टरपोल के सांख्यकि विश्लेषण से यह पता चलता है कि जो 1982 में यूरोप और अमेरिका में जब्त की गयी, 7.7 टन हेरोइन में से 2.7 टन भारत से आयी थी।

पाकिस्तान से अब मुख्यत: नशीली दवाईयों की तस्करी होती है। पाकिस्तान के नव-निर्वाचित प्रधान मन्त्री भी इस नशीली दवाईयों के विभिषिका के प्रति जागरुक है और वह इस समस्या से निपटने के लिए गहन विचार कर रहीं हैं। एक बहुत अच्छी स्थिति है।

विधेयक के उपबन्ध के अनुसार इसमें एक निधि का निर्माण करना है। हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादातर धन इन नशीली दवाईयों के विरुद्ध दूरदर्शन, सिनेमा इत्यादि संचार माध्यमों से प्रचार करने पर खर्च किया जायेगा, जिससे लोगों में खासकर हमारे नवयुवकों में ज्यादा जागरुकता लायी जा सके इस निधि से पुलिस के लिए एक विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा ताकि वह इस समस्या से निपट सकें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनके पुनर्वास का है। उस निधि का एक अच्छा भाग उनके पुनर्वास पर व्यय किया जाना चाहिए। संयोजक बोर्ड और अनेक उप समितियों में केवल अधिकारीगण ही सम्बद्ध होंगे, मेरा विचार है कि इन समितियों में अगर गैर अधिकारों, प्रमुख समाज-सेवक और संसद के सदस्यगण सम्मिलित किए जायें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसे एक जन आंदोलन बनाया जाना चाहिये है। अगर नशीली दवाईयों की विभीषिका को रोका नहीं गया तो समूची युवा पीढ़ी ही बरबाद हो जायेगी, जिसके लिए हमें एक जन आंदोलन तैयार करना होगा। केवल अधिकारियों को ही सम्मलित करने से ही प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि इसमें गैर-अधिकारी, स्वैच्छक संगठन और समाज सेवकों को भी सम्मलित किया जाना चाहिए।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दूसरी बार अपराध करने पर की गयी है। हम इसका स्वागत करते हैं। मुझे घोर शंका है कि क्या इसे कार्यान्वित किया जा सकता है। बड़े

दु:ख से मैं यहां इन्दिरा गांधी की हत्या के मामले का उल्लेख कर रहा हूं। इसका क्या हुआ ? हमारे दिवंगत प्रधान मंत्री की हत्या उनके अपने अंगरक्षकों द्वारा दिन-दहाड़े की गई। उच्चतम-न्यायालय में क्या हो रहा है ? उच्च न्यायालय में क्या हो रहा है ? यह लज्जा की बात है कि कुछ वकील तबाही मचा रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। हम उपबन्ध बना रहे हैं किन्तु यह देखना है कि क्या वे उपबन्ध वास्तव में कार्यान्वित होंगे। उनमें आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता है। अत: मैं न्यायपालिका के कार्यकरण—न्यायपालिका भी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। न्याय-पालिका में आवश्यक संशोधन पहला उपाय है जो हमें करना चाहिए।

**श्री डी० बी० पाटिल** (कोलाबा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सबों की भांति मेरी भी यही राय है कि नशीली दवाईयों के सेवन की बुराई किसी भी कीमत पर दूर की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से मंत्री महोदय यह संशोधन विधेयक लाये हैं। यह एक गम्भीर समस्या है, यह न केवल राष्ट्रीय समस्या है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने आरम्भिक भाषण में उल्लेख किया है। यह इतनी गम्भीर समस्या है कि यदि उचित ढंग से इससे संघर्ष नहीं किया जाता है, तो हमारे देश में इस शताब्दी के अन्त तक स्वापक औषधियों का सेवन करने वालों की संख्या आकाश को छूने लगेगी। एक सर्वेक्षण के अनुसार इसकी 1 करोड़ 50 लाख तक बढ़ने की संम्भावना है। आजकल हमारे देश में एक गम्भीर स्थिति है। हमें इस बुराई को दूर करना है। जब इस सभा ने यह अधिनियम 1985 में अधिनियमित किया था। तो प्रवर्तन अधिकारियों को इस बुराई को दूर करने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई थी। किन्तु जहां तक इसके प्रवर्तन का सम्बन्ध है—सत्तारूढ़ पक्ष से भी कुछ सदस्यों ने शिकायत की है-- कि यह उचित ढंग से लागू नहीं किया गया है। दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। किन्तु प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। यह एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को प्रवर्तन एजन्सियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के साथ शक्ती से निपटना चाहिए। सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब हमने भी यह अनुभव किया है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। इनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश और अन्य देशों के साथ इस बारे में सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं। हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय और सरकार का भी ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि यूरोप, उत्तरी अमरीका, और लातीनी अमरीका जैसे कई देशों ने मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय औषधि प्रवर्तन संमेलन का आयोजन किया था। मैं समझता हूं कि लगभग 13 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। यह सम्मेलन—अन्तर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थ प्रवर्तन सम्मेलन मार्च 1988 में हुआ था। इस सम्मेलन भी पहल के कारण ही बहुत कुछ हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। अत: मैं यही कहूंगा कि इस बुराई का पूरी गम्भीरता से मुकाबला किया जाना चाहिए। हमने सभी समाचारपत्रों में पढ़ा है कि जहां तक नशीली दवाईयों की तस्करी तथा अन्य चीजों का संबंध है, इसमें विमान परिचयाकाएं, विमान चालक तथा अन्य उच्च अधिकारी भी इससे सम्बद्ध हैं, जहां तक हमारा अनुभव है इस बुराई को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। विधेयक प्रस्तुत करते समय मन्त्री महोदय ने कहा है और उद्देश्यों और कारणों के कथन में भी कहा गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम में कड़े निवारक उपबन्ध है किन्तु कुछ त्रुटियों के कारण अपराधियों को जमानत पर रिहा किया जाता है। मैं नहीं जानता कि क्या कानून में त्रुटियां है या पूछताछ में कानून में भी त्रुटियां है। मैं अपने संशोधनों में बता रहा हूं कि त्रुटियां किस प्रकार की है। पूछताछ में भी त्रुटियां है। इन त्रुटियों

[श्री डी० बी० पाटिल]

के कारण ही अपराधियों को आसानी से जमानत मिलती है हालांकि यह चिन्तन नहीं किया गया है कि अपराधियों को अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इतनी आसानी से जमानत मिल जाएगी। यह और भी अच्छा होता यदि मन्त्री महोदय ने इस संबंध में आंकड़े दिए होते कि इस ब्यूरो ने अभी तक क्या किया है जिस उद्देश्य से यह स्थापित किया गया था। यहां कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी तक कोई सन्तोषजनक काम नहीं किया गया है। 1986 में एक विशेष ब्यूरो स्थापित किया गया था।

**श्री ए० के० पांजा** : आपको कौन से आंकड़े चाहिए ?

**श्री डी० बी० पाटिल** : ब्यूरो की स्थापना से हिरासत में लिए जाने, दण्ड दिए जाने तथा अन्य बातों के संबंध में आंकड़े आप अपने उत्तर के दौरान दे सकते हैं।

**श्री ए० के० पांजा** : मैं तुरन्त दे सकता हूं।

**श्री डी० बी० पाटिल** : नहीं, आप अपने उत्तर के दौरान दीजिए।

हां, फिर तो नशे की लत छुड़ाने की समस्या के सम्बन्ध में जब एक बार युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति की नशीले पदार्थों की लत पड़ जाती है तो फिर उसका निरव्यसनीकरण आसान नहीं है। जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है उसके लिए विशेष उपाय करने ही होते हैं।

यद्यपि नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों का निरव्यसनीकरण इस विभाग का काम नहीं है, इस विभाग को विशेष उपाय करने चाहिएं ताकि नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों का निरव्यसनीकरण किया जाए; और इस उद्देश्य के लिए जो भी राशि चाहिए वह उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए, अर्थात इस विशेष लत में पड़े लोगों के पुनर्वास तथा निरव्यसनीकरण के लिए।

अधिनियम में यह उपबन्ध है कि कुर्क की गई सम्पत्ति का निपटारा पुलिस अधिकारियों की की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। अपने संशोधन प्रस्तुत करते समय मैं इस बारे में अधिक विस्तार से कहूंगा। गैर कानूनी तौर पर प्राप्त की गई सम्पत्ति और सम्पत्ति में कुछ विभेदन किया गया है। जहां तक गैर कानूनी तौर पर प्राप्त की गई सम्पत्ति का सम्बन्ध है इसमें जो त्रुटि है, इसकी परिभाषा दी गई है और यह उपबन्ध किया गया है कि गैर कानूनी तौर पर प्राप्त की गई सम्पत्ति की किस प्रकार पहचान की जा सकती है और किस प्रकार जब्ती की जा सकती है। किन्तु जहां तक सम्पत्ति का सम्बन्ध है, इसकी पहचान तथा जब्ती के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है।

इन सब बातों की ओर ध्यान देते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं; और साथ ही में सरकार को सूचना देता हूं कि केवल निवारक दण्ड की व्यवस्था करने से इस बुराई को दूर करने में सहायता नहीं मिलेगी। अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करना बहुत महत्वपूर्ण है, और सरकार को इस सम्बन्ध में सख्त उपाय करने चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री दामोदर पांडे** (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सदन के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है और सभी ने यह इच्छा जाहिर की है कि व्यवस्था इतनी कड़ी की जाए कि आज जो हमारी आने वाली पीढ़ि है वह ड्रग एब्यूज की वजह से

बरबाद हो रही है उसको बचाया जा सके। हम यह आशा कर रहे हैं कि इस बिल के पास हो जाने पर हमारे हाथ में एक और मजबूत कदम उठाने का एक साधन आ जायेगा और हम अच्छे ढंग से कानून को लागू कर सकेंगे। एक बात और सदस्यों ने यह कही कि इस तरह के एडीक्ट लोगों की संख्या दस गुना बढ़ जायेगी। हम किस तरह के निराशा के वातावरण में पहुंच रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आती। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद हमारे हाथ में कंट्रोल करने का एक और साधन आ जायेगा, दूसरी तरफ यह निराशा व्यक्त की जा रही है कि इस सबके बावजूद भी दस गुना ज्यादा लोग इसके शिकार हो जायेंगे।

यह कैसा विरोधाभास है, समझ में नहीं आता है। क्या इस तरह की बात निश्चित नहीं कर सकते या ऐसी परिकल्पना नहीं बना सकते कि अब जो हुआ सो हुआ आगे से इस तरह का कदम उठाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान न हो सके। हम नहीं समझते कि इसके लिए कोई कानून या बिल की आवश्यकता है। इसके लिए डिटरमिनेशन की आवश्यकता है। यह मादक द्रव्य हमारे देश में आदिकाल से जाना जाता है। सभ्यता का जब से विकास हुआ तब से इसका प्रचलन है। लेकिन पहले इसका उपयोग किया जाता था दवाईयों में, अच्छे कामों में, लेकिन अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हम विकसित देशों की नकल तेजी से कर रहे हैं इस मामले में। आज दवाओं के नाम पर जहर पैदा किया जा रहा है। जो कम्पनीज जीवन रक्षक दवायें बनाती हैं वह जीवन को विनाश की ओर ले जा रही हैं। इस तरह का जो लोग धन्धा करते हैं उनकी राक्षस की संज्ञा दी जा सकती है, वे समाज में कलंक है, लेकिन वे समाज में पनप रहे है उनका यहां नाम दिया जाता है। जब सरकार को जानकारी नहीं है तो आम लोगों को कैसे जानकारी है कि फलां दवा कम्पनी यह काम कर रही है। अगर तब भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो लोगों के मन में निराशा होती है। यही कारण है कि इतने अच्छे बिल लाने के बावजूद, सभी पक्षों द्वारा इसका समर्थन करने के बावजूद यह आशंका व्यक्त की गई है कि अगले दस सालों के अन्दर दस गुना लोग एडिक्ट होंगे। मैं चाहता हूँ मंत्री महोदय इस पर गौ करें और विचार करें कि कैसे इसको दूर करेंगे। जिससे हम यह कह सकें कि जो कुछ अब तक हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे नहीं होगा और हम दस गुना ज्यादा नहीं बल्कि दस गुना से भी ज्यादा कम करेंगे। यह बात हम लोगों के सामने दोहरा सकें तो आम जनता को बहुत बड़ी राहत होगी। अभी कई सुझाव आये हैं तोम्बी सिंह जी ने कहा, जैन साहब ने भी कहा कि अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए जो इस काम में लिप्त हों। कुछ ने कहा कि कस्टम वाले लोगों को छोड़ देते हैं। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, रेडियो और दूरदर्शन पर सुनते और देखते हैं कि कस्टम वालों ने करोड़ों रुपये का मादक द्रव्य पकड़ा, लेकिन जो लोग जानकारी रखते हैं वे कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा अभी बाहर है जो पकड़ा गया, वह भी छूट गया। इसलिए हम तो इच्छा रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को हम किस तरह से बांध सकेंगे, किस तरह से समाज को उनसे बचा सकेंगे ताकि वे समाज का ज्यादा अहित न करने पायें, कैसे हम समाज की सेवा कर सकेंगे, इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। हम लोग जिस तन्त्र पर भरोसा करके चलते हैं, हमारी व्यवस्था की जो कड़ी है, जो हमारी स्कीमों, योजनाओं और इच्छाओं को लागू

[श्री दामोदर पांडे]

कराने में सहयोग देते हैं, यदि वे हमारी स्कीमों को ठीक से लागू न करें तो शायद हम अपने उद्देश्य में कभी कामयाब न हो पायें। इसलिए यह सुझाव वाजिब है कि इस कार्य में कुछ पब्लिक इंटरेस्ट जागृत किया जाए। इस स्कीम को प्रभावी तरीके से इम्पलीमैंट करने में आम लोगों को भी इसमें इंवौल्व कर सकें, ऐसे आप उपाय कीजिए। इस संबंध में मेरे साथियों ने जो सुझाव दिए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं कि हम सिर्फ कोर्ट के गठन तक ही सीमित अपने आपको न कर लें, बल्कि इस कार्य में पब्लिक अवेयरनैस भी आये, हमारा ही-एडिक्शन का प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली कलकत्ता और बम्बई तक ही सीमित होकर न रह जाए, बल्कि इसे गांव-गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। समाज के माथे पर लगे इस कलंक को हम किस तरह मिटा सकेंगे, इसके बारे में गम्भीर चिन्तन होना चाहिए। आम जनता की राय लेकर, जन प्रतिनिधियों की राय लेकर, यदि हम कोई स्कीम बनाते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं तो उसके और अधिक अच्छे नतीजे निकल सकते हैं, जिनसे समाज का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सकता है।

श्री मोहम्मद अयूब खां (उधमपुर) : आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आनरेबल मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज हाउस के सामने बहुत अच्छा बिल लाया है। बिल को पढ़ने से जाहिर होता है कि तमाम पहलुओं को सोचकर, इन-डैप्थ स्टडी के बाद, ही यह बिल सदन में लाया गया है। वैसे तो इस बिल के सेलियेंट फीचर्स मिनिस्टर साहब ने हमारे सामने रख दिए हैं और इस बिल की बौडी में भी मौजूद है, मैं उनकी तरफ ज्यादा जाना नहीं चाहता लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जैसा मेरे कई साथियों ने भी कहा कि कोई कानून कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे दुरुस्त तरीके से लागू नहीं किया जाता तो हमें उसके नतीजे अच्छे नहीं मिलते। किसी कानून को इम्पलीमैंट करने के मामले में हम महज हकूमत पर ही दारोमदार नहीं रख सकते, जब तक कि समाज में उसके प्रति जागृति पैदा न हो। मिनिस्टर साहब ने दुरुस्त कहा कि यह एक बबा है और इस बबा से हम सब लोगों को बाखबर हो जाना चाहिए। आज इस बबा से खबरदार न रहने की वजह से हमारी आइन्दा की नस्ल किस तरह से तबाह हो रही है। मैं आपके सामने तफसील में बातें तो नहीं रखूंगा लेकिन कुछ इशारतन आंकड़े जरूर दूंगा। इस वक्त हमारे मुल्क में रफली 7 सौ चाइल्ड प्लूपल ड्रग एडिक्ट के शिकार हैं और बम्बई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इनकी संख्या एक लाख के करीब है। इसमें से 10 हजार बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, इसका शिकार हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी मुसीबत हमारे लिए है। यूरोप के देशों में जितनी हेरोइन, चरस आदि सप्लाई की जाती है, उसका 80 फीसदी भाग हमारे मुल्क से होकर जाता है। इंटरपोल के जरिए 1987 में 7.7 टन हेरोइन जब्त की गयी। वर्ष 1987 में ही अमेरिका और यूरोप आदि देशों में जितनी इन ड्रग्स की सेल हुई, उसमें से 2.7 टन भारत से सप्लाई की गयी। 1983 में 193 किलो-ग्राम हेरोइन पकड़ी गई। मतलब यह कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।

2.00 म० प०

1984 में 203 किलोग्राम, 1985 में 761 किलोग्राम, 1986 में 859 किलोग्राम और 1987 में 2716 किलोग्राम। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि आपको इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए।

सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि अफीम की खेती कहां से शुरू होती है। अफीम की खेती शुरू में इस कारण से की जाती थी ताकि दवाईयों में इसका प्रयोग किया जा सके। वैसे तो दवाईयों में अब भी प्रयोग होती है लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में इसकी अब तस्करी होनी शुरू हो गई। जैसाकि मेरे बाकी दोस्तों ने कहा कि हमें सिर्फ एक ही एजेंसी पर निर्भर नहीं करना चाहिए। मैं भी उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। हमें बाकी पुलिस की एजेंसियां भी इसके लिए प्रोवाइड करनी चाहिए।

मैं कश्मीर की बात अब करना चाहता हूं। आप तो जानते हैं कि ज्यादातर चरस वहां से आती है और यह चरस सेब की पेटियों में बन्द होकर आती है। कल के "टाइम्स आफ इंडिया" में जो खबर छपी है उसमें यह लिखा है कि पंजाब और कश्मीर के साथ जो सड़क पाकिस्तान को मिलती है, वह बिल्कुल अनसेफ है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पी० एस० एफ० के जवान भी उनके साथ मिले हुए हैं। मैं बार्डर सिक्योरिटी फोर्स की निन्दा नहीं करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और उन्होंने हमारे सरहदों की हिफाजत बड़ी शान से आज तक की है। मेरी गुजारिश यही है कि जहां-जहां भी यह सब हो रहा है उसकी तरफ आप निगाह रखें,

यह एक मानी हुई बात है कि जितने भी टैरारिस्ट आते हैं वह हेरोइन और चरस इसी रास्ते से लेकर आते हैं। हमें इसकी तरफ तवज्जह देनी चाहिए।

अफसोस है कि आप घंटी बहुत जल्दी बजा देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम उस एरिया से आते हैं जहां इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक-आध मिनट मुझे बोलने का और मौका दिया जाये। मेरा यह कहना है कि पोस्त के स्ट्रा जो हैं, उनको एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आपने इसके लिए कोई पाबन्दी नहीं लगायी है। छोटे से फायदे के लिए हमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए।

**شری محمد ایوب خاں (اُودھم پور) :** آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب میں اس ترمیمی بل کی حمایت کرنے کھڑا ہوا ہوں، سب سے پہلے میں آپ کے ذریعے سے آنریبل منسٹر صاحب کو مبارک باد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے آج ہاؤس کے سامنے بہت اچھا بل پیش کیا ہے۔ بل کو پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام پہلوؤں کو سوچ کر ان ڈیپتھ اسٹڈی کے بعد ہی یہ بل ایوان میں لایا گیا ہے، ویسے تو اس بل کے سیلینٹ فیچرس منسٹر صاحب نے ہمارے سامنے رکھ دیئے ہیں اور اس بل باڈی میں بھی موجود ہیں میں ان کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ جیسا کہ میرے ساتھیوں نے بھی کہا کہ کوئی قانون کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اگر اسے درست طریقے سے لاگو نہیں کیا جاتا تو ہمیں اس کے نتیجے اچھے نہیں ملتے، کسی قانون کو امپلیمینٹ کرنے کے معاملے میں ہم محض حکومت پر ہی دارومدار نہیں رکھ سکتے جب تک سماج میں اس کے لئے جاگرتی پیدا نہ ہو، منسٹر صاحب نے درست کہا ہے کہ یہ ایک وبا ہے اور اس وبا سے ہم سب لوگوں کو باخبر ہو جانا چاہیئے، آسام اس وبا سے خبردار نہ رہنے کی وجہ سے ہماری آئندہ کی نسل کس طرح سے تباہ ہو رہی ہے، میں آپ کے سامنے تفصیل میں تو باتیں نہیں کروں گا لیکن کچھ اشارتاً آنکڑے ضرور دوں گا، اس وقت ہمارے ملک میں رفلی سات سو ہزار لوگ ڈرگ ایڈکٹ کے شکار ہیں اور بمبئی دلی جیسے بڑے شہروں میں ان کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے، اس میں سے دس ہزار بچے جو اسکول جانے والے ہیں اس کا شکار ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہماری ہے یورپ کے دیشوں میں جتنی ہیروئین، چرس وغیرہ سپلائی کی جاتی ہے اس کا اسّی فی صدی حصہ ہمارے ملک سے ہو کر جاتا ہے۔ انٹرپول کے ذریعے ۱۹۸۷ء میں سات اعشاریہ سات ٹن ہیروئین ضبط کی گئی، سال ۱۹۸۷ء میں ہی امریکہ اور یورپ وغیرہ دیشوں میں جتنی ان ڈرگس کی سیل ہوئی اس میں سے دو اعشاریہ سات ٹن بھارت سے سپلائی کی گئی۔ ۱۹۸۳ء میں ۱۹۳ کلوگرام ہیروئن پکڑی گئی، مطلب یہ کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ۱۹۸۴ء میں ۲۰۳ کلوگرام، ۱۹۸۵ء میں ۷۶۱ کلوگرام، ۱۹۸۶ء میں ۹۵ کلوگرام اور ۱۹۸۷ء میں ۲،۱۶ کلوگرام، میری آپ سے گزارش

ہے کہ آپ کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیئے۔

سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیئے کہ افیم کی کھیتی کہاں سے شروع ہوتی ہے، افیم کی کھیتی شروع میں اس وجہ سے کی جاتی تھی تاکہ دوائیوں میں اس کا استعمال کیا جاسکے۔ ویسے تو دوائیوں میں اب بھی پریوگ ہوتی ہے، لیکن بہت بڑی مقدار میں اس کی اب تسکری ہونی شروع ہو گئی ہے، جیسا کہ میرے باقی دوستوں نے کہا کہ ہمیں صرف ایک ہی ایجنسی پر منحصر رہنا چاہیئے۔ میں بھی ان کی بات سے پوری طرح متفق ہوں، ہمیں باقی پولیس کی ایجنسیاں بھی اس کے لئے مہیا کرنی چاہیئے۔

میں اب کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ زیادہ تر چرس جہاں وہاں سے آتی ہے اور یہ چرس سیب کی پیٹیوں میں بند ہو کر آتی ہے، کل کے "ٹائمز آف انڈیا" میں جو خبر چھپی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ پنجاب اور کشمیر کے ساتھ جو سڑک پاکستان کو ملتی ہے وہ بالکل غیر محفوظ ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بی ایس ایف کے جوان بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں بارڈر سیکیورٹی فورس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ انھوں نے بہت بڑھیا کام کیا ہے اور انہوں نے ہماری سرحدوں کی حفاظت بڑی شان سے آج تک کی ہے، میری گذارش ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ سب ہو رہا ہے اس کی طرف آپ نگاہ ڈالیں

یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ جتنے بھی ٹیرارسٹ آتے ہیں وہ ہیروئین اور چرس اُس راستے سے لے کر آتے ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیئے، افسوس کہ آپ گھنٹی بہت جلدی بجادیتے ہیں۔

اپادھیکش مہودے ہم اُن علاقوں سے آئے ہیں جہاں اس کا بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، اس لئے میں آپ سے گذارش کروں گا کہ آپ ایک آدھ منٹ مجھے بولنے کا اور موقع دیا جائے۔

میرا یہ کہنا ہے کہ بایر کے جو اسٹوڈ ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیئے، آپ نے اس کے لئے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، چھوٹے سے فائدے کے لئے ہمیں بہت بڑا نقصان نہیں کرنا چاہیئے۔

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वापक औषधि मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक 1988 जो सदन में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

इससे पहले 1985 में जब यह विधेयक सदन में आया था उस समय हमको आशा थी कि मादक द्रव्यों की तस्करी में कमी आयेगी। मादक द्रव्यों की तस्करी में कुछ कमी आयेगी। ऐसा देखा गया है कि 1985 के एक्ट में भी ऐसे प्रावधान थे कि हम उस पर कुछ काबू पा सकते थे लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली में भी, जहां सभी वरिष्ठ मंत्री रहते हैं, दिल्ली के स्कूलों और कालेजों में, बम्बई का जिक्र भी अनेक माननीय सदस्यों ने किया, 1985 के एक्ट के अनुसार मादक द्रव्यों की रोकथाम हेतु अगर पूर्णरूपेण कार्यवाही की होती तो देश में ऐसी स्थिति नहीं होती। आज गार्जियन यह सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे दिल्ली में पढ़ने जाते हैं तो ड्रग्स, अन्य मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ का शोषक बन जायेंगे। अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि दिल्ली के आंकड़ों के मुताबिक एक लाख व्यक्ति मादक पदार्थों के शिकार हुए हैं, बम्बई का आंकड़ा भी दिया गया। आज पूरे हिन्दुस्तान में लगभग 5 करोड़ लोग इसके शिकार हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी में इसमें 10 गुना वृद्धि हो जायेगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या दिन-दहाड़े हुई लेकिन न्याय की प्रक्रिया इतनी शिथिल है कि आज 4 सालों के बाद भी उसके अपराधकर्मियों को जनता के सामने सजा नहीं दी गई। अभी की न्याय प्रक्रिया में उन्हें कुछ सजा हम नहीं दे पाये और दिन-प्रतिदिन सजा में टालमटोल की नीति अपनाई जा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप मादक पदार्थों की रोक-थाम के लिए इस सदन में और कड़ा बिल भी लायेंगे तो हम बार-बार उसका सदन में स्वागत करेंगे और लाने वाले हर मंत्री और सरकार को धन्यवाद देंगे। जहां-जहां बोर्डर इलाका है वहां-वहां आपको स्पेशल कोर्ट्स बनानी चाहिए। मैं बिहार से आता हूं और वहां की चन्द बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी-अभी प्रभावती गुप्ता जी बोल रही थीं, उनका क्षेत्र नेपाल के साथ सटा हुआ है, उसके बाद मनोज पांडे जी का पश्चिमी चम्पारन क्षेत्र है और उसके बाद मेरा गोपालगंज क्षेत्र है। मैंने आज ही 377 में यह सवाल उठाया था कि बड़े पैमाने पर बम्बई के माफिया गिरोह या अन्य जगह के माफिया गिरोह नेपाल सीमा पर जाकर मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक वहीं, हजारों-हजार मजदूर लगाते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। मैं कस्टम विभाग के अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन जब तक उनके पास साधन नहीं होंगे, व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो चाहकर भी वे कुछ नहीं पकड़ सकते हैं। आज एक-एक हजार आदमी माथे पर गांजे की पोटली लेकर गोपाल-गंज में सीमा को क्रास करते हैं। जब कुछ कस्टम अधिकारियों ने साहस करके कदम उठाया तो 10-12 कस्टम इंस्पैक्टरों और अधिकारियों की हत्या उस इलाके में हुई। चन्द रोज पहले इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने कोकीन की खेती के बारे में, ब्राउन शुगर के बारे में या हशीश के बारे में प्रश्न रखा लेकिन जब तक जनता में, आम नौजवानों में हम इसका प्रचार और प्रसार पूर्णरूपेण नहीं करेंगे तब तक हम इस पर काबू पाने में सफलीभूत नहीं हो पायेंगे।

ताज्जुब की बात तो यह है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के जिम्मेदार एयर होस्टेस और पायलेट जैसे अनेकों लोग तस्करी के मामले में पकड़े गये हैं। इस तरह के जुर्म में जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें नौकरी से बरखास्त करने के साथ-साथ यदि वह दोबारा पकड़ा जायेगा तो इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उसे मृत्युदंड दिया जायेगा। मैं पांडा साहब से कहना चाहता हूं कि

आपने 207 लोगों की डिटेंशन ऑर्डर दिया है तो क्या आप कानून में ऐसा प्रावधान करेंगे कि कानून के अनुसार जो नोटोरियस हो···एक-एक बार नहीं दो-दो बार जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी, यह जो संशोधन आप पास करने जा रहे हैं, वह लागू होने चाहिएं। उनको भी इस संशोधन विधेयक की परिधि में लाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन विधेयक आप यहां पर लाए हैं, उसका तहेदिल से मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : समय तो पहले ही समाप्त हो गया है। मंत्री को उत्तर देना है। किन्तु बहुत से सदस्यों को अभी बोलना है। किन्तु कोई भी समय का पालन नहीं कर रहा है।

**श्री ए० के० पांडा** : चूंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है इसलिए माननीय सदस्यों को कुछ मिनट के लिए भाग लेना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम 2.30 का समय निर्धारित करते हैं जब मंत्री उत्तर देंगे। आपको सहयोग देना है। अगले 20 मिनटों में लगभग 10 सदस्य दो-दो मिनट के लिए बोल सकते हैं। कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग कीजिए।

**श्री शांताराम नायक** (पणजी) : महोदय, मैं वर्तमान संशोधन विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मैं केवल मुद्दों के सम्बन्ध में कहूंगा।

आपने उन लोगों के लिए मृत्युदंड निर्धारित किया है जो निरन्तर नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और जो एक या दो वर्ष से नशीली वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं। हां, जो लोग नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं वे दिमागीतौर पर रोगी हो जाते हैं, अर्थात वे रोगी बन जाते हैं अत: मृत्युदंड से सम्बन्धित यह खण्ड लागू नहीं होगा। जो लोग दिमागी मरीज या बीमार हैं उनका गला नहीं घोंटा जा सकता अथवा फांसी नहीं दी जा सकती। अत: यह खण्ड केवल कागज तक ही सीमित रहेगा।

दूसरे, इस समस्या के सम्बन्ध में सच्ची चेतना 1985 में आई जब हमने यह कानून पारित किया। अत: हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। आकाशवाणी से प्रसारित एक गीत लोकप्रिय हो गया और जो बार-बार अलापा जाता है, वह यह है :

[हिन्दी]

दम मारो दम मिट जाये गम
बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम।

2.12 ब० व०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

अब आप देखिए, यदि मैं अपने स्टुडियो में इस प्रकार का गीत बजाता हूं तो मुझे नशा हो जाता है। मैं जानता हूं कि दूरदर्शन इस गीत का प्रसारण नहीं करता। किन्तु आकाशवाणी को भी इस गीत पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए।

जहां तक विशेष अदालतों का सम्बन्ध है, हमें विशेष रूप से नशीले पदार्थों से सम्बन्धित अपराधों के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। केवल एक ही अतिरिक्त न्यायाधीश

या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पर्याप्त नहीं है। इसलिए आपको इस प्रयोजन के लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी।

जहां तक गोवा का सम्बन्ध है आपको कुछ कदम उठाने होंगे। कुछ पर्यटक क्षेत्रों में नशीले पदार्थों का सेवन विशेषरूप से अधिक होता है। यह सब चीजें केवल राज्य सरकार पर ही न छोड़ दें, बल्कि जहां तक उन क्षेत्रों का सम्बन्ध है इस बुराई को दूर करने के लिए उन क्षेत्रों पर आपको लगातार निगरानी रखनी चाहिए।

**श्री जगन्नाथ पटनायक** (कालाहांडी) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं एक या दो मुद्दों पर बल दूंगा। ब्राउन शुगर से छुटकारा पाने और इस देश को बचाने के लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए। यह केवल राष्ट्रीय ही नहीं एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए, इस प्रयोजन के लिए दक्षेस और संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूरदर्शन, आकाशवाणी, जनसंचार साधनों और समाचारपत्रों को इस पहलू की ओर पर्याप्त समय और ध्यान देना चाहिए ताकि यह तमाम मानवता, विशेषकर हमारे देश में इस बारे में जागरूकता पैदा कर सकें।

यदि वह ऐसा नहीं करते तो हमारी युवा पीढ़ी की सृजनात्मक प्रतिभा, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति इस भयानक ब्राउन शुगर से नष्ट हो जाएगी।

हमें अफीम के खेती के क्षेत्रों को कम करना होगा। योजना आयोग और कृषि विभाग का सहयोग लेकर हमें उन सभी क्षेत्रों में कोई वैकल्पिक फसल उगानी होगी। भूमि की स्थिति को देखते हुए यह देखा गया है कि हम वहां फूलगोभी और टमाटर उगा सकते हैं। हमें केवल दवाओं के प्रयोजन के लिए थोड़े से क्षेत्र में ही अफीम की खेती की अनुमति देनी चाहिए।

हमें सभी अस्पतालों में नशीले पदार्थों के प्रादी व्यक्तियों की आदत छुड़ाने के लिए कुछ बिस्तर तैयार करने के लिए राज्य यूनिटों को तैयार करना होगा। अन्यथा हम युवा पीढ़ी को नहीं बचा सकते जो पहले ही नशीले पदार्थों के सेवन की आदी हो चुकी है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सभी उपाय करने होंगे। पूरा सदन इस विधेयक का समर्थन करेगा।

[हिन्दी]

**कुमारी ममता बनर्जी** (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल में संशोधन करने का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को और उनके अधीन काम कर रहे कर्मचारियों को, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बधाई देना चाहती हूं।

सभापति महोदय, हमारे देश में लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिलती हैं, जबकि नार्कोटिक्स ड्रग्स मिल जाती हैं। इस चीज के बढ़ने का एक कारण यह भी है कि हमारे देश में अनएम्पलायमेंट प्राब्लम बहुत बढ़ गई है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इसकी एवेयरनैस को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ बिल लाने से सब काम नहीं हो जाते हैं। स्कूल के बच्चों को ड्रग सीधे खाने की चीजों में मिलाकर दी जाती है। पेरेन्ट्स को भी एवेयर होना चाहिए और देश के पालिटिकील लीडर्स में भी एवेयरनैस को बढ़ाना चाहिए। जब सब लोग एवेयर हो जायेंगे, तो यह बिल अच्छा हो सकता है। जो लोग इसको लेते हैं, उनका सोशियली बायकॉट होना चाहिए। कल ही हमने इलैक्ट्रोरल रिफार्म्स का बिल पास किया है। जिसमें प्रावधान है, जो आदमी ड्रग-एडिक्टेड होगा, वह इलैक्शन में कांटैस्ट नहीं कर सकता है और सजा के तौर पर छः साल का प्रावधान किया है। मैं कहती हूं कि ऐसे लोगों को

इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करने देना चाहिए। आपने इस बिल में यह प्रावधान किया है, जो ड्रग एडिक्टेड है, जो इसका बीजनेस करता है, नार्कोटिक ड्रग का बिजनेस करता है, उसके लिए आपने स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि स्पेशल कोर्ट में जो भी केसेज जायें, उनके निबटारे के लिए एक टाइमबाउण्ड प्रोग्राम होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे एमपीज बहुत बड़ी-बड़ी बात करते हैं और बाहर जो ड्रग एडिक्टेड है, उसका केस प्लीड करते हैं। ऐसे एम्पीज को भी डिसक्वालिफाई कर दिया जाए।

[अनुवाद]

मैं किसी का जिक्र नहीं कर रही हूं। माननीय मंत्री महोदय सत्य का पता लगाएं कि जो मैं कह रही हूं वह सही है या नहीं।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)...मैं यह कहना चाहती हूं कि बहुत सारे एमपीज बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मैं रिकार्ड के लिए बोलती हूं कि जो लोग ड्रग का बिजनेस करते हैं, हेरोइन का बिजनेस करते हैं इन लोगों को वे केस प्लीड करते हैं और दस हजार रुपया नकद लेते हैं और दो हजार रुपये का चैक लेते हैं। ऐसे लोगों को भी डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। हम पोलिटिकल लीडर समझें जो बाहर से आदमी कैसे कर सकता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि यंग पीपल को एनकरेज करने के लिए, उनमें एवेयरनैस बढ़ाने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट-वाइज इन्फार्मेशन सेन्टर खोलें, जिनमें लोकल पीपल इन्फार्म कर सकते हैं कि कौन-कौन नार्कोटिक्स ड्रग का बिजनेस करते हैं। फिर उसके अनुसार कार्रवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय, आप घन्टी बजा रहे हैं, समय कम है और मैं पुन: मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

**श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक)** : सभापति महोदय, मेरे अलावा भी इस पर जितने लोग बोले हैं उन सभी ने दिल्ली का जिक्र जरूर किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में वाकई हालत बहुत खराब है। अभी यह कहा गया कि एक लाख ड्रग एडिक्ट लोग यहां पर हैं। मैं कहूंगा कि एक लाख नहीं, कम से कम 10 लाख ऐसे लोग हैं। एक लाख लोग तो अगर आप चांदनी चौक, मटिया महल और पहाड़गंज में जाकर देखें, तो वहां मिल जाएंगे और हर गली में यह स्थिति है। मैं मंत्री जी को दावत देना चाहता हूं और वे बिना किसी मदद के जाएं और वहां जाकर पता करें कि स्मैक कहां बिकती है, तो उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। हर पटरी पर आपको स्मैक बिकती हुई मिलेगी और हर घर में जाते हुए आपको लड़के मिलेंगे, जिनसे उनके मां-बाप परेशान हैं क्योंकि वे ले जाकर अपने घर का सामान बेच देते हैं, टेलीविजन ले जाकर बेच देते हैं और उनके मां-बाप रोते हुए आते हैं और यह कहते हैं कि इस लड़के को बन्द करा दो वरना हमारा मकान भी बिक जायेगा। आप इसके खिलाफ जो कदम उठायेंगे, मुझे मालूम नहीं कि वे कहां तक कारगर होंगे क्योंकि इसका माध्यम पुलिस है और पुलिस के द्वारा, उनके संरक्षण में यह स्मैक बिकती है। अगर कोई स्मैक बेचने वालों की शिकायत करता है, तो जिसकी शिकायत की गई है, उसको आप मे पकड़ते हैं और बिकने

[श्री जय प्रकाश अग्रवाल]

शिकायत की है, पहले उसके खानदान वाले को ले जाकर अन्दर बन्द कर देंगे और उसको मारेंगे ताकि वह दोबारा शिकायत न करे। यह हाल आज यहां का है। इसमें आप कुछ कदम उठाने जा रहे हैं जैसे आपने सैंटर्स खोल रखे हैं उनको सुधारने के लिए। आपको यह सुनकर शर्म आएगी कि सैंटर पुलिस ने लड़कियों के स्कूल के गेट पर खोल दिया। अब इससे ज्यादा और क्या गिरावट आ सकती है कि एक तरफ जवान लड़कियों का हायर सैकेन्डरी स्कूल है और उसके गेट पर आपने ऐसे लोगों को बैठा दिया सैंटर खोल कर उनको सुधारने के लिए। ऐसे काम चलने वाला नहीं है।

मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। आपने रिवार्ड रखा है उन लोगों के लिए जो स्मगलिंग करने वाले लोगों को पकड़ने में मदद करते हैं। 10 परसेंट आप उनको देते हैं। इसी तरह से इसमें भी रखिये या उनको प्रोमोशन दीजिए जो उनको पकड़वाए या उनको जेल भिजवाए ताकि उनको कुछ सहूलियत मिले।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि एक टास्क फोर्स होनी चाहिए दिल्ली और बम्बई के अन्दर खास तौर पर, जहां इसका इस्तेमाल भी ज्यादा होता है और यह बिकती भी ज्यादा है।

तीसरी बात यह कहना चाहूंगा कि जो सोशल आर्गेनाइजेशन्स हैं, उनका इसमें बिलकुल दखल नहीं है। पुलिस उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं है। यह सारा काम जो आपने पुलिस को दिया है यह आपने गलत किया है। यह एक लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन है और यह जो सामाजिक बुराई है जोकि घर-घर में है, इसको दूर करने के लिए जब तक पूरा समाज नहीं चलेगा, इसको आप दूर नहीं कर सकते। तो उनको भी इसमें आप साथ जोड़िये, ताकि इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** (बारामूला) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री अजीत पांजा को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। इस विधेयक में बहुत अच्छे उपबन्ध है। मैंने उद्देश्यों और कारणों का विवरण देखा है। यह सब उपबन्ध शामिल करने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। किन्तु एक बात अस्पष्ट है अर्थात कुछ नशीले पदार्थों की निश्चित मात्रा से सम्बन्धित अपराधों के सम्बन्ध में दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर मौत की सजा'' आप यह नियम के अनुसार करेंगे। किन्तु कई बार हम नियमों की परवाह नहीं करते हैं। इसलिए, जब आप इस बहस का जवाब दें तो कृपया यह बताएं कि किन अपराधों के लिए मौत की सजा है। हमें इस बारे में अवश्य पता चलना चाहिए। ज्यादा समय नहीं है क्योंकि हमें दो या तीन मिनट का समय दिया गया है। इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उद्देश्यों और कारणों का विवरण अत्यन्त स्पष्ट है। मैं माननीय मंत्री महोदय को इसके लिए बधाई देता हूं। किन्तु हम यह नहीं जानते कि यह नशीले पदार्थ पकड़ने के बाद क्या होगा ? हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे देश के लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। इसलिए, मैं उन लोगों की पूरी सूची चाहता हूं जिन्हें विगत में सजा हुई है। कम से कम पिछले एक दशक के आंकड़े तो होने चाहिए।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

मेरा दूसरा मुद्दा पिछले दशक में जब्त की गई आपत्तिजनक नशीली दवाओं की मात्रा के बारे में है। हमें पता लगना चाहिए कि नशीले पदार्थों की इस मात्रा को किस प्रकार निपटाया गया।

मेरी तीसरी बात हिप्पी संस्कृति के बारे में है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यह सरकार द्वारा किया जा सकता है। वह ऐसा क्यों नहीं करते ? यह हिप्पी संस्कृति स्वास्थ्य वैरगाहों के चारों ओर एक समस्या बन गई है। उदाहरण के लिए हम गोवा के प्राकृतिक समुद्र तटों का आनन्द ले सकते हैं। किन्तु हम वहां नहीं जा सकते। अलग-अलग मिशनों के नाम पर वह यहां आकर वह हमारे वातावरण को खराब करते है और संस्कृति को प्रदूषित करते हैं। अब हमें इसकी और अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह कोई विदेशी या भारत से भी कोई हो सकता है। कश्मीर में भी जब हम विदेशी पर्यटकों को आमंत्रित करते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। हिप्पी भी उनके साथ आ जाते हैं। इसलिए उन पर प्रतिबन्ध होना चाहिए।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है और श्री अग्रवाल ने ठीक ही कहा है। मैंने देखा है कि कालेजों, विश्वविद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों के परिसरों में भी ब्राउन शुगर तथा अन्य आपत्तिजनक नशीले पदार्थ उपलब्ध हैं। अश्लील साहित्य भी वहां उपलब्ध होता है। मंत्री महोदय, संसद सदस्यों को आमंत्रित करके इन स्कूलों और कालेजों का दौरा करके देख सकते हैं कि वहां पर किस किस्म का साहित्य है। यह केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि सभी महानगरों का यही हाल है मैं चाहता हूं कि स्कूलों और कालेजों के परिसरों में मोबाईल सतर्कता दल बनाए जाएं और सभी बड़े नगरों को सतर्क किया जाए। किसी भी दुकानदार को नशीले पदार्थ रखने की अनुमति नहीं होगी। मंत्री महोदय अब जवाब देने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी बड़े शहरों, विशेषकर दिल्ली में, जहां भी स्कूलों और कालेजों के परिसर में ब्राउन शुगर या अन्य नशीले पदार्थ उपलब्ध हों, उनका बेचना असम्भव कर दिया जाए और इसके लिए आप मोबाईल सक्वाड बना सकते हैं।

[हिन्दी]

**श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा)** : मान्यवर, मादक द्रव्यों के व्यापारी न केवल समाज के दुश्मन हैं बल्कि मानवता के प्रति भी अपराधी हैं और उनके खिलाफ जितनी भी सख्त कार्यवाही की जाए, उतनी कम है।

मैं दो बातें सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि आप इस मामले में सार्क कंट्रीज के साथ बातचीत करने जा रहे हैं, सहयोग करने जा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। इसमें थाईलैंड और सिंगापुर गवर्नमेंट से भी बातचीत होनी चाहिए क्योंकि इन देशों में जो लोग जाते आते हैं, वे भी स्मगलिंग का काम करते हैं। वे लोग वहां से चरस तथा दूसरे मादक पदार्थ लाते है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है। इसी तरह से दिल्ली तथा दूसरी मैट्रोपोलिटन सिटीज में आपकी डिपार्टमेंटल फोर्स होनी चाहिए, जो इस काम को करे। उसको पुलिस के साथ मिलकर सर्च का काम करना चाहिए, सिर्फ पुलिस के भरोसे अगर बैठे रहेंगे तो पुलिस का अनुभव हमारा बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए डिपार्टमेंटल फोर्स होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो सामान आप जब्त करते हैं, जो प्रापर्टी आप जब्त करते हैं, उसका उपयोग एडिक्ट के रीहेब्लीटेशन के लिए होना चाहिए। इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा इस काम के लिए रखा जाए, उतना अच्छा होगा। इसी तरह से जो पहली बार अपराध करता है या इसका उपयोग करता है, उनके रीहेब्लीटेशन के लिए भी इसमें

व्यवस्था होनी चाहिए। अंत में जैसा सोज साहब ने कहा कि पर्यटन के नाम पर हमारे यहां हिप्पीज आ रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई अंकुश रखना चाहिए। अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि अफीम की खेती पर वर्तमान में रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन जब तक इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या के हल करने में कठिनाई आएगी, इसलिए अफीम की खेती का राष्ट्रीयकरण अवश्य और शीघ्र किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

**श्री डालचन्द्र जैन** (दमोह) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे आशा है कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। अभी तक का अनुभव यह बतलाता है कि मर्ज बढ़ता हो गया, ज्यों ज्यों दवा की। अभी हमको बताया गया कि अभी एडिक्ट की संख्या 10 लाख है और आने वाले समय में इनकी संख्या दस गुनी बढ़ जाएगी। अगर हम इस तरह की निराशापूर्ण बात करेंगे तो काम नहीं होगा, कैसे हम इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू कर पायेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि आदेश पारित करना बहुत आसान है लेकिन उनको लागू करना बहुत कठिन है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत से कानून हैं, लेकिन उनका पालन जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाता है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कई उदाहरण दिए हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई, लेकिन आज तक न्याय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इस लिए इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कानूनों को कैसे लागू किया जा सकेगा। इस तरह के अपराधों के लिए तो तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। अपराध चाहे मादक द्रव्यों के बारे में हो या किसी और चीज के बारे में हो, किसी भी अवैध व्यापार के बारे में हो, जब तक तुरन्त उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी तब तक उस कानून का प्रभाव नहीं पड़ सकेगा।

हमारे यहां कोई भी कितना भी बुरा काम करे, ऐसी प्रक्रिया है कि वह छूट जाता है। इससे आम जनता जो सहयोग देना चाहती है, वह पीछे हट जाती है और न्याय की प्रक्रिया में अनावश्यक बहुत देर हो जाती है। यह मादक द्रव्य की समस्या भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी पिछले दिनों हुई थी। ऐसा कोआर्डिनेशन होना चाहिए कि जो अवैध मादक द्रव्यों का व्यापार होता है उसमें इन्टरनेशनल तरीके से रोकथाम हो। हम समझते हैं वह ज्यादा प्रभावी कदम होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश में सम्पूर्ण नशाबन्दी होनी चाहिए, आज हम उस प्रवृत्ति को छोड़ चुके हैं। उसको याद करना चाहिए तभी हम मादक द्रव्यों को अवैध ढंग से रोक सकेंगे।

[अनुवाद]

*श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव (अमलापुरम) : सभापति महोदय, मैं नशीले औषध और स्वापक पदार्थ (संशोधन) विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं। शराब पीने के दिन लद गए। अब समाज को नशीले पदार्थों और स्वापक पदार्थों के उपभोग के नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है यह विधेयक बड़े अच्छे इरादे से प्रस्तुत किया गया है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका अक्षरशः पालन हो।

इस देश का भविष्य युवा शक्ति पर निर्भर है। दुर्भाग्य से युवा लोग ही नशीले औषधों और स्वापक पदार्थों के दुष्प्रभाव से प्रभावित होते हैं। महोदय, स्थिति आज यह है कि मां-बाप अपने बच्चों को स्कूल और कालेज भेजने से कतराते हैं। मां-बाप अपने बच्चों को अब निकट के कस्बों और शहरों

* मूलतः तेलुगु भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

में पढ़ने के लिए भेजने से कतराते हैं कहीं उन्हें नशीले पदार्थ लेने की आदत न पड़ जाये। अब लगभग हर बड़ा शहर नशीले पदार्थों की चपेट में है। हम इसे रोक नहीं सकते। मुझे आशा है कि अब तो सरकार नशीले पदार्थों की इस बीमारी को गांवों में पहुचने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

सुनहरी तिकोन (गोल्डन ट्राइएंगल) के देश अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के केन्द्र है। हमारा देश इस व्यवसाय में मार्गस्थ स्थल बन गया है। नशीले पदार्थों के अवैध धन्धे में लगे लोग बड़े व्यापारी और हमारे समाज के प्रभावशाली लोग है। यह लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आम तौर पर सजा से बच जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों के व्यापार में संलग्न पाया जाता है, तो चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो सरकार को उसे बख्शना नहीं चाहिए। वह समाज का शत्रु है।

महोदय, विश्व को नशीली दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सराहनीय कार्य कर रहा है। भारत को भी इस नेक काम में संयुक्त राष्ट्र संघ की हर प्रकार से मदद करनी चाहिए।

महोदय, प्रतिदिन मादक द्रव्यों और मन:प्रभावी पदार्थों की सैकड़ों किलोग्राम मात्रा पकड़ी जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन पदार्थों को नष्ट कैसे किया जा रहा है। पकड़ी गई इन नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को प्रभावशाली ढंग से नष्ट किया जाना चाहिए ताकि वे दोबारा बाजार में न आ सके।

नशीली दवाओं के निर्माण में काम आने वाले बहुत से पदार्थ बाजार में निर्बाध रूप से उपलब्ध हैं। यद्यपि इन पदार्थों की बिक्री का नियंत्रण में रखा गया है परन्तु यह नियन्त्रण बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। जब तक इन पदार्थों की खुलाई को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक स्वापक औषध और मन:प्रभावी पदार्थों के उपयोग को नियन्त्रित करने के लिए ऐसे संशोधनों को पारित करने का अधिक फायदा नहीं है।

महोदय, हमारे समाज में नशीली दवाओं का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। इस प्रभाव के कारण मध्यम वर्ग और गरीब परिवार भी तबाह हो रहे हैं। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि हमारे समाज को मादक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के कुप्रभाव से मुक्त करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

**श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा)** : सभापति महोदय, जो विधेयक पेश किया गया है मैं इसकी ताइद करता हूं, लेकिन साथ ही यह कहूंगा कि कानून तो बना लिया जाता है, उस पर अमल नहीं होता। आप जो कुछ कानून बनायें उस पर अमल जरूर करें, मसलन अफीम इस कदर लोग बाजार से लेते हैं और इसकी कीमत इतनी होती है, लेकिन जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं वह उनसे मिले हुए होते हैं और उसको बिकवाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह से शराब है, उसके ठेके आपने दे दिये हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैमिस्ट्स शाप्स में ऐसी नशीली दवाएं मिलती हैं जो कि लोगों को सस्ते दामों पर मिलती हैं और वह सेहत के लिए बहुत खराब होती हैं। यह तरीका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इसकी ताइद करता हूं।

[अनुवाद]

**श्री ए० के० पांजा** : महोदय, इस विधेयक पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। एक प्रमुख मुद्दा, जिस पर दोनों पक्षों के सदस्यों ने बल दिया है, यह है कि इस अधिनियम को लागू किये जाने के बाद इसे भली प्रकार कार्यान्वित किया जाये।

सबसे पहले हमें 1985 में पारित इस अधिनियम के कुछ अन्य नए उपबन्धों के द्वारा अब इसमें संशोधन करना है ताकि कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों के हाथ मजबूत हो सकें।

हमें पता है कि 1985 में इस अधिनियम के पारित होने के बाद से वर्ष 1986 में अभियोजन के 5525 मामले थे। वर्ष 1987 में 4503 मामले थे और नवम्बर, 1988 तक अभियोजन के 2260 मामले थे। 1986 में दोषसिद्धि की संख्या 586 थी। वर्ष 1987 में यह संख्या 247 थी और नवम्बर 1988 तक दोषसिद्धि की संख्या 232 थी। अधिकतर मामलों में पकड़े गये वास्तविक पदार्थों को न्यायालय में सिद्ध करते समय तकनीकी आधार पर कुछ कठिनाईयां उत्पन्न हुई थी। इसलिए नजरबंदी अध्यादेश पारित किया गया था और इसके बाद इसे अधिनियम बना दिया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, जिसमें मादक द्रव्यों के व्यापार संबंधी उपबन्ध सम्मिलित हैं, के अन्तर्गत मादक द्रव्यों के 167 व्यापारियों को नजरबंद किया गया है। स्वापक औषधि और मन:-प्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत हमने इस समय मादक द्रव्यों के 221 व्यापारियों को नजरबन्द कर रखा है। अत:, इस समय निवारक नजरबन्दी के अन्तर्गत मादक द्रव्यों के व्यापारियों की संख्या 388 है।

बहुत से सदस्यों ने इस नशीले पदार्थों को नष्ट करने के बारे में उल्लेख किया है। हमें पता चलता है कि 15 अप्रैल, 1988 से 1 दिसम्बर 1988 तक हमने 3691 किलोग्राम हेरोइन, 2,12,336 किलोग्राम गांजा 31,899 किलोग्राम हशीश, 2901 किलोग्राम मैंड्रिक्स और 12.92 लाख गोलियां नष्ट की हैं। पहले कानून यह था कि हम पकड़े गये मादक द्रव्यों को नीमच और गाजीपुर में भारत सरकार की दो फैक्ट्रियों में ले जाते थे जहां एक विशेष तरीके से उन्हें नष्ट किया जाता था। हमने देखा कि जब्त करने के बाद उन मादक द्रव्यों को वहां ले जाने और मामले को सिद्ध करने तथा साक्ष्य को सम्भाल कर रखने में हमें कठिनाई होती थी। अब हम राज्य स्तर पर सभी केन्द्रीय विधि आयुर्विज्ञान प्रयोगशालाओं अथवा केन्द्रीय अस्पतालों में इन पदार्थों को नष्ट कर सकते हैं। हम इन मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट कर रहे हैं। हम इन औषधियों को जनता के सामने नष्ट करने की संभावना की भी जांच कर रहे हैं ताकि लोगों मे विश्वास उत्पन्न किया जा सके। विश्व के कुछ भागों में ऐसा प्रयास किया भी गया है परन्तु इस बारे में कुछ सावधानियों को बरतना पड़ेगा क्योंकि जलाने के बाद जो राख बचती है उसमें भी नशा देने वाले कुछ अंश होते हैं। अत: कुछ विशेषज्ञ इस बारे में उसे जल के बहुत तेज प्रवाह से धोने के बारे में भी कार्य कर रहे हैं ताकि इस राख को अन्य कार्यों के लिए भी प्रयोग में न लाया जा सके।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, हमने इस बारे में यह उपरोक्त कार्यवाही की है और ऐसी बात नहीं है कि वर्ष 1985 से इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संशोधन को यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि चूंकि भारत 'गोल्डन ट्राइंगल' और 'गोल्डन क्रिसेन्ट' के बीच परिवहन क्षेत्र है, इसलिए इस रास्ते में कुछ माल रास्ते में बीच में गिर जाता है और जब भी हम कार्यवाही करते हैं तो वे या तो मादक द्रव्यों को फेंक देते हैं अथवा उन्हें बेच देते हैं अथवा थोड़ा-

थोड़ा करके उसे छोटी-छोटी खेपों के रूप में ले जाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए इस विधेयक में तीन प्रमुख उपायों को सम्मिलित किया गया है। पहला उपाय मृत्युदण्ड है। दूसरी बार अपराध किये जाने पर मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्य श्री सैफुद्दीन सोज ने मृत्यु दंड दिये जाने के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। यदि माननीय सदस्य धारा 31-क देखें तो उसमें यह व्यवस्था की गई है कि मृत्युदंड लागू किए जाने के लिए मादक द्रव्यों की कितनी मात्रा प्राप्त की जानी आवश्यक है। गोल्डन क्रिसेन्ट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच ले जा रहे मादक द्रव्यों की मात्रा और भारत में इस कार्य में सम्मिलित विभिन्न लोगों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया था कि दूसरी बार किये गये अपराध के लिए दी जा रही सजा पर्याप्त निवारक नहीं थी। इसलिये प्रथम अपराध के लिए 10 वर्ष और 20 वर्ष की सजा तथा दूसरी बार के अपराध के लिए 15 वर्ष अथवा 30 वर्ष की पूर्ववर्ती सजाएं अब भी कायम हैं। परन्तु गम्भीर अपराधों के मामले में विशेषज्ञों और अन्य देशों के कानूनों की जांच करने के बाद हमने सोचा कि गम्भीर अपराधों के बारे में दूसरी बार अपराध किये जाने पर माननीय न्यायाधीश को कानून के अन्तर्गत मृत्युदंड देने की शक्ति प्रदान करना आवश्यक है। मुझे इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु गम्भीर अपराधों के मामले में मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई है।

जहां तक नशीले पदार्थों के आदि व्यक्तियों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों द्वारा देश में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध उपचार केन्द्रों और परामर्श केन्द्रों के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है—मैं भी इस बारे में उनसे सहमत हूं—ताकि सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को, विशेष रूप से युवाओं और उनके माता-पिताओं तथा अभिभावकों को इस सम्बन्ध में सूचित करने के बारे में कार्यवाही कर सकें। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाना चाहिए? हमने देखा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा समाज कल्याण विभाग ने इस बारे में कुछ कार्यवाही की है। जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय का सम्बन्ध है, उसने देश में 16 संस्थाओं और अस्पतालों में नशे की आदत छुड़ाने के लिए सुविधायें प्रदान की हैं। इस बारे में दिल्ली में चिंता व्यक्त की गई है। कुछ माननीय सदस्य उन अस्पतालों के बारे में जानना चाहते थे जहां ये सुविधायें उपलब्ध है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 10 बिस्तर; जी० बी० पन्त अस्पताल में 5 बिस्तर; सफदरजंग अस्पताल में 10 बिस्तर; लेडी हार्डिंग अस्पताल में 5 और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 8 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। ये 30 बिस्तर कार्यरत हैं और उनके द्वारा वहां आने वाले मामलों की देखभाल की जा रही है।

पहले से कार्यरत इन केन्द्रों के अलावा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एक 0 बिस्तर वाले नशा-मुक्ति केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सफदरजंग अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई है। अब अपनी मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक आयोजित कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं।

इस कार्य के लिए वर्ष 1987-88 में 78 लाख रुपये और वर्ष 1988-89 में 80 लाख रुपये ही मन्जूर किये गये थे। अब हमने 29505 लाख रुपये मंजूर किए हैं जिससे ऐसे विशेष नशा मुक्ति केन्द्र खोले जायेंगे और ऐसे प्रत्येक केन्द्र में 30 बिस्तर होंगे। इनमें से 5 केन्द्र दिल्ली में एक केन्द्र चंडीगढ़ में और एक केन्द्र पांडिचेरी में स्थापित किये जायेंगे। इस प्रकार हम शुरूआत कर रहे हैं।

[श्री ए० के० पांडा]

मैं जानता हूं कि इस बारे में और अधिक व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है तथा जितनी अधिक व्यवस्था हम करेंगे, इतनी ही वह लोगों के लिए अधिक उपयुक्त होगी इसलिए मन्त्रिमण्डलीय उप-समिति की प्रत्येक माह अथवा दो माह में एक बार बैठक हो रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अस्पताल स्थापित करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

समाज कल्याण मंत्रालय ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सेमीनार आयोजित किए हैं। मुझे पता चला है कि वर्ष 1987-88 में देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 53 प्रशिक्षण केन्द्र और सेमीनार आयोजित किए थे। वर्ष 1988-89 में 418 व्यक्तियों को यह प्रशिक्षण दिया गया है कि ऐसे लोगों को परामर्श कैसे दिया जाना चाहिए और इन नशामुक्ति केन्द्रों को कैसे संचालित किया जाना चाहिए। उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, जिन्हें इस बारे में सलाह चाहिए, देश भर में युवा व्यक्तियों, डाक्टरों नर्सों और अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए 16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गये थे। 1985-86 में नशाखोरी का इलाज करने के 21 केन्द्र थे; 1986-87 में हमने 23 और ऐसे केन्द्र स्थापित किए तथा 1987-88 में 26 और केन्द्र स्थापित किए गए। 1988-89 में नशाखोरी के ईलाज के लिए 30 शिविर आयोजित किए गए।

जहां तक सलाह-केन्द्रों का सम्बन्ध है, कल्याण विभाग ने 57 सलाह केन्द्रों की मंजूरी दी है और हम इसके लिए शीघ्र कार्यवाही कर रहे है। मन्त्रिमंडलीय उप-समिति ने उन्हें ऐसे सलाह केन्द्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य पूर्ण करने की एक निश्चित तारीख दी है।

जहां तक इलैक्ट्रानिकी प्रचार माध्यम टेलिविजन तथा रेडियो का सम्बन्ध है, हम संक्षिप्त विज्ञापन दे रहे हैं तथा कुछ लघु फिल्में भी दी गई हैं। धारावाहिक भी दिए जा रहे हैं। विभिन्न विज्ञापन जारी करके छपाई वाले प्रचार माध्यमों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। छपाई वाले प्रचार माध्यमों को अच्छे लेख देने के लिए कुछ अच्छे लेखकों को कहा जा रहा है।

जैसाकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है, शिक्षा मंत्रालय ने भी इस समस्या से निपटाने के लिए कार्यवाही शुरू की है। हमारे बुनियादी ढांचे को तत्काल मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए जिन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, उनके पाठ्यक्रम, विषय सामग्री आदि को अद्यतन करना है, इसी के अनुरूप ढाला जाना है इसलिए, एम० बी० बी०ए० की पढ़ाई में नशाखोरी से निपटने के उद्देश्य से तथा मादक पदार्थ के सेवनकर्त्ताओं को नियन्त्रित करने के लिए हम एक विशेष विषय प्रारम्भ करने जा रहे हैं। जहां तक सामाजिक पहलू का सम्बन्ध है एम० ए० (समाजशास्त्र) में युवा पीढ़ी की समस्या से अवगत कराने तथा इससे निपटने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु एक विशेष अध्याय जोड़ा जा रहा है। नर्सों को प्रशिक्षित करने वाले बी० एस० सी० (नर्सिंग) कोर्स के लिए भी हम इस उद्देश्य हेतु पाठ्यक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। उन्हें बताया जाएगा कि मादक द्रव्यों के शिकार किसी व्यक्ति से कैसे निपटा जाए, क्योंकि वह अन्य सामान्य रोगियों से भिन्न है। फिर, बी० एस० सी० (गृहविज्ञान) शिक्षा स्नातक तथा शिक्षा स्नातकोत्तर कोर्सों में भी हम इन विषयों को शामिल कर रहे है; विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए एन० एस० एस० ने भी देश भर में कुछ नशीले पदार्थ विरोधी अभियान आयोजित किए है।

माननीय सदस्य ने दूसरे मुद्दे में एक चलते-फिरते क्लब के बारे में कहा है। हम पूर्णतः जानते हैं कि धनराशि की कुछ कठिनाईयां हैं। यहां हमारी समस्या यह है कि अब हम नशीले पदार्थों के अलावा

अन्य वस्तु जब्त करते हैं तो उससे कुछ आय होती है लेकिन मादक द्रव्यों को तो अनिवार्य रूप से नष्ट करना होता है। कोई आय सम्भव ही नहीं है। वास्तव में सूचना देने वाले तथा इस समस्या से निपटने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालने वाले अधिकारियों को हमें सरकारी कोष से धनराशि देनी पड़ती है।

यहां मेरे पास अधिकारियों आदि को दिए गए पुरस्कारों के आंकड़े हैं। नवम्बर 1988 तक यह राशि 15,67,485 रुपये थी; यह राशि अधिकारियों को दिए गए पुरस्कार के रूप में थी। जहां तक उन लोगों को पुरस्कार देने का सम्बन्ध है जिनकी सूचना के कारण माल जब्त हुआ था हमने इस वर्ष 28,48,964 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए हैं। इस वर्ष नवम्बर तक पुरस्कार हेतु खर्च की गई कुल धनराशि 44,16,000 रुपये हैं।

इसे लोगों का आन्दोलन बनाया जाना चाहिए। इसे उसी प्रकार निपटना होगा। यही वजह है कि समाज कल्याण विभाग सिर्फ राज्य एजेंसियों पर ही निर्भर नहीं है बल्कि यह स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल कर रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ संगठनों के नाम दिए है और उन्होंने कहा कि इस कार्य में कुछ अच्छे संगठनों को सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि माननीय सदस्य मुझे ऐसे संगठनों के पते तथा नाम दें तो निश्चित रूप से इन संगठनों को बुराई पर काबू पाने में मदद देने के लिए धन-राशि के रूप में सहायता देने पर विचार किया जाएगा। महोदय ऐसा नहीं हैं कि इस कार्य में लोग शामिल नहीं हैं। यह देखा गया है कि न सिर्फ इस सभा में, बल्कि बाहर भी भारत के लोगों तथा विश्व भर के लोगों ने भी विश्व से इस बुराई को दूर करने के लिए अपनी आवाज उठाई है।

महोदय, हम चेचक जैसे भयानक रोग को समाप्त करने में सफल रहे हैं राष्ट्र भर में जनमत तैयार किया गया था और आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से यह बीमारी समाप्त हो गई। लेकिन मादक द्रव्यों के इस अवैध व्यापार की बुराई में अपराधी मनुष्य ही है। चेचक की तरह कीटाणु नहीं है, जिन पर नियन्त्रण करना हो। इस रोग को फैलाने वाले कीटाणु तो मनुष्य ही हैं जिनसे हमें निपटना है। मनुष्य ही अपराधी है और यही वजह है कि निवारक दण्ड के रूप में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।

न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में जहां भी इस पर वाद-विवाद हुआ है, इसे लोगों का पूर्ण समर्थन मिला है। नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान में हजारों लोगों ने भाग लिया था और देश के प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान किया है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि दिल्ली के कुछ भागों में ये नशीले पदार्थ पटरियों पर बिक रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों, सभा तथा आपके माध्यम से सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे कि इस विधेयक के सभी उपबन्धों को लागू किया जाए। हम विधेयक के कार्यान्वयन पक्ष के प्रति पूर्ण रूप से सजग हैं और इसी कारण से स्वापक औषधि बोर्ड का गठन किया गया है।

स्वयं प्रधान मन्त्री ने एक घंटा तीस मिनट अवधि की तीन बैठकों में भाग लिया था ताकि इसे लागू करने पर मन्त्रिमंडलीय उप-समिति का मार्ग-निर्देशन हो सके। इसके अनुसार ही उपाय किए गए हैं और हम इन पर आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

अब हम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि हमारी बातचीत के क्या परिणाम निकले।

हमने नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका की सरकारों के साथ समन्वय किया है। मैं स्वयं बर्मा गया था और वहां वार्ता की थी। हमारा तीन तरफा उद्देश्य है। पहले हमें उन नशीले पदार्थ के अवैध व्यापारकर्त्ताओं की जानकारी प्राप्त करनी है जो हमारे देश की सीमा पार करते हैं और दूसरे देश में जा रहे हैं। दूसरे, हमें उन लोगों के बारे में सूचना प्राप्त करना है जो भारत में अपराध करते हैं और फिर दूसरे देशों में घुस जाते हैं। माननीय सदस्यों ने भी राजस्थान, बाड़मेर तथा जैसलमेर में व्यापार का उल्लेख किया है। मैं जानता हूं कि यह संवेदनशील क्षेत्र हैं। जब प्रश्नकाल के दौरान इस बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा था तब मैंने उन्हें उत्तर दे दिया था।

अन्तिम बात यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र कोष का उपयोग उचित रूप से हो। जहां तक हमारा संबंध है, हमारे देश को 20 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए हैं और हम उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मापदण्डों के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं।

फिर, हमने नशीले पदार्थों की इस बुराई से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कोष का गठन किया है जिस पर संसद का नियन्त्रण होगा।

इन नशीले पदार्थ के अवैध व्यापारकर्त्ताओं की सम्पत्ति का पता लगाने के लिए 1969 के पश्चात् बनाये गये सम्पत्ति अधिनियम तथा ऐसे सभी अधिनियमों की अन्य धाराओं में विशेष अधिकार दिए गए हैं। नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार द्वारा सम्पत्ति बनाने वालों का पता लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पारित कर दिया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार करेंगे।

खंड 2 तथा 3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 4-नए अध्याय 2क का अन्त:स्थापन

श्री डी० बी० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 30,—

"यथासक्य शीघ्र" के स्थान पर "तीन मास के भीतर" प्रतिस्थापित किया जाये।"

अध्याय 2क की धारा 7क(1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियन्त्रण निधि के गठन की व्यवस्था की गयी है।

खंड 7 ख में कहा गया है कि "केन्द्रीय सरकार, यथाशक्य शीघ्र, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात, राजपत्र में, एक रिपोर्ट प्रकाशित करवायेगी जिसमें लेखाओं के विवरण सहित, वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 7 क के अधीन वित्त पोषित क्रियाकलापों का लेखा दिया जायेगा।"

इसके अनुसार एक विशेष निधि का गठन किया जा रहा है इसमें करोड़ों रुपये होंगे और इस निधि का लेखा तीन मास में दिया जाना चाहिए।

श्री ए० के० पांडा : एक उपबन्ध किया गया है कि यह यथासम्भव शीघ्रता से दे दिया जाएगा। ऐसा तीन मास में नहीं किया जा सकता। क्योंकि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए हम कोई सीमा निर्धारित करना नहीं चाहते हैं परन्तु वित्तीय वर्ष में हिसाब दे देना पड़ेगा क्योंकि यह सार्वजनिक निधि है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री डी० बी० पाटिल द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 से 13 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 14—नई धारा 52 का अन्त:स्थापन

श्री डी० बी० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8, पंक्ति 21,—

"द्वारा" के पश्चात्

"मामले पर विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में" अन्त:स्थापित किया जाए (2)

पृष्ठ 8, पंक्ति 34,—

"किसी" के स्थान पर

"मामले पर विचारण की अधिकारिता रखने वाले" प्रतिस्थापित किया जाए (3)

पंष्ठ 8, पंक्ति 37,—

"या" के स्थान पर

"और" प्रतिस्थापित किया जाए (4)

पृष्ठ 8,

पंक्ति 38 से 40 का लोप किया जाए (5)

इस विधेयक के खंड 14-अभिगृहीत की गई स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का व्ययन में निम्नलिखित सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ।

एक उपबन्ध किया गया है कि पुलिस अधिकारी को इन वस्तुओं को निपटाने का अधिकार है। इस विशेष कानून के संबंध में अहमदाबाद के सेशन न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कुछ पुलिस अधिकारियों पर अधिकार का दुरुपयोग करने से कारण मुकद्दमा चलाने का निर्देश दिया था । इस अधिनियम के अधीन भी अधिकार का दुरुपयोग करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है । मैं एक मामले को उद्धृत करता हूं । स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1985 के अन्तर्गत एक पुलिस मामला दर्ज किया गया । सेशन न्यायाधीश ने कहा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत एक व्यक्ति के विरुद्ध मामला बिगाड़ने के कारण पुलिस विभाग को कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के विरुद्ध मामला ही दर्ज नहीं करना चाहिए । उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस विभाग की उन दो कर्मियों तथा पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए तथा कार्य की अवहेलना करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए । इसलिए मैंने कहा है कि मामले पर विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इनका निपटान किया जाना चाहिए । यदि यह अधिकार पुलिस अधिकारी को दे दिया जायेगा तो वह इसका दुरुपयोग कर सकता है । इसलिए मैंने इस संशोधन का सुझाव दिया है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऐसी वस्तुओं का निपटान खुलेआम किया जाना चाहिए । यह बहुत अच्छी भावना से लिया गया है। जहां तक इस विशेष बात का सम्बन्ध है, आप ऐसा नहीं कर सकते । कम से कम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसा किया जा सकता है । मेरे संशोधन को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है ।

श्री ए० के० पांडा : इस विशाल देश में हमारी न्यायपालिका अनेक कार्यों में पहले ही व्यस्त है । इसमें सेशन न्यायाधीश को अधिकार दिया गया है । यदि मैं किसी विशेष गांव में स्वापक औषधि अभिगृहीत करता हूं और सेशन न्यायाधीश से कहता हूं कि वह इसके निपटान के लिए उपस्थित हों तो इससे दूसरे कार्यों में बाधा आयेगी । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे अनुभव करेंगे । नियम बनाते समय हमने ये अधिकार अधिकारियों को दिये हैं । हम पूर्णत: जानते हैं कि यह कार्य उस वरिष्ठ अधिकारी को करना चाहिए जिस पर देश को विश्वास हो । पुलिस अधिकारी का अर्थ यह नहीं है कि सभी पुलिस अधिकारी गलत होते हैं । हमारी यह प्रणाली है । हमें इस प्रणाली पर विश्वास करना चाहिए । अहमदाबाद के न्यायाधीश के निर्णय जैसे एक अथवा दो अपवाद इसको पुष्टि नहीं करते कि सभी पुलिस अधिकारी बेईमान होते हैं । हमें अपनी प्रणाली पर विश्वास करना पड़ेगा । अच्छे पुलिस अधिकारी भी हैं । स्वापक औषधि विभाग में वरिष्ठ तथा दूसरे भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें निपटान के

समय उपस्थिति का अधिकार दिया जा सकता है। ये बातें नियमों अथवा किसी अधिसूचना द्वारा की जानी चाहिए।

3.00 म० प०

सभापति महोदय : अब मैं श्री पाटिल द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2, 3, 4 और 5 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।"

खण्ड 15—नयी धारा 53क का अंतःस्थापन

श्री डी० बी० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 9 से 13 का लोप किया जाये

खंड 15(क) में उल्लेख किया गया है :

"कि जब ऐसा कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वह मिल नहीं सकता है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या उसे प्रतिपक्ष ने पहुंच से परे कर दिया है या जिसकी उपस्थिति ऐसे विलम्ब या व्यय किए बिना अभिप्राप्त नहीं की जा सकती है जो मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अनुचित समझता है; ...."(6)

इसमें कहा गया है कि कथन को साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में यदि कथन करने वाला व्यक्ति जिरह के समय उपस्थित न हो तो कथन को साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं इस तथ्य को जानता हूं कि कानून के अंतर्गत एक उपबन्ध है कि मृत्यु कालीन घोषणा साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। परन्तु यह इसलिए स्वीकार्य है क्योंकि वह मर रहा है इसलिए झूठ नहीं बोलेगा। उस आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि मृत्यु कालीन घोषणा को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य किया जाना चाहिए। यदि हम इसे इस प्रकार देखते हैं तो सरकार और जांच अधिकारी कह सकते हैं कि यह आसान नहीं है तथा खर्च अधिक होगा और वे इसे इस प्रकार स्वीकार करेंगे तो मेरे विचार से जहां तक कानून के नियम का सम्बन्ध है, यह उचित नहीं होगा। यह कानून और मूल कानून के सिद्धान्तों के विपरीत होगा। इसलिए मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री ए० के० पांजा : परन्तु यह बुनियादी कानून के सिद्धान्तों के विपरीत नहीं है। जहां तक साक्ष्य अधिनियम तथा दूसरे अधिनियमों का सम्बन्ध है उनमें मृत्यु कालीन घोषणा को पहले ही मान्यता प्राप्त है और आपराधिक मामलों में भी इसे माना जाता है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है। इसमें अनावश्यक खर्च होगा।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 15 पर संशोधन संख्या 6 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 6 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा
अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 16—धारा 59 में संशोधन

श्री वी० वी० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 31,—

"जानबूझकर" के पश्चात

"ऐसे व्यक्ति से बचाव की" अन्तःस्थापित किया जाए (7)

खंड 16 में यह उपबन्धित किया गया है—

(2) कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है या कोई व्यक्ति, जिसे—

(क) किसी व्यसनी; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है;

की अभिरक्षा सौंपी गई है···

और जो जानबूझ सहायता करेगा···

मैंने यह उपबन्धित किया है कि इस प्रकार के मामलों में जो व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति को बचाने में सहायता करता है, उसे भी सजा दी जानी चाहिए। मेरे विचार से यह एक बहुत ही सरल संशोधन है। आशय यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति बचाने में सहायता करता है तो उसे सजा दी जानी चाहिए।

श्री ए० के० पांजा : इसे पहले ही ले लिया गया है। यदि माननीय सदस्य थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वह देखेंगे कि "सहायता" करने का अर्थ काफी व्यापक है तथा इसके दुर्व्यवहार, बचाव आदि सभी शामिल हैं। यदि हम केवल बचाव करना शब्द ही जोड़ते हैं तो इसका सम्पूर्ण प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए, सहायता करना शब्द जोड़ा गया है जिसमें बचाव करना तथा अन्य चीजें शामिल बाहर उठा फेंकना या चोट पहुंचाना शामिल है। इसलिए मेरे विचार से यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है।

श्री डी० बी० पाटिल : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

**संशोधन संख्या 7, सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

सभापति महोदय : खण्ड 17 और 18 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 से 18 विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 16 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**खण्ड 19—नए अध्याय 5क का अन्त:स्थापन**

सभापति महोदय : श्री डी० बी० पाटिल आपके संशोधन संख्या 8 से 14 तक हैं।

श्री डी० बी० पाटिल : मैं संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं किन्तु अन्य सभी संशोधन संख्या 9 से 14 प्रस्तुत कर रहा हूं :

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 24,—

**अन्त में यह जोड़ा जाए—**

"और जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा अवैध व्यापार किये जाने की जानकारी है" (9)

पृष्ठ 10, पंक्ति 26,—

**अन्त में यह जोड़ा जाए—**

"जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा अवैध व्यापार किये जाने के क्रियाकलापों की जानकारी है" (10)

पृष्ठ 10, पंक्ति 43,—

**अन्त में यह जोड़ा जाए—**

"जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा अवैध व्यापार किये जाने के क्रियाकलापों की जानकारी है" (11)

पृष्ठ 10, पंक्ति 46,—

**अन्त में यह जोड़ा जाए—**

"जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा अवैध व्यापार किये जाने जाने के क्रियाकलापों की जानकारी है" (12)

पृष्ठ 11,

**पंक्ति 1 से 4 तक का लोप किया जाए (13)**

**पृष्ठ 15, पंक्ति 1,—**

"वहां" के पश्चात

"कारण बताओ नोटिस मिल जाने के बावजूद" अन्त:स्थापित किया जाए (14)

अध्याय 5क के नीचे

"अवैध व्यापार से प्राप्त हुई या उसमें प्रयुक्त सम्पत्ति का समपहरण" शीर्षक के अन्तर्गत यह उपबन्धित है अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की परिभाषा 68ख(छ) में तथा सम्पत्ति की परिभाषा 68ख (ज) में की गई है। इसमें बहुत बड़ा अन्तर है।

जहां तक अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का सम्बन्ध है इसके लिए प्रक्रिया "अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति धारण करने का प्रतिषेध" सम्बन्धी 68ग के अन्तर्गत निर्धारित की गई है। "अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की पहचान" के लिए उपबन्ध 68ङ(1) में निर्धारित है। "अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का अभिग्रहण या रोक लगाया जाना" के लिए उपबन्ध 68च (1) में पाये जा सकते हैं। जहां तक अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का सम्बन्ध है उस मामले में पर्याप्त एतिहात बरते गए हैं। जहां तक सम्पत्ति का सम्बन्ध है उसकी परिभाषा इस प्रकार से की गई है।

"सम्पत्ति" से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति और आस्तियां चाहे वह जंगम या स्थावर हो, मूर्त या अमूर्त हो और ऐसे विलेख और लिखित जिनमें अवैध व्यापार से व्युत्पन्न या प्रयुक्त ऐसी सम्पत्ति या आस्तियों के हक या हित के बारे में साक्ष्य हो;

यह बात महत्वपूर्ण है "अवैध व्यापार से व्युत्पन्न या प्रयुक्त"

जहां तक अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यह उपबन्ध किए गए हैं और मैंने अब स्पष्ट किया है कि अन्य चीजों का पता किस प्रकार लगाया जाए। जहां तक इस सम्पत्ति का सम्बन्ध है यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है तो यह बात किस प्रकार सिद्ध हो सकती है कि यह किसी अवैध व्यापार से हासिल की गई है, क्या यह अवैध व्यापार के लिए प्रयुक्त की गई है। मैं नहीं जानता कि इस उपबन्ध को व्याख्या के लिए खुला क्यों रखा गया है। यहां एक सख्त उपबन्ध होना चाहिए था। जहां तक अवैध व्यापार से प्राप्त हुई या उसमें प्रयुक्त सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यह बात व्यक्ति की दोषसिद्धि के बाद आती है।

**सभापति महोदय** : यह व्यवस्था पहले से ही है। आप संशोधन के बारे में बोलिए।

**श्री डी० बी० पाटिल** : यह व्यवस्था भी है कि कोई भी व्यक्ति जो खण्ड क) या खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित व्यक्ति का नातेदार है उसकी सम्पत्ति भी जब्त कर ली जाएगी, जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता''' वह उसके लिए जिम्मेदारी स्थापित नहीं कर सकता। आपराधिक कानून के अन्तर्गत नागरिक स्वतन्त्रता का मूल सिद्धान्त है। इसके लिए दोषी व्यक्ति को आपराधिक मन:-स्थिति स्थापित करनी होती है।

**सभापति महोदय** : यह व्यवस्था पहले से ही है। कृपया संशोधन के बारे में बोलिए।

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं केवल संशोधन के बारे में ही बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि सम्पत्ति नाजायज तरीके से अर्जित की गई है उसे सजा नहीं दी जा सकती।

**श्री ए० के० पांडा** : यहां सम्पूर्ण घाटा का बल सम्पत्ति पर है—इसे सिद्ध करना ही होगा।

हम कानून के अधिकार के बिना किसी की सम्पत्ति नहीं ले सकते। नशीली औषधियों का दुर्व्यापार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर यदि यह पाया जाता है कि औषधियों के अवैध लेनदेन से प्राप्त आय से उसने सम्पत्ति बनाई है, तो हमें वह जब्त करने का अधिकार है। खंड 68ङ के अंतर्गत एक तरीका दिया गया है कि सम्पत्ति, आस्तियों, चल और अचल सम्पत्ति का पता किस प्रकार लगाया जाए। जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि उनमें आपराधिक मन:-स्थिति की व्यवस्था है। किन्तु यहां आपराधिक मन:स्थिति का अर्थ आपराधिक कार्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत माडल में आपराधिक मनोस्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहां यह सही है कि यदि कोई सिद्धदोष व्यक्ति अपनी सम्पत्ति पुत्रों, पुत्रियों, पोतों, पड़पोतों या शादीशुदा लड़कियों, नातियों आदि को हस्तांतरित करता है तो हम यह सिद्ध कर पायेंगे और उसकी सम्पत्ति को लेकर राष्ट्रीय कोष में डाल देंगे। इसलिए यह संशोधन आवश्यक नहीं है।

**सभापति महोदय :** अब मैं खंड 19 में संशोधन संख्या 9 से 14 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 9 से 14 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**सभापति महोदय :** खंड 20 से 22 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 से 22 विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 19 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र अब विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**श्री ए० के० पांडा :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रो० सैफुद्दीन सोज।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज :** सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के उत्तर से पूर्णतया सन्तुष्ट हूं तथा उनका उत्तर बहुत संतुलित था। लेकिन प्रश्न यह है कि जहां तक निगरानी का सम्बन्ध है, हो सकता है इससे कोई राजस्व की प्राप्ति न हो लेकिन सामाजिक रूप से बहुत लाभ होगा। अतएव, हमें इसकी शुरुआत दिल्ली से करनी चाहिए। इसके लिए एक दो वाहन रखे जा सकते हैं तथा लोग दिल्ली में विश्वविद्यालयों, कालेजों, उच्चतर माध्यमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के आसपास चक्कर लगा सकते हैं कृपया मेरे सुझाव पर विचार करें।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य को विस्तार में जानकारी नहीं दे सका। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि धन की कमी है तथा इसी कारण निगरानी नहीं की जा सकती। सिर्फ दिल्ली में ही इसकी शुरुआत क्यों की जाए? हम अपने खुफिया विभाग के स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए गश्ती दल या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें लोगों को जानकारी देनी चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि कहां सूचना देनी है तथा सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में एक प्रपत्र तैयार किया जा रहा है ताकि लोग अपने आप न केवल अपने बच्चों के और समाज के बच्चों के बारे में जानकारी दें अपितु उस इलाके के लिए भी जानकारी दें जो इस हेतु रखे जाएंगे। यह बात लोगों को समझाई जानी चाहिए। कभी-कभी माफिया गिरोह जान-बूझकर यह प्रकाशित कर देते हैं कि वे बहुत मजबूत हैं तथा लोग डरे हुए हैं। लेकिन हमारे आदमियों ने धनबाद में उन्हें खतम कर दिया है तथा सैकड़ों लोगों ने इसमें सहयोग दिया है। हमारे आदमी वहां गए और उन्होंने वहां जाकर 48 घंटे के भीतर सारा अभियान तैयार किया। वे लोग वहां 17 सालों से रह रहे हैं तथा प्रतिदिन एक हत्या हो जाती है। यहां तक कि एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट वहां कुछ सर्वेक्षण करने गया तथा उन्हें यह शक हो गया कि वह कोई नारकोटिक ड्रग अधिकारी या उत्पाद शुल्क अधिकारी है तथा वह मारा गया। इसमें लोगों की जागरूकता तथा सहयोग लिया जाना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि इस सत्र के अन्त में माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जायेंगे तथा अनेक सेमिनार करेंगे जिससे लोगों में पर्याप्त विश्वास उत्पन्न होगा···(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन सोज : लेकिन निगरानी भी जरूरी है। कम से कम आप इस बात पर विचार करें कि···(व्यवधान)

श्री ए० के० पांजा : महोदय, निगरानी की जानी जरूरी है लेकिन यह निगरानी चोरी-छिपे की जानी चाहिए। यदि पुलिस अधिकारी उन स्थानों के आसपास जायेंगे तो लोग जान जायेंगे··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप सदस्यों को यह सूचना देंगे कि वे किसको इसकी शिकायत करें।

श्री ए० के० पांजा : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि वे हमें इसके बारे में कोई सूचना देते हैं तो हम इस पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे। वास्तव में हम तत्काल कार्यवाही कर रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

3.13 म० प०

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

### (एक) पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा अनेक रेलगाड़ियों का चलाना बन्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व

के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों द्वारा रद्द की गई बहुत सी गाड़ियों से उत्पन्न स्थिति तथा कुछ नई गाड़ियों के समय में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप यात्रियों को होने वाली असुविधा और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये उपाय ।"

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री महावीर प्रसाद) : महोदय, रेलें नई गाड़ियां चलाने, उनका चालन क्षेत्र बढ़ाने, गाड़ियों के फेरे बढ़ाने, गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन करने तथा अतिरिक्त ठहरावों की व्यवस्था करने से सम्बन्धित विभिन्न मांगों की जांच करने के लिए अपनी गाड़ी सेवाओं की वर्ष में दो बार समीक्षा करती हैं। जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है कि रेलों को संसाधनों की अत्यधिक तंगी का लगातार सामना करना पड़ रहा है तथा माल और यात्री यातायात की निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा को ढोना पड़ता है । अत: नई मांगों को भी मौजूदा गाड़ी सेवाओं का युक्तिकरण करके ही पूरा किया जाना है ।

लम्बे समय से की जा रही कतिपय मांगें पूरी करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस वर्ष नवम्बर से निम्नलिखित नई गाड़ियां चलाई हैं जो उड़ीसा राज्य को सेवित करती हैं :—

1. हावड़ा और भुवनेश्वर के बीच दिन में चलने वाली 21/22 जोड़ी एक्सप्रेस जन शताब्दी गाड़ी जो दो पड़ोसी राज्यों की राजधानियों को जोड़ती है।
2. पश्चिमी भागों को उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से जोड़ने के लिए भुवनेश्वर-सम्बलपुर के बीच मई, 1988 में चलाई गई 47/48 हीराकुंड एक्सप्रेस गाड़ी का चालन क्षेत्र झारसुगुडा तक बढ़ाया गया था ।
3. भुवनेश्वर के उत्तर में पूर्वी तट पर रहने वाले लोगों के लिए हावड़ा से तिरुपति तक एक सीधी तेज गाड़ी सेवा ।
4. मद्रास और हवड़ा के बीच एक दैनिक गाड़ी सेवा सुलभ कराने के लिए त्रिवेन्द्रम/कोच्चिन/बंगलूर-हवड़ा/गुवाहाटी ग्रुप की गाड़ियों, जो उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती हैं, के फेरे बढ़ाये गये थे । इन गाड़ियों को, जो पहले कटक से होकर नहीं गुजरती थीं, कटक से होकर गुजरने के लिए उनके मार्ग में परिवर्तन किया गया था । इस प्रकार, सुपरफास्ट गाड़ियां चलाकर कटक को एक ओर से हवड़ा-गुवाहाटी और दूसरी ओर से त्रिवेन्द्रम-कोच्चिन-बंगलूर-मद्रास से जोड़ा गया है ।

संसाधनों की तंगी के कारण ये सेवाएं कुछ सेवाओं का युक्तिकरण करके ही शुरू की जा सकती थीं । अत: हमें एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों को टिटलागढ़-झारसुगुडा खण्ड पर, एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों को पुरी-हवड़ा खण्ड पर, एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों को भुवनेश्वर-पलासा खण्ड पर तथा धीमी गतिवाली पुरी-तिरुपति एक्सप्रेस और सप्ताह में 3 दिन चलने वाली मद्रास-हावड़ा जनता एक्सप्रेस को बन्द करना पड़ा था । इसके बावजूद, रेलों ने इस कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए निम्नलिखित नई गाड़ियां चलाई हैं :—

1. झारसुगुडा-सम्बलपुर के बीच एक जोड़ी शटल गाड़ियां—जे एस-3/जे एस-4
2. खड़गपुर-भद्रक खण्ड पर सुबह/शाम को चलने वाले दैनिक यात्रियों के लिए 461/462 एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां ।

[श्री महावीर प्रसाद]

3. खोरधा रोड और पुरी के बीच एक जोड़ी शटल गाड़ियां—के०पी-1/के०पी-2, खोरधा रोड पर पुरी-तिरुपति यातायात को मेल देने के लिए।

4. खोरधा रोड-बालूगांव और झारसुगुडा-सम्बलपुर के बीच 47/48 एक्सप्रेस को सभी स्टेशनों पर ठहराने की व्यवस्था की गई है।

नीलाचल समूह की गाड़ियों अर्थात् नई दिल्ली-पुरी के बीच 175/176 और 915/916 गाड़ियों की समय सारणी में परिवर्तन किया गया है ताकि इन स्थानों के बीच 2 दिन और एक रात की सेवा के स्थान पर 2 रात और एक दिन का यात्रा समय लगने से और अधिक सुविधा प्रदान की जा सके और इस प्रकार यात्रियों के एक कार्य दिवस की बचत हो सके। इसके साथ ही, ये गाड़ियां अब भुवनेश्वर प्रात: पहुंचती हैं तथा भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए सांय को छूटती हैं जो कि पहले की गाड़ियों के दोपहर बाद पहुंचने की अपेक्षा अब और अधिक सुविधाजनक हो गया है।

अन्त में, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा यह सतत प्रयास है कि हमारे संसाधनों की उपलब्धता के भीतर यथासम्भव बेहतर गाड़ी सेवाएं सुलभ कराई जाएं और हम इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहेंगे।

**श्री चिन्तामणि जेना** : सभापति महोदय, मैं अपने को माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य तक ही सीमित रखूंगा। महोदय, आपकी अनुमति से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 1982-83 में जो सर्वेक्षण किया गया उसके अनुसार सिर्फ राज्य में यात्रियों की संख्या 10.75 लाख थी। 1987-88 में यह बढ़कर 16.38 लाख हो गई। ऐसा अनुमान है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह 20 लाख हो जावेगी। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि अन्य क्षेत्रों से विशेषरूप से दक्षिण-पूर्व क्षेत्रों में से ऐसी कितनी गाड़ियां रद्द की गई हैं? इसके बाद मैं माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य पर कुछ कहूंगा।

महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि हावड़ा-मद्रास जनता एक्सप्रेस 37/38 रद्द की गई हैं। महोदय, आपको यह भी विदित होगा कि यात्री गाड़ी संख्या 397/398 जो पुरी व आसनसोल के मध्य चलती थीं रद्द कर दी गई है। अत: ये दोनों गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। इन गाड़ियों के रद्द करने का कारण यह दिया गया है कि उन क्षेत्रों में सेना ले जायी जा रही थी। अत: अधिक गाड़ियां चलाना जरूरी था। महोदय, जहां तक प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है, हमारे अनुसार इसका स्थान सबसे ऊपर है। अत: हमने इसके बारे में कुछ नहीं कहा अपितु हमने कठिनाइयों के साथ समझौता कर लिया है। लेकिन हमारे द्वारा बार-बार मांग व अनुरोध किए जाने के बावजूद रेलगाड़ियां संख्या 397/398 जो आम लोगों के लिए चलाई जा रही थी उन्हें पूरी तरह पुन: चालू नहीं किया गया है। कुछ समय तक सप्ताह में तीन दिन चलने वाली गाड़ियां चलाई जा रही थीं। लेकिन 1 नवम्बर, 1988 को इन्हें फिर से बन्द कर दिया गया। अत: उन क्षेत्रों के लोगों द्वारा जिन मुसीबतों का सामना किया जा रहा है आप उसका अन्दाजा लगा सकते हैं।

महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में 203/204 पुरी-हावड़ा यात्री गाड़ी के बारे में उल्लेख किया है। यह रेलगाड़ी एक शताब्दी पुरानी है तथा यह तब शुरू की गई थी जब बी० एन० आर० सेवा शुरू की गई थी। ये गाड़ियां हावड़ा व पुरी के बीच इस विचार से चलाई जा रही थीं

कि पुरी एक महत्वपूर्ण शहर है तथा इसकी धार्मिक महत्ता भी है। मैं अन्य बातों में नहीं जा रहा हूं। लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि 461/462 के०जी०पी० तथा बी० एच० सी० रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या 461/462 इस गाड़ी के खड़गपुर पहुंचने के बाद पुरी तथा हावड़ा पहुंचने के लिए कोई और यात्री गाड़ी है। इस गाड़ी के बाद कोई और गाड़ी नहीं है। रात को 8.30 पर बर्दवान पहुंचने के बाद वहां पर 12 घंटे तक कटक, भुवनेश्वर, पुरी वगैरह जाने के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है। अतः लोगों को एक्सप्रेस गाड़ी के लिए रात के एक या डेढ़ बजे तक इन्तजार करना पड़ता है। इस समय पुरी के लिए सिर्फ एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है। महोदय, यह गम्भीर स्थिति है। मन्त्री महोदय, कृपया इस पर ध्यान दें कि यह सही है अथवा नहीं।

इसी प्रकार महोदय मेरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे सहयोगी यह जानते हैं कि गाड़ी संख्या 215/216 पालाा-बी० बी० एस० आर० रद्द कर दी गई थी। इससे रेल यात्रियों को बहुत असुविधाओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस रेलगाड़ी के रद्द किये जाने से लोग बहुत उत्तेजित है तथा उन्होंने इसके लिए अनेक आन्दोलन शुरू कर दिए हैं। इसी प्रकार सम्बलपुर-टिटिलगढ़ के मध्य चलने वाली यात्री गाड़ी भी रद्द कर दी गई थी। महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था कि रेलगाड़ी संख्या 47/48 यानि कि हीराकुण्ड एक्सप्रेस को झारसुगुडा तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए हम रेलवे के आभारी है।

लेकिन साथ ही क्या आप यह जानते हैं कि यह रेलगाड़ी भुवनेश्वर से झारसुगडा, सम्बलपुर पहुंचने में 20 घन्टे का समय लेती है जबकि सड़क के द्वारा 7 या 8 घन्टे में सम्बलपुर पहुंचा जा सकता है। बस से 9 से 10 घन्टे का समय लगता है। यही स्थिति हिराकुण्ड एक्सप्रेस के साथ है। सम्बलपुर टिटिलगढ़ सवारी गाड़ी भी रद्द कर दी गयी है। लोगों द्वारा इस एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव के लिए मांग करना उचित ही हैं। यात्री एक्सप्रेस गाड़ी का किराया देने को तैयार हैं। अभी वे लोग ऐसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं जो 20 घन्टे का समय लेती हैं जबकि उसे 8 घन्टे का समय लेना चाहिए।

माननीय मन्त्री महोदय ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश के यात्रीयों को रेलवे द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में बताया है, जो कि रेलगाड़ी नम्बर 175, 176, 915 और 916 की समय सारणी में परिवर्तन करके प्रदान की जा रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा की ये रेलगाड़ीयों—175, 176, 915 और 916 सुपर फास्ट गाड़ियां होने के बाद भी कितना समय लेती है। अब दोनों रेलगाड़ीयां 2 घन्टे से 2½ घन्टे, पहले से ज्यादा समय लेती है। नीलाचल एक्सप्रेस भी पहले से ज्यादा वक्त लेती है। आज जब हम स्पुतनिक और जेट से जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस गाड़ियां केवल 60 से 61 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या एक नीति निर्णय के अनुसार सुपरफास्ट गाड़ियों को कम-से-कम 90 किलोमीटर प्रति घन्टा की रफ्तार से चलाया जाना चाहिए? उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में यात्रियों की संख्या अन्य क्षेत्रों से बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी यहां के लोग यातना सह रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात का आग्रह करूंगा की वे अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री सिन्धिया जी से इस बात की पुष्टि करें। सितम्बर के प्रथम सप्ताह में, हमने उड़ीसा के सभी लोक-सभा सदस्यों ने माननीय मंत्री श्री सिंधिया जी से उनके कार्य में रेलवे की कुछ विकास परियोजनाओं

[श्री महावीर प्रसाद]

के सम्बन्ध में मुलाकात की थी। इस चर्चा के दौरान, एक भद्र पुरुष ने, जो शायद रेलवे बोर्ड के थे, कहा कि वे समय-सारणी में परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं कि इससे एक कार्य-दिवस बचेगा। एक आवाज के साथ, हम लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। मैं माननीय मंत्री, श्री सिंधिया जी का आभारी हूं कि उन्होंने हम लोगों से यह पूछा की क्या पहले वाली समय-सारणी कायम रहनी चाहिए। एकमत होकर, हम लोगों ने कहा "हां, पहले की समय-सारणी कायम रहनी चाहिये।"

इस समय, गाड़ी सं० 175 21.30 बजे दिल्ली पहुंचती है। हम चाहते हैं कि इस गाड़ी का पुरी से चलने का समय को एक-दो घण्टे पहले करना चाहिए जिससे की यह गाड़ी नई दिल्ली आधा घंटा पहुंच सके। आखिरकार हुआ क्या ? अब ये दोनों गाड़ियां 23.00 बजे निजामुद्दीन से चलती हैं, और 23.30 बजे नई दिल्ली पहुंचती हैं। और फिर मध्य रात्रि को 12.00 बजे दिल्ली पहुंचेगी और उसके उपरांत पुरी के लिए रवाना होगी। पुरी से वापस आते वक्त यह गाड़ी मध्य-रात्रि के 3 बजे दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी और 3.30 बजे नई दिल्ली और करीब 4.30 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी। यह गाड़ी 3.30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। और 4.00 बजे नई दिल्ली आवेगी। यह 4.30 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी। ऐसी स्थिति है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री चिन्तामणि जेना : आप जानते हैं कि अगर हम नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली स्टेशन रात के 11.00 बजे या 11.30 बजे पहुंचते हैं तो यात्रियों को कोई परिवहन नहीं मिलता। उन्हें अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बस से यात्रा करनी होगी और उस समय बस उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए, लोगों को हर दिन कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। माननीय मंत्री महोदय इस सच्चाई का अंदाज लगा सकते हैं।

इस नई समय सारणी से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के यात्रियों के लिए बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है, खासकर जबकि ये दोनों गाड़ियां उड़ीसा के लिए हैं। 50 प्रतिशत यात्री जो इन दोनों गाड़ियों से यात्रा करते हैं, उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिन लोगों को भद्रक, बालासोर, खड़गपुर, मिदनापुर, बांकुरा, विष्णुपुर और टाटानगर से यह गाड़ी लेनी होती है उन्हें स्टेशन मध्य-रात्रि के 2.00 या 2.30 या 1.00 बजे पहुंचना पड़ता है चाहे वह जाने वाली गाड़ी हो या आने वाली। गाड़ियों के ये समय तुरन्त बदले जाने चाहिये। मैं अपने आपको माननीय मंत्री महोदय के द्वारा दिया गया वक्तव्य तक सीमित कर रहा हूं।

1979 और 1980 के बाद पुरी-तिरुपति एक्सप्रेस को खुर्दा-पुरी खण्ड पर चलाना रोक दिया था। इससे खुर्दा रोड से पुरी के बीच के नौ रेलवे स्टेशनों पर काफी कठिनाईयां हो रही हैं।

तिरुपति-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं। यह अच्छी बात है।

मार्ग में परिवर्तन के कारण पुरी से खुर्दा रोड के बीच के रात्रि यात्रियों को काफी कठिनाई हो रही है। गाड़ी संख्या 479 और 480 वहां कहीं भी नहीं रुकती हैं। उन्हें अधिक स्थानों पर रोका जाना चाहिए।

मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा था कि गाड़ी संख्या 21 और 22 कोणार्क एक्सप्रेस 203 और 204 पुरी हावड़ा यात्री गाड़ी का विकल्प है। गाड़ी सं० 22 सायं 19-30 बजे हावड़ा

पहुंचती है तथा यह दिन की गाड़ी है। परन्तु मन्त्री महोदय कृपया समय-सारणी को देखें। उड़ीसा से लोगों को काफी-रात में हावड़ा पहुंचकर काफी कठिनाई होती है। इसका केवल एक ही हल यह है कि एक ओर डिब्बा चलाया जाये, जिससे दिन में जिस समय वह हावड़ा पहुंचता है लगभग उसी समय भुवनेश्वर पहुंचे। इसके लिए केवल एक ही डिब्बे की ही आवश्यकता है। इस पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह 203-204 यात्री गाड़ी का विकल्प है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह कृपया समय-सारणी को देखें। वह देखेंगे कि 203-204 पुरी-हावड़ा गाड़ी 76 स्थानों पर रुकती है। 21-22 चौली एक्सप्रेस भी हावड़ा व भुवनेश्वर के बीच 8 स्थानों पर रुकती है। अतः आप अनुमान लगा सकते हैं कि 203-204 यात्री गाड़ी के रद्द करने के बाद लोगों को कितनी कठिनाई होती होगी। जबकि 17-18 लिंक एक्सप्रेस भी चल रही है। मन्त्री महोदय, ने यह वक्तव्य देकर कि रेलवे यात्रियों की सुविधाओं की ओर ध्यान दे रही है, बड़ी कृपा की है। उनकी सूचनार्थ मैं बताना चाहूंगा कि 17-18 लिंक एक्सप्रेस एक एक्सप्रेस गाड़ी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस गाड़ी को तीन जगहों पर अलग किया जाता है और तीन जगहों पर जोड़ा जाता है। आप इससे यात्रियों की कठिनाईयों का अनुमान लगा सकते हैं। महोदय पश्चिमी उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के दो जिलों से लोग इस गाड़ी में यात्रा करते हैं। उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उड़ीसा के अलावा आन्ध्र प्रदेश में कई आन्दोलन हुए हैं अतः 17-18 लिंक एक्सप्रेस के पिछले समय को फिर से बहाल कर देना चाहिए।

महोदय, माननीय सदस्यों ने बताया है कि कटक के लिए बहुत सी गाड़ियां चलायी गयी हैं। परन्तु आपको आश्चर्य होगा कि श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस अब कटक होकर नहीं जाती है तथा वहां नहीं रुकती है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कटक थी। वहां उच्च न्यायालय है तथा इसके अलावा वह एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। वहां पर राजस्व बोर्ड तथा अन्य कार्यालय हैं। मैं इन बातों को विस्तार से नहीं बता रहा हूं।

परन्तु मैं मन्त्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा। मुझे उन गाड़ियों के नम्बर पता है जो कटक से होकर जाती हैं तथा वहां रुकती है। श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस का रास्ता वाया नर्ग होते हुए कर दिया गया है। गाड़ी सं० 203-204 को रद्द कर दिया गया है। 37-38 जनता एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। क्या आपको पता है कि इन गाड़ियों में, जो इस समय कटक पर रुकती है कटक से आरक्षण का कोई कोटा नहीं है। अतः कटक के लोग बहुत उत्तेजित हैं। सारे राज्य में लगभग सभी-जिलों में इस समय परिवर्तन तथा गाड़ियों के रद्द किये जाने के विरोध में आन्दोलन चल रहे हैं। यदि उड़ीसा में फसल कटाई नहीं होती तो इसका रूप और व्यापक होता। लोग फसल कटाई में लगे हुए हैं। मुझे पूरी जानकारी है। मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इससे सारे राज्य में रेलवे व्यवस्था ठप्प हो जायेगी। रेलवे यह कह सकता है कि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना। राज्य का काम है। परन्तु यदि रेलवे इस प्रकार के निर्णय लेगी तथा राज्य सरकारों पर इन्हें लागू करने पर दबाव डालेगी तो राज्य की लोकप्रिय सरकारें इस प्रकार के निर्णयों को कैसे लागू कर पायेंगी। कभी-कभी रेलवे द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।

मैं केवल एक या दो मिनट और लूंगा। मैं 203-204 हावड़ा-पुरी यात्री गाड़ी, 397-398 पुरी-आसनसोल यात्री गाड़ी, 37-38 जनता एक्सप्रेस, 21 -216 पलासा-भुवनेश्वर एक्सप्रेस, तथा संबलपुर तितलागढ़ यात्री गाड़ियों को फिर से चलाने की मांग करता हूं। इनको तुरन्त दोबारा चलाना चाहिये। महोदय, मन्त्री महोदय को पता होगा कि पश्चिमी उड़ीसा में बहुत सी सीमित गाड़ियां हैं।

[श्री अनिल बसु]

लोग और गाड़ियों की मांग कर रहे हैं। परन्तु वर्तमान रेलवे बोर्ड तथा रेल मन्त्रालय ने गाड़ियां रद्द करने का निर्णय लिया है। इससे उड़ीसा के पश्चिमी जिले के लोग प्रभावित होंगे। 21-22 गाड़ी में एक डिब्बा ही चल रहा है इसमें और डिब्बे लगाये जाने चाहिये।

पहले गाड़ी नं० 7?-7? को उत्कल एक्सप्रैस कहते थे। उसे दिल्ली पहुंचने में 44 घण्टे लगते थे। यह डेढ साल पहले की बात है। एक और गाड़ी थी जिसका नाम कलिंग एक्सप्रैस था। अब दोनों गाड़ियों को मिलाकर कलिंग-उत्कल एक्सप्रैस बना दिया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि दोनों गाड़ियों को अलग-अलग चलाना चाहिये तथा मिलाना नहीं चाहिये इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री अनिल बसु** (आरामबाग) : सभापति महोदय, मैं दूसरे पक्ष से अपने मित्र का साथ देते हुए रेल उप मन्त्री के वक्तव्य पर खेद व सन्तोष व्यक्त करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सभी पक्षों के सदस्यों का हाल ही में रेल समय-सारणी में किए गए परिवर्तनों तथा अन्य परिवर्तनों पर खेद है तथा क्षुब्ध है।

मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि कु० ममता बनर्जी, जो कि काफी समय से इन्तजार कर रही है, भी मेरा समर्थन करेंगी।

समस्या तब पैदा हुई जब रेलवे बोर्ड तथा रेल मंत्रालय तथा सम्बन्धित अधिकारियों ने गलत सुधार कर समय-सारिणी तथा अन्य बातों में परिवर्तन किये। इन परिवर्तनों को करते समय रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय तथा अन्य अधिकारियों ने हम सांसदों से परामर्श नहीं किया। किसी ने हमसे परामर्श करना जरूरी नहीं समझा। जब हम दिल्ली से बाहर जायेंगे तो लोग हमारे सामने समय-सारिणी व रेलों में परिवर्तन का विरोध करेंगे, हम कुछ नहीं कह पायेंगे वह केवल हमें दोषी ठहराते हैं। वह कहते हैं : "आप दिल्ली क्यों गये, आप कुछ नहीं कर सकते, आप में कोई क्षमता नहीं है।" हमसे जनता गाली देती है क्योंकि सांसद होने के कारण हमें जनता के सामने जाना पड़ता है तथा लोग समय-सारिणी से परेशान तथा असन्तुष्ट हैं। क्योंकि समय-सारिणी में परिवर्तन कर दिया गया है तथा गाड़ियां रद्द कर दी गयी हैं। पिछले वर्ष रेल राज्य मंत्री श्री माधव राव सिंधिया स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जो गाड़ियां 1987 में रद्द कर दी गई थी उन्हें तुरन्त चलाया जायेगा। आज तक कोई गाड़ी नहीं चलायी गयी है। यह एक गम्भीर समस्या खड़ी कर रहा है।

उड़ीसा के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि आप मुझ से ज्यादा जानते हैं। हाल ही में रेल समय-सारिणी तथा गाड़ियों के रद्द किए जाने के विरोध में 12 घंटे का पुरी बन्द आयोजित किया गया था। यह कलकत्ता बन्द या पश्चिम बंगाल बन्द नहीं था। यह पुरी बन्द था जोकि लोगों ने किया था। महाबीर प्रसाद जी है, जोकि हमारे रेल उप मन्त्री है, यहां उपस्थित है। क्या हम उनसे कर्मवीर प्रसाद होने की अपेक्षा करें। मैं जानता हूं कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मंत्री महोदय ने समस्या का कोई जिक्र ही नहीं किया है।

**सभापति महोदय** : जवाब देंगे, यह केवल वक्तव्य था।

**श्री अनिल बसु** : वक्तव्य से यह पता चलता है कि वह समस्या के प्रति कहां तक चिन्तित है। परन्तु उन्होंने पूर्वी रेल तथा दक्षिण पूर्वी रेल के अन्य क्षेत्रों तथा हावड़ा सेक्शन के उप-नगरीय विभाग की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा है।

उनके वक्तव्य में इस बात के अलावा और कुछ नहीं है कि फलां-फलां गाड़ी को उड़ीसा में दोबारा चलाया गया है। यह क्या है ? उन्होंने एक ब्यान में कहा है कि वह इसको साल में दो बार देखते हैं। कौन देखता है तथा वे कौन से अधिकारी हैं ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे जनप्रतिनिधियों से परामर्श लेते हैं या नहीं।

आपकी एक मण्डल सलाहकार समिति है। यह समिति कैसे काम करती है ? संसद सदस्यों की सलाह क्यों नहीं ली गई ? आपने कहा कि धन की कमी है। मैं नहीं समझता कि चर्चा करने के लिए भी कुछ खर्च करना पड़ेगा। आप रेलवे डिवीजन में संसद सदस्यों से पूछ सकते हैं। आप उनके साथ बैठकर उनके विचार जान सकते हैं क्योंकि दोनों ही तरफ के संसद सदस्य, जब कभी भी किसी समस्या के बारे में अपनी राय देते है, तो समस्या को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से यात्रियों, प्रशासनिक, रेलवे, तथा राजस्व, इन सभी दृष्टिकोणों से देखते हैं। परन्तु उनकी सलाह कभी नहीं ली गयी। रेलवे ने कभी भी संसद सदस्यों के विचार जानने की परवाह नहीं की। जो लोग उच्च पदों पर हैं, उनका रवैया बहुत उदासीन है। यह बहुत ही बुरी बात है। (व्यवधान)

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में दक्षिण-पूर्व रेलवे में उड़ीसा की पांच रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई थी। उन्होंने तीन रेलगाड़ियां आरम्भ की हैं और उनमें से एक है धौली एक्सप्रेस। इसे एक्सप्रेस ट्रेन के रूप चलाया गया था। एक सप्ताह के बाद उन्होंने इसे सुपरफास्ट ट्रेन बना दिया। महोदय, आप जानते है कि सुपरफास्ट ट्रेन का न्यूनतम किराया कितना अधिक है। हरेक व्यक्ति को ज्यादा किराया देना पड़ता है। वे यात्रियों से पैसा वसूलते हैं।

जो गाड़ियां छोटानागपुर होकर जाती थीं, उन्हें बन्द कर दिया गया है; परन्तु उनके स्थान पर वहां और कोई भी नई गाड़ियां नहीं चलायी गई हैं। इन क्षेत्रों में जनजातियां, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर खेतिहर मजदूर हैं। आपने यात्री गाड़ियों को बन्द कर दिया है तथा अब आपने पांच यात्री गाड़ियों के स्थान पर एक सुपरफास्ट गाड़ी चला दी है। लोग उत्तेजित होंगे तथा पूरे उड़ीसा में पहले से ही आंदोलन हो रहा है। एक और गम्भीर बात यह है कि यात्रियों की संख्या तो सौगुना बढ़ती जा रही है परन्तु सवारी डिब्बों की संख्या कम होती जा रही है। आप क्या सुविधायें दे सकते हैं यदि आप सवारी डिब्बों की संख्या, रेक्स, डीजल इंजिन की संख्या नहीं बढ़ा सकते तथा विद्युतीकरण भी नहीं कर सकते ?

महोदय, हावड़ा तथा दिल्ली के बीच 'जनता पैसेन्जर' गाड़ी को बन्द कर दिया गया है। इसके अलावा, आपने उपनगरीय सैक्शन में हावड़ा स्टेशन से रविवार तथा छुट्टियों को चलने वाली गाड़ियां बन्द कर दी हैं। मुझे इसका कारण मालूम नहीं है।

**सभापति महोदय** : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करिये। मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूं।

**श्री अनिल बसु** : वेतन भोगी व्यक्ति जो कलकत्ता जाते हैं वे छुट्टियों के दिनों में अपने घरों में नहीं ठहरते हैं। अधिकतर लोग रविवार तथा छुट्टियों के दिन ही अपने परिवार के साथ कलकत्ता जाते है लेकिन रविवार तथा छुट्टियों के दिन की आपने कई उपनगरीय गाड़ियां बन्द कर दी हैं। सियालदा-लक्ष्मीकांतपुर सैक्शन में कुछ गाड़ियों को बन्द कर किया गया है तथा लोग इस पर उत्तेजित हैं।

**सभापति महोदय** : अब आप अपने स्थान पर बैठ जाईये।

**श्री अनिल बसु** : आप समस्या पर गौर फरमाईये। हावड़ा-बर्दवान मुख्य लाईन पर कतकंडी नामक नहर है तथा भद्रेश्वर पर एक रेलवे पुल है। दो वर्ष पूर्व रेलवे के अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार ने 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। वहां पर काम की प्रगति बहुत ही धीमी है। अब इस मामले में वहां कोई धन की कमी नहीं है। राज्य सरकार से धन ले लिया गया है। तो फिर वहां काम में प्रगति क्यों नहीं हो रही है ?

**सभापति महोदय** : अब आप अपने स्थान पर बैठ जाईये।

**श्री अनिल बसु** : पुरी-नई दिल्ली ट्रेन की समय-सारणी में पुनः फेर-बदल करने का क्या कारण है ? नीलांचल ट्रेन एक समस्या बन गई है। दोनों पक्ष के सदस्य श्री सिंधिया से मिले थे। हमने नीलांचल ट्रेन की नई समय-सारणी के बारे में उन्हें बताया था। हमें बताया गया कि इसकी समय-सारणी को फिर से पुराना वाला कर दिया जायेगा परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

एक और समस्या है। उमेदपुर-कटवा मीटर लाईन का बड़ी लाईन से जोड़ा जाना चाहिए। उमेदपुर-कटवा लाईन की दो गाड़ियों को बन्द कर दिया गया है। इन्हें पुनः चलाया जाना चाहिए तथा मीटर लाईन को बड़ी लाईन से जोड़ने का काम किया जाना चाहिए।

बी० डी० लाईनों की गाड़ियों को बन्द कर दिया गया है। केवल एक गाड़ी चल रही है। और ज्यादा गाड़ियां चलाई जानी चाहिए। मुश्किल क्या है ? आपको हमें बताना चाहिए।

जहां तक तारकेश्वर से आरामबाग तक रेल लाईन का विस्तार करने का संबंध है, आपके पूर्व मन्त्री, जिन्हें आजकल 'स्टेनगन खान' कहा जाता है, आरामबाग गये थे जोकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। उन्होंने बताया था कि एक महीने के अन्दर रेल लाईन बिछा दी जायेगी। अब लोग इस बारे में उत्तेजित हैं।

**श्री अजय बिश्वास** (त्रिपुरा पश्चिम) : माननीय समापति महोदय, मैंने वक्तव्य पढ़ा है। वास्तव में यह मन्त्री द्वारा दिया गया अत्यधिक गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य है। मैं उसमें से एक वाक्य को उद्धृत कर रहा हूं :

> "संसाधनों की कमी के कारण इन सेवाओं को कतिपय सेवाओं को मुक्तिसंगत करने के बाद ही चालू किया जा सकता है।"

इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि यदि आप कोई नई रेल सेवा चालू करना चाहते हैं तो आपको अन्य रेल सेवा बन्द करनी होगी। क्या आप यही कहना चाहते हैं ? आपने कतिपय रेल सेवाओं को युक्तिसंगत बनाया है। मैं इस विचार से असहमत हूं क्योंकि इससे आम यात्रियों को वस्तुतः कोई मदद नहीं मिलेगी। इससे निर्धन यात्रियों को गम्भीर समस्या होगी।

प्रत्येक वर्ष हम देखते हैं कि रेलवे बजट में वृद्धि की जा रही है। परन्तु पिछले पांच वर्षों से कोई भी सुधार नहीं हुआ है। अतः मेरे विचार से यह रवैया नहीं होना चाहिये। रेल सेवाएं, जो बन्द की गई हैं, उन्हें पुनः चालू किया जाना चाहिये।

मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। दार्जिलिंग मेल में एक प्रथम दर्जा कोच तथा एक द्वितीय दर्जा

तीन टायर कोच लगाये गये थे। वहां के लोग इस बात से खुश थे। परन्तु उन दो कोचों को हाल ही में हटा लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, उस क्षेत्र के लोग काफी तकलीफ उठा रहे हैं।

एक और मुद्दा सियालदाह स्टेशन के बारे में है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सियालदा है स्टेशन दुनिया में सबसे अधिक व्यस्त स्टेशन है। पिछले पांच वर्षों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन गाड़ियों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है अगर आप आफिस-समय के दौरान रेलवे स्टेशन जायें तो आप देखेंगे कि आफिस जाने वाले लोगों को कलकत्ता पहुंचने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अत: मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि विशेषतया उन गाड़ियों को जिन्हें चलाना बन्द कर दिया गया है, दुबारा चलाया जाना चाहिए।

आपने दक्षिण-पूर्व रेलवे के केवल एक भाग का उल्लेख किया है। दक्षिण-पूर्व रेलवे में कितनी गाड़ियां बन्द कर दी गई हैं? आपने उनका विवरण में उल्लेख नहीं किया है। आपने केवल उड़ीसा में चल रही गाड़ियों का उल्लेख किया है; आपने पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे में कितनी गाड़ियां चलानी बन्द कर दी गई हैं, उसका उल्लेख नहीं किया है। आपने कतिपय सेवाओं को तथा-कथित युक्तिसंगत बनाने के बारे में उल्लेख किया है।

क्या आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करेंगे? अगर आप कोई नई गाड़ी चलाना चाहते हैं तो चलाइये, लेकिन आपको कहीं से कोई भी गाड़ी चलानी बन्द नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश के लोगों को केवल इसी से सहायता मिलेगी।

**श्री अनंत प्रसाद सेठी** (भद्रक) : सभापति महोदय, मैं इस विषय में अपने माननीय मित्रों, जो पहले ही अपने विचारों को व्यक्त कर चुके हैं का समर्थन करना चाहता हूं। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रेलवे में काफी सुधार हुआ है, जिसके लिए हमें गर्व है परन्तु दुर्भाग्य से, भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जो हमारे समाजवाद का मुख्य अंग है। अगर उड़ीसा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया होता जिसके पास समृद्ध खनिज संसाधन हैं, तो इसने अपने आर्थिक विकास के साथ-साथ देश की आर्थिक समृद्धि में बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती लेकिन हम उड़ीसा के प्रतिनिधि और वहां की आम जनता को देश के रेलवे नक्शे में उड़ीसा की स्थिति देखकर शर्म महसूस होती है।

सांसद के रूप में पदग्रहण करने और यहां शपथ ग्रहण करने के बाद से उड़ीसा के दोनों सदनों के अन्य माननीय सदस्यों की तरह मैंने भी सदन तथा सलाहकार समिति में इन मामलों को उठाया था, वैयक्तिक रूप से पत्र लिखे और विभिन्न मन्त्रियों से ग्रुप में मिले लेकिन कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ। हमने नई रेलवे लाइनें बिछाने और चल रही परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे उठाये थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम खड़ी बोलंगी रेलवे लाइन जो एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है के सर्वेक्षण और सातवीं योजना में शामिल करने के लिए कहते रहे हैं। यह लाइन फूलबनी जिले से होकर निकलती है, जो बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और जहां एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है। वहां ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। जैसा मैंने कहा है, हम इसे सातवीं योजना में शामिल कराना चाहते हैं, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया है।

हमने दक्षिण-पूर्व रेलवे मुख्यालय भुवनेश्वर स्थानान्तरित करने या उसकी एक शाखा वहां खोलने के बारे में भी कहा था। जैसाकि आप जानते हैं, दक्षिण उड़ीसा दक्षिण पूर्व रेलवे की जान है।

[श्री अनन्त प्रसाद सेठी]

राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें भारत सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय को भुवनेश्वर में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया था और जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी उनके लिए धन उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया था परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है।

हम उड़ीसा से युवाओं की भर्ती और उन्हें दक्षिण-पूर्व रेलवे में रोजगार के अवसर दिलाने का अनुरोध करते रहे है, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। उड़ीसा के युवा अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में अत्याधिक अच्छा करते रहे है, लेकिन दूसरों की तुलना में, उन्हें दक्षिण-पूर्व रेलवे में रोजगार के अवसर नहीं दिए जा रहे है। मैं नहीं जानता इसके पीछे क्या कारण हैं। यह शायद अधिकारी ही जानते हैं। हमने यात्रियों की सुविधा के लिए नई गाड़ियां चलाने के बारे में भी प्रश्न पूछे थे। हमारे सभी प्रयासों को नजरअन्दाज किया गया और उड़ीसा के लोगों के हितों को भी नजरअन्दाज किया गया। नई गाड़ियां चलाने के बजाय, उड़ीसा जैसे राज्य की विशेष रियायत करने के बजाय भारतीय रेलवे ने आठ यात्री गाड़ियों को रद्द कर दिया है। इन यात्री गाड़ियों का इस्तेमाल अधिकांशत: हमारे समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता था। महोदय उन्होंने एक नवम्बर 1988 से 203, 204, 215, 216, 331 और 322 नम्बर की गाड़ियां बन्द कर दी है। उससे पहले उन्होंने दो गाड़ियां अर्थात 397 और 398 बन्द कर दी थीं। इसके अलावा, दक्षिण-पूर्व रेलवे अर्थात् उड़ीसा से चार एक्सप्रेस गाडियां बंद कर दी गई थीं। ये गाड़ियां 37, 38, 79 और 80 है।

उड़ीसा आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने वाली केवल लिंक गाड़ी ही थी। यहां रहने वाले लोग अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। यह गाड़ी 1978-79 में चलाई गई थी। दुर्भाग्य से इस गाड़ी को भी कुछ महीने पहले बंद कर दिया गया है।

203 और 204 नम्बर की गाड़ियां स्वतन्त्रता प्राप्ति से भी पहले से चल रही हैं। यह बात नहीं है कि इन गाड़ियों को केवल दो या तीन वर्ष पहले चलाया गया था। इन गाड़ियों से कमजोर वर्ग के लोगों की जरूरतें पूरी होती थी लेकिन ये गाड़ियां भी बंद कर दी गईं। श्री सिंघिया ने नियम 377 के अधीन किए गए उल्लेख के उत्तर में कहा था कि ये गाड़ियां लोकप्रिय नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि ये गाड़ियां कैसे लोकप्रिय नहीं है ? ये गाड़ियां 100 वर्षों से चल रही हैं और वे गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। हम नहीं जानते कि ये गाड़ियां कैसे लोकप्रिय नहीं हैं। उसी उत्तर में सिंघिया जी ने उल्लेख किया था कि हमने अनेक एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई हैं जो उड़ीसा के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी। इन एक्सप्रेस गाड़ियों में से कुछ गुवाहाटी त्रिवेन्द्रम, गुवाहाटी-कोचीन, हावड़ा-त्रिवेन्द्रम और हावड़ा-तिरुपति हैं। क्या मैं मन्त्री जी से जान सकता हूं कि उनके उड़ीसा में कितने स्टाप हैं। क्या आप 5 कि० मी० की दूरी तक के लिए टिकट जारी करते हैं। अगर नहीं तो आप कैसे आशा करते है कि इनसे उड़ीसा के लोगों की जरूरतें पूरी होगी ? अत: रेलवे उड़ीसा के लोगों के हितों पर इस प्रकार ध्यान दे रहा है ?

दक्षिण पूर्व रेलवे में कर्मशियल मैनेजर ने यह कहा है कि 203, 204, पुरी-हावड़ा यात्री गाड़ियों को 21 और 22 बोली एक्सप्रेस गाड़ी के चलाने के कारण रद्द किया गया है। क्या आप जानते

हैं कि इन 203 और 204 यात्री गाड़ियों के 76 स्टाप थे और उसमें यात्री किराया लगता था लेकिन इस धौला एक्सप्रेस पर सुपरफास्ट का किराया लिया जा रहा है। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि साधारण व्यक्ति और गरीब व्यक्ति को इनसे कैसे फायदा पहुंचेगा ?

मैं रेलगाड़ियों के समय के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि श्री सिंधिया यहां नहीं है। लेकिन श्री महाबीर प्रसाद जी यहां है, उन्हें याद होगा कि उड़ीसा से दोनों सदनों के सभी संसद सदस्यों की बैठक में समय परिवर्तन के बारे में सरकार से अनुरोध किया था कि प्रस्तावित समय लागू न किया जाए तथा मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि पहले वाला समय ही जारी रहे। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि भारतीय रेलवे के अधिकारीगण के रुखे तथा अक्खड़ व्यवहार के कारण हमारे सभी अनुरोध ताक पर रख दिए गये।

शायद आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा किये गये अन्याय के कारण लोगों में काफी क्षोभ की भावना व्याप्त है। मुझे कहना पड़ता है कि भारतीय रेलवे की तानाशाही के कारण हमारे उड़ीसा के शांति-प्रिय लोग एक बड़े स्तर पर आंदोलन तथा रेल रोको अभियान और भूख हड़ताल करने पर विवश है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय को उड़ीसा के विभिन्न संगठनों से अनेक ज्ञापन तथा प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि स्थिति के और अधिक बिगड़ने और इसके हिंसात्मक होने से पहले रद्द की गई गाड़ियों को पुनः चालू करें।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह 203/204 पुरी-हावड़ा यात्री गाड़ी को पुनः चलाए; 398/397 पुरी-आसनसोल यात्री गाड़ी को भद्रक-कटक-बरहामपुर क्षेत्र के बीच दिन की गाड़ी के रूप में पुनः चलाएं, यह किसी भी तरफ से सुबह सात बजे चल सकती है। 37/38 हावड़ा-मद्रास जनता एक्सप्रेस पुनः चालू करें अथवा 979/980 हावड़ा-तिरुपति एक्सप्रेस को 37/38 गाड़ी के समय अनुसार चलाएं और 37/38 गाड़ी के रुकने के स्थानों पर ही यह भी रुके। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि पारादीप-कटक यात्री गाड़ी को जो कटक में दस घन्टे व्यर्थ खड़ी रहती है, भद्रक तक चलाया जाए।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों—915/916 तथा 175/176 को इस प्रकार चलाया जाए कि उड़ीसा से आने वाले यात्री दिल्ली सुबह जल्दी पहुंच जाएं तथा दिल्ली से जाने वाले यात्री 5 बजे म०प० दिल्ली छोड़ सकें। ये समय अत्यधिक अनुकूल रहेंगे तथा इस परिवर्तन से निश्चित रूप से लोगों का हित होगा।

*श्री हरिहर सोरन (क्योंझर) : सभापति महोदय, मैं उड़िया भाषा में बोलना चाहूंगा। आप यहां बैठे हैं। आप उड़िया अच्छी तरह समझ सकते हैं।

**सभापति महोदय :** कृपया संक्षेप में बोलिए।

**श्री हरिहर सोरन :** मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा से मेरे मित्रों ने कुछ रेलगाड़ियों को रद्द करने तथा समय परिवर्तन करने से हुई लोगों को तकलीफों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। इसके फलस्वरूप उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा अन्य प्रभावित

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री हरिहर सोरन]

राज्यों के लोग अत्यधिक कष्ट सह रहे हैं। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में आयोजित हो रहे आंदोलनों के बारे में माननीय रेल मंत्री को जानकारी है।

महोदय, पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा अनेक रेलगाड़ियां रद्द करने तथा कुछ रेलगाड़ियों के समय परिवर्तन से एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है। इस कार्यवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि उड़ीसा के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। रेलगाड़ी का उपयोग करने वाले 175/176 नीलांचल एक्सप्रैस तथा 915/916 निजामुद्दीन-पुरी एक्सप्रैस पर निर्भर है तथा संशोधित समय के कारण वे सबसे अधिक पीड़ित हैं। रेलवे के इस निर्णय के विरोध में उड़ीसा के मुख्यमंत्री, दो केन्द्रीय मंत्रियों तथा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के संसद सदस्यों ने कड़ा विरोध प्रकट किया था। हमने रेलगाड़ियों के समय में उपयुक्त संशोधन तथा राज्य में रद्द की गई यात्री गाड़ियों को पुनः चलाने का आग्रह किया था। मैं माननीय रेल मंत्री से एक बार फिर पुरजोर अपील करता हूं कि उड़ीसा के लोगों की उचित मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

1. नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रैस तथा नीलांचल एक्सप्रैस पुरी से प्रातःकाल चले तथा नई दिल्ली शाम से पहले पहुंचे।

2. 8-डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रैस पुराने समय के अनुसार चलाई जाये।

3. पुरी-तालचेर यात्री गाड़ी पुरी से 4 बजे म० पू० की बजाय 6 बजे म० पू० प्रस्थान करे।

4. रद्द की गई 203/204 पुरी-हावड़ा तथा हावड़ा-पुरी यात्री गाड़ियां पुनः चलाई जाएं।

5. महोदय, हावड़ा तथा भुवनेश्वर और भुवनेश्वर तथा सम्बलपुर के बीच धौली एक्सप्रैस तथा हीराकुण्ड एक्सप्रैस चलाने का मैं स्वागत करता हूं। बाद में हीराकुण्ड एक्सप्रैस को झारसुगुडा तक बढ़ा दिया गया है। इसे तीव्र एक्सप्रैस बना दिया जाए।

   धौली एक्सप्रैस का समय इस प्रकार पुनः निर्धारित किया जाए कि कलकत्ता के लोग भुवनेश्वर कार्यालय समय से पूर्व पहुंच जाएं तथा उड़ीसा के लोग 10 बजे हावड़ा पहुंच जाएं और कलकत्ता में सरकारी कार्य के लिए उपस्थित हो सकें। धौली एक्सप्रैस में अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएं।

6. रद्द की गई भुवनेश्वर-पलासा यात्री गाड़ी पुनः चलाई जाये।

7. नीलांचल एक्सप्रैस तथा नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रैस जाजपुर-क्योंझर मार्ग पर चले।

8. कलिंग एक्सप्रैस को पुनः चलाया जाए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर देने से पहले मैं उनसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। पृष्ठ 2 पर मुद्दा संख्या (चार) में आपने निम्नलिखित उल्लेख किया है :

"47/48 गाड़ी खुर्दा रोड-बालूगांव के बीच सभी स्टेशनों पर रुकेगी।"

कुछ माननीय सदस्य कह ही चुके हैं कि बालूगांव से अगला महत्वपूर्ण स्टेशन कालीकोट है। यह एक ही जिले में हैं। कालीकोट गंजम तथा फूलबनी जाने का रास्ता है जहां रेल लाइनें नहीं हैं और खुर्दा रोड-बालूगांव के बीच सभी स्टेशनों पर इस रेलगाड़ी को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। सभी छोटे स्टेशनों पर इस गाड़ी को रोकने का कोई लाभ नहीं है। इस गाड़ी को कालीकोट क्यों नहीं रोकते ? इस बारे में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। इसी सम्बन्ध में एक रेल रोको आंदोलन हुआ था। यह मुख्यत: इसलिए है कि एक विशेष स्टेशन के लिए आपने एक विशेष एक्सप्रेस गाड़ी को एक यात्री गाड़ी में बदल दिया है और महत्वपूर्ण स्टेशन छोड़ दिए हैं। आप कृपया इसका उत्तर दें।

[हिन्दी]

**श्री महावीर प्रसाद :** सभापति महोदय, जितने भी हमारे माननीय सदस्यों ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भाग लिया, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। ···(व्यवधान ···माननीय सदस्य विद्वान हैं आज मैं उनके प्रति सहमति प्रकट करता हूं। चूंकि मैं पहले एक सांसद हूं और फिर मंत्री हूं।

हमारे विद्वान सदस्य श्री जैना ने एक बात यह की कि उड़ीसा के साथ रेलवे विभाग ने पक्षपात किया है। यह बात सिद्ध है कि जितना भी हमारी गाड़ियां उन जगहों पर चलती हैं, उनमें से कुछ को रद्द किया गया है और उनकी समय-सारिणी में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। गाड़ियां जो रद्द की गई हैं वह काफी विचार-विमर्श के बाद रद्द की गई हैं।

**श्री वसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : किस के साथ यह विचार-विमर्श किया गया ?

**श्री महावीर प्रसाद :** आचार्य जी, आप बहुत विद्वान आदमी हैं। आप मेरी बात पहले सुन लें। माननीय विद्वान सदस्य श्री जैना, श्री बसु, विश्वास जी, सेठी जी और सोरन साहब व उससे बढ़ कर हमारे सभापति महोदय ने अपने विचार इस संदर्भ में जो प्रकट किये हैं मैंने उनको नोट कर लिया है।

203-204 पैसेंजर ट्रेन जो पुरी और हावड़ा के बीच चलती थी, उसको रद्द करने के तदोपरांत 35-22 धौल एक्सप्रेस को शुरू किया गया जो कि एक स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन इसके बारे में यह कहना कि यह कम स्टेशनों पर रुकती है, कहना अच्छा नहीं लगता है। चूंकि पुरी से भद्रक तक ट्रेन का जो समय था वह रात्रि का समय था और रात्रि में की वहां ट्रेन चलती थी इस कारण से भद्रक और खड़कपुर के बीच में 461-462 एक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई लेकिन ···(व्यवधान) ···

[अनुवाद]

**श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** ये गाड़ियां 2 और 3 वर्षों में नहीं चलाई गई थीं। वे बहुत पहले चलाई गई थीं, वे वहां विगत 15 वर्षों से चल रही हैं।

[हिन्दी]

**श्री महावीर प्रसाद :** सेठी जी, आप मेरी बात सुनिये। मैं जानता हूं कि आपके अन्दर गुस्सा तेज है। उसके बाद एक ट्रेन 79-80 रद्द की गई। फिर उसके बदले 979-980 तिरुपति हावड़ा फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाई।

[श्री महाबीर प्रसाद]

**श्री वसुदेव आचार्य** : पहले वाली को रद्द किस कारण से किया गया ।

**श्री महाबीर प्रसाद** : आचार्य जी, आप पहले सुनिए। मैं आपसे अलग से बात करूंगा । चूंकि इस विषय में आपने भाग नहीं लिया । मैं पहले उन विद्वान माननीय सदस्यों की बातों का जवाब दूंगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया ।

मद्रास से आगे चलकर जफलामा और भुवनेश्वर के बीच 215 और 216 एक एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल की गई, रद्द की गई और निरस्त की गई ।

इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए, समायोजित करने के लिए भुवनेश्वर से हावड़ा तक धौल एक्सप्रेस 21-22, फिर तिरुपति से हावड़ा तक 979-980, इसके बाद पुरी से खुर्दा रोड तक के०पी० 1 और के०पी० 2···(व्यवधान)···मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जनता को सेवित करने के लिए यहां शटल चलाया । पुरी से खुर्दा रोड तक हमने यह चलाई । साथ ही साथ भुवनेश्वर से बालू गांव तक कठिनाई को दूर करने और जनता को सेवित करने के लिए सम्बलपुर से जासुगुड़ा तक आगे बढ़ाकर 47-48 एक्सप्रेस गाड़ी चलाई, जो प्रत्येक स्टेशन पर रुकने के लिए चलाई गई । इसके बावजूद सम्बलपुर और जासुगुड़ा के लिए जे०एस० 3-जे०एस० 4 दोनों स्टेशनों के बीच सेवित करने के लिए चलाई ।

इसके बावजूद आपकी भावनाओं को समझते हुए मैं इस सदन में माननीय सदस्यों के सामने सभापति महोदय की आज्ञा से यह कहना चाहूंगा कि हम आपकी भावनाओं से सहमति प्रकट करते हुए, आपकी भावनाओं को समेटते हुए यह चाहते हैं कि इस पर हम और आप बैठें, बैठकर बात करें और बात कर के कुछ निदान निकालें···

**(व्यवधान)**

**श्री वसुदेव आचार्य** : हम लोग बैठे है, बातचीत भी हुई है, हमने मैमोरेण्डम भी दिया है, सब कुछ हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ । हम एक साथ जाकर भी मिले हैं । (व्यवधान)

**श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : 40 एम०पी० उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मिले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ । (व्यवधान)

**श्री महाबीर प्रसाद** : आपकी बातें मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुनीं, आप मेरी बात भी कृपा करके सुनें···(व्यवधान)

**श्री अनिल बसु** : बात होने के बाद आप एक ट्रेन खींच लेते हैं ।

**श्री महाबीर प्रसाद** : आज आप शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बड़े हमदर्द बन रहे हैं, आप अलग से बात कीजिए । भारतीय रेल सब पर विचार करके, सब यात्रियों के लाभ के लिए काम करती है । भारतीय रेल में इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि इस प्रकार की भावना हो । भारतीय रेल सम्पूर्ण रूप से पूरे भारत को एक इकाई मानकर काम करती है । सेठी जी के प्रश्न पर मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि उड़ीसा के साथ पक्षपात किया जाता है, मैं आपके साथ हूं, आप योजना आयोग से ज्यादा धन हमको दिलवाइये, हमको अधिक धन मिलेगा तो हम रेलवे लाइन देने के

लिए तैयार हैं लेकिन इसके बजाय आप इस प्रकार से बात करना चाहते हैं, इस प्रकार से काम चलने वाला नहीं है···

[अनुवाद]

**श्री जगन्नाथ पटनायक** (कालाहांडी) : हमें भय है कि यदि हम कुछ कहेंगे तो दूसरी ट्रेन का चलाना भी बन्द कर दिया जायेगा। हमें यह आशंका है।

**श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : यदि हम और अधिक कहेंगे तो अधिक ट्रेनों का चलाना बन्द कर दिया जायेगा।

[हिन्दी]

**श्री वसुदेव आचार्य** : आपने जो नई ट्रेन इंट्रोड्यूज की वह अच्छी है।

**श्री महावीर प्रसाद** : आचार्य जी, मैं समझ गया हूं कि इससे कांग्रेस पार्टी के लोगों को शक्ति मिल गई है···(व्यवधान)

**श्री अनिल बसु** : आप तो महावीर हैं, आप भी शान्ति से बोलिये।

4.30 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था रखिये। केवल वे ही सदस्य बोलें जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री महावीर प्रसाद** : क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे अधिक तेज बोलने वाला हूं। मैं जवाब दे रहा हूं, आप कृपा करके सुनिए। मैंने माननीय सदस्यों के विचारों से सहमति प्रकट की और सहमति प्रकट करते हुए मैंने कहा कि यह बात जो आप कहते हैं कि कई बार बैठ चुके हैं तो किसी काम को नियम से करने के लिए बार-बार बैठना पड़ता है, जब तक काम नहीं होता तब तक बैठना पड़ता है। मैं बैठूंगा आपके साथ, हमारे रेलवे अधिकारी बैठेंगे और जो समयसारिणी समिति बनी हुई है उससे भी हम बात करेंगे। गाड़ियों के लिए समयसारिणी बनाने के लिए जो समिति है उसके साथ भी हम बैठ कर बात करेंगे। (व्यवधान)

**श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : हम बात करने के लिए जायेंगे तो आप और ट्रेन्स विदड्रा कर लेंगे।

(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद** : मैं विद्वान सदस्य, सेठी जी, जैना साहब और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उड़ीसा में आन्दोलन के जरिए या किसी प्रकार से कोई विसंगतियां पैदा हुई हैं तो हम··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री महोदय के भाषण को ही कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद : मैंने सभी माननीय सदस्यों के विचारों को सुना है और जो उनके सुझाव आए हैं उनको नोट किया है और मैं आमन्त्रित करता हूं आपके जो और भी सुझाव या विचार होंगे वह आप लिखकर भेजेंगे हम उन पर भी विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है। (व्यवधान)

जितने भी आपके सुझाव आए हैं जो कि सार्थक, नियमतः और अनुरूप हैं, उन पर कार्यवाही करने के लिए हम स्वयं विचार करेंगे।

आपकी भावनाओं से सहमति प्रकट करते हुए मैं समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया था कि वह इस पर विचार करेंगे···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : विरोध के रूप में हम सभा छोड़कर जा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पटनायक : विरोध स्वरूप हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

तत्पश्चात् श्री बसुदेव आचार्य, श्री जगन्नाथ पटनायक, श्री अनिल बसु,
श्री के० पी० सिंह देव, श्री अनन्त प्रसाद सेठी और
कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

4.35 म० प०

### (दो) देश के विभिन्न भागों में कपास उत्पादकों की दयनीय दशा

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें—

"देश के विभिन्न भागों में कपास उत्पादकों की दयनीय दशा तथा उन्हें राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय।"

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : महोदय, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में लगभग 75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कपास की फसल का उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन देश में 1971-72 के 69.5 लाख गांठों से बढ़कर 1985-86 में 87.3 लाख गांठें हो गया। यह अब तक की सबसे अधिक उपलब्धि है। चालू

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वर्ष का उत्पादन देश के कुछ भागों में बाढ़, अधिक वर्षा और कीट प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद 95 लाख गांठें होने का अनुमान है, जो कि एक रिकार्ड होगा ।

कपास के उत्पादन और उत्पादकता और साथ ही गुणवत्ता में सुधार लाए जाने की दृष्टि से देश में सन् 1971-72 से सघन कपास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अच्छे बीजों के उत्पादन, प्रदर्शन परीक्षण करने आदि के सम्बन्ध में राजसहायता दी जाती है । भारत सरकार प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निश्चित करती है ताकि उत्पादकों की अच्छी कीमत प्राप्त हो सके । जहां तक इसकी प्रोक्योरमेंट का सम्बन्ध है, राज्य स्तर की एजेंसियों के अतिरिक्त भारतीय कपास निगम किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर कपास की प्रोक्योरमेंट करती रही है। सरकार हमेशा ही कपास के समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि करती रही है। सन् 1985-86 में कपास का समर्थन मूल्य 340 से 900 रुपये प्रति क्विंटल था । इसे बढ़ाकर 1988-89 में 415 से 960 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है ।

भारतीय कपास निगम और महाराष्ट्र राज्य सरकारी कपास उत्पादक विपणन संघ द्वारा प्रोक्योरमेंट सम्बन्धी कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है और दिसम्बर, 1988 के प्रथम सप्ताह तक 77 हजार गांठें प्रोक्योर कर लिए जाने की सूचना मिली है । इसके अतिरिक्त प्रोक्योरमेंट सम्बन्धी कार्य जारी है, ताकि किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसल के लिए उन्हें निश्चित लाभ प्राप्त हो सके ।

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि कपास का लगभग 3.27 लाख हैक्टेयर क्षेत्र आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बाढ़ और भारी वर्षा की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था । इन राज्यों को क्रमश: 2.25 करोड़ रुपए, 2.26 करोड़ रुपए और 2.52 करोड़ रुपए की इन्पुट सबसिडी मंजूर की गई है जिसका प्रयोग चालू वर्ष के दौरान कपास की फसल सहित अन्य फसलों वाले प्रभावित क्षेत्र में किया जा रहा है ।

चालू वर्ष के दौरान कपास की फसल पर कीट प्रकोप की सूचना मुख्यतया आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब से प्राप्त हुई है । प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश में 44 प्रतिशत, पंजाब में 17 प्रतिशत और गुजरात में 7 प्रतिशत था । अन्य राज्यों से कीट प्रकोप के बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली है ।

पिछले वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के गुन्टूर और प्रकासम जिलों के कपास उत्पादकों द्वारा उठाई गई हानि को ध्यान में रखते हुए और इस वर्ष हेलियोथिस के खतरे से निपटने के लिए कपास उत्पादकों की सहायता किये जाने के लिए सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को और साथ ही केन्द्रीय वनस्पति रक्षण निदेशालय को निर्देश जारी किए हैं कि वे कीट प्रकोप पर कड़ी निगरानी रखें और बीमारी के निदान के लिए समय पर उचित कार्यवाही करें भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को ट्राइजोफास, लेनेट जैसी प्रभावी कीटनाशी दवाओं के आयात की अनुमति दे दी है । इसके अतिरिक्त एंडोसल्फान, कार्बेरिल, मोनोक्रोटोफास आदि जैसी प्रभावी कीटनाशी दवाओं के ठीक मात्रा में प्रयोग करने के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह भी दी है।

कीड़ों में होने वाली बीमारी तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जो इस प्रकार हैं :—

1. कीड़ों का मुकाबला करने में सक्षम कपास की किस्मों का विकास करना;
2. फसल में परिवर्तन लाना;

[श्री भजन लाल]

3. कीट निगरानी पद्धति को तेज करना;

4. सपेकित कीट प्रबन्ध को शुरू करना;

5. कीटनाशी दवाओं के उचित प्रयोग के सम्बन्ध में किसानों को शिक्षित करना; और

6. कीटनाशी दवाओं के सम्बन्ध में किए गए नियंत्रण उपायों में तेजी लाना।

इसके अतिरिक्त सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कपास उत्पादकों की मदद करने के लिए विशेष उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं :—

1. प्रभावकारी कीटनाशक दवाओं, जैसे ट्रायजोफास, लेनेट, फेन्प्रोपिथ्रीन और फलूवालिनेट के आयात की अनुमति दी गई है। आंध्र प्रदेश कृषि उद्योग निगम वितरण करने के लिए 44 हजार लीटर मिथोमाइल फारमुलेशन आयात कर रहा है और हैक्स्ट कम्पनी ने पहले ही 8 हजार लीटर ट्रायजोफास का आयात कर लिया है।

2. कीटनाशी दवाओं के निर्माण में उपयोग में लाये जाने वाले स्वदेशी 23 मध्यस्थ पदार्थों पर उत्पाद शुल्क में पूरी छूट दे दी गई है। साथ ही इस वर्ष लेनेट यानि मिथोमाइल के आयात पर सीमा शुल्क में पूरी छूट दे दी गई है।

3. कपास के कीट के अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में निगरानी के कड़े उपाय किए गए हैं।

4. न्यूक्लियर पोलिहाइड्रोसिस वाइरस के इस्तेमाल द्वारा हैलियोथिस के जैव-नियंत्रण का प्रदर्शन।

5. किसानों के लिए प्रभावकारी पौध रक्षण उपाय शुरू करने के लिए जन संचार के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

6. किसानों को सलाह दी गई है कि वे कीटों को और अधिक संख्या में बढ़ने से रोकने के लिए कपास के स्थान पर प्याज, सोयाबीन और सरसों जैसी फसलों की खेती करें।

7. 15 कीटनाशी दवाओं पर आयात शुल्क 105 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत किया गया है और कीटनाशी दवाओं के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री पर भी आयात शुल्क 147 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

8. चालू वर्ष के दौरान सघन कपास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधान को बढ़ाकर 117 लाख रुपये कर दिया गया है जबकि पिछले वर्ष के दौरान 81.7 लाख रुपए की राशि दी गई थी।

सरकार देश में कपास उत्पादकों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और उनकी तकलीफों को कम करने तथा अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, मैं आपका तथा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार

किया । मंत्री महोदय ने अभी देश के विभिन्न भागों में कपास उत्पादकों की स्थिति बताई है । विगत वर्ष की अभूतपूर्व सूखा के बाद इस वर्ष अच्छा मानसून रहा तथा कपास का अच्छा उत्पादन हुआ है यह उत्साहवर्धक है ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उत्पादन नहीं, केवल पौधे उगाए गए हैं ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : जी नहीं, पिछले वर्ष उत्पादन 19 लाख गांठें था इस वर्ष कपास सलाहकार बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि यह 108 लाख गांठें होगा तथा ईस्ट इण्डिया कपास एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि उत्पादन 111 लाख गांठें होगा । जैसाकि रंगा जी ने कहा कि इस वर्ष अधिक फसल हुई है तथा यह सच है कि कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और राजस्थान में उत्पादन दो गुने से अधिक हुआ है । इसी प्रकार गुजरात, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में भी कपास का उत्पादन दुगुना हुआ है । पंजाब तथा महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है । इस प्रकार विगत वर्ष की शेष 18 लाख गांठों, निर्यात की जा रही एक लाख गांठों तथा वर्तमान उत्पादन सहित रुई का भण्डार 124 लाख गांठों से कम नही होगा । सामान्यत: मिलों तथा अन्य में रुई की खपत का अनुमान क्रमश: 95 लाख तथा 5.5 लाख गांठें है । इसका अर्थ है कि 23.5 लाख गांठ फालतू होगी । यदि हम मिलों की ढाई महीने की आवश्यकता को लें, जो 18 लाख गांठें हो सकती है, तो भी 5.5 लाख गांठें बच जाएंगी ।

महोदय, मैं यह दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता कि सरकार ने हमारी दीर्घकालीन नई वस्त्र नीति में यह आश्वासन दिया है कि प्रतिवर्ष छ: लाख रुई की गांठें निर्यात की जायेंगी । इस परिस्थिति में यह बहुत जरूरी है कि कम से कम 5 लाख गांठें लम्बे रेशे वाली तथा अधिक लम्बे रेशे वाली रुई तथा 50,000 गाँठें बंगाल भेषी का निर्यात किया जाए । कपड़ा सलाहकार बोर्ड के आंध्र प्रदेश के किसान प्रतिनिधि तथा पंजाब महाराष्ट्र व गुजरात संघ सरकार व बोर्ड से यह अनुरोध करते रहे हैं कि निर्यात के कोटे की घोषणा तुरन्त की जाए । मेरी समझ में यह नहीं आता है कि सरकार निर्यात कोटे की घोषणा करने को उचित क्यों नहीं समझ रही है । यहां तक कि कांग्रेसी शासन वाले राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार ने भी कहा कि जब तक उत्पादकों को निर्यात के द्वारा सहायता नहीं दी जाएगी तब तक उन्हें उसकी उचित कीमत नहीं मिल पाएगी : दुर्भाग्यवश वस्त्र उद्योग रुई का निर्यात किए जाने के बहुत खिलाफ है तथा वास्तव में इण्डियन काटन मिल्स फैडेरेशन के पद-मुक्त अध्यक्ष श्री एस० के० मोदी ने सरकार से अनुरोध किया है करीब समर्थन मूल्य स्तर पर रुई उपलब्ध कराई जाए । उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि फालतू रुई का निर्यात न किया जाए अपितु इसे खरीद कर सुरक्षित भण्डार के रूप में रखा जाना चाहिए । हम समझ सकते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि वे कम से कम कीमत पर रुई खरीद सकें तथा अपने मुनाफे में वृद्धि कर सकें । लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार निर्यात कोटे की घोषणा करने की पहल क्यों नहीं कर रही है । यदि आप इसकी तुरन्त घोषणा करें तो इससे किसानों को बेहतर तथा उचित कीमत दिलाने में सहायता मिलेगी । यदि आप इसमें विलम्ब करेंगे तो कीमतें गिरेंगी तथा उसका लाभ अन्ततः वस्त्र उद्योग में लगे बड़े उद्योगपतियों तथा कपड़ा मिलों से सम्बन्धित लोगों को मिलेगा । अतः मेरा अनुरोध है कि जैसा आश्वासन सरकार ने अपनी नई निर्यात नीति में दिया था, उसी के अनुसार रुई के निर्यात कोटे की शीघ्र घोषणा करे ।

तीन वर्ष पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में मुझे एक संसदीय शिष्टमण्डल के साथ इण्डोनेशिया जाने का अवसर मिला था । जब माननीय अध्यक्ष महोदय तथा शिष्टमण्डल के सदस्यों

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

ने इण्डोनेशिया सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की, तब उन्होंने कहा था, "क्योंकि आपके देश से सप्लाई की कोई गारन्टी नहीं है इसलिए हम कोई ठोस आर्डर तथा दृढ़ वचन नहीं दे सकते। अन्यथा हम आपके देश को आर्डर देना चाहेंगे।" उन्होंने यह कहा था मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन्डोनेशिया सरकार के साथ सहयोग करें तथा रुई का निर्यात करने का प्रयास करें।

महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार चीन महाराष्ट्र की रुई तथा लम्बे रेशे वाली रुई दोनों में रुचि रखता है तथा यह भी सूचना है कि जापान कपास की डी सी एच-32 तथा एच-4 किस्में खरीदना चाहता है, बशर्ते कि उसमें अनावश्यक तत्वों का स्तर कम किए जाए। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन विदेशी सरकारों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा यह ध्यान दिया जाए कि भारतीय रुई दीर्घकालीन अवधि के लिए निर्यात की जाए जिससे किसानों को अधिक कीमत मिलने में सहायता मिलेगी। मैं सरकार को यह भी सुझाव देता हूं कि भारतीय कपास निगम कपास समर्थन मूल्यों पर न खरीदे अपितु 20 प्रतिशत अधिक दामों पर खरीदे जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक हैं। वास्तव में, महाराष्ट्र सरकार सुपर तथा अच्छी औसत किस्म की कपास 120 रु० प्रति क्विंटल पर खरीदने के लिए तैयार हो गई है तथा इसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार अच्छी किस्म की कपास को, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्यों से 50 रुपये अधिक मूल्य पर खरीदने के लिए सहमत हो गई है। अतएव मेरी समझ में नहीं आता कि भारतीय कपास निगम भी देश के अन्य भागों से कपास खरीदते समय ऐसी नीति क्यों नहीं अपना सकता क्योंकि महाराष्ट्र में यह खरीद स्वायत्त रूप से की जाती है जबकि अन्य राज्यों में कपास निगम उत्पादकों से कपास खरीदता है।

कपास की खरीद के अतिरिक्त कुछ पहलू और भी हैं जिसके कारण इस देश में किसानों को विशेषरूप से कपास उत्पादकों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। महोदय, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मुझे खुशी है सरकार अच्छी किस्म के बीज उत्पादन करने के लिए राजसहायता दे रही है। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि अच्छे किस्म के बीजों के बिना हम अच्छी फसल नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि कुछ राज्यों में कुछ कम्पनियां बिनौले बेच रही हैं। मुझे प्रेस रिपोर्ट से एक ऐसी घटना की जानकारी मिली है। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कतिपय भागों में अप्रभाविक किस्म के बीज सप्लाई किए गए हैं। नाथ सीडस लिमिटेड, औरंगाबाद नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी ने यह बीज सप्लाई किए हैं। इससे पूर्व कि इन बीजों की जांच की जाती। पिछले 2 या 3 वर्षों से शिवनाथ ब्रांड बीज बेचे जा रहे हैं तथा इसके कारण कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के किसानों को भारी क्षति हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है। वास्तव में क्या यह कपास नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन नहीं है? मेरा सरकार से निवेदन है कि वर्तमान अधिनियम में इस प्रकार की कम्पनियों को सजा देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह सच है कि इसे लागू करने का दायित्व राज्यों पर है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जब तक बीज अधिनियम में संशोधन के रूप में कुछ कठोर उपबन्ध नहीं लाए जाते हैं तब तक यह कम्पनियां ऐसा ही करती रहेंगी। क्या वर्तमान उपबन्धों के अधीन आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस कम्पनी ने किसानों को धोखा दिया है उसे किसानों को हर्जाना देना चाहिए। मुझे विश्वास है ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। कृपया आप इस पहलू पर विचार करें तथा बीज अधिनियम में उचित संशोधन करें ताकि इस देश के कपास उत्पादकों को उत्तम किस्म के बीज मिल सकें।

कीटनाशक, हालांकि यह एक अलग विषय है, परन्तु इसके कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। कीटनाशकों के सम्बन्ध में भी आप कहेंगे इस अधिनियम को लागू करने का काम भी राज्यों का है। कीटनाशी अधिनियम की कमियों के कारण घटिया किस्म के कीटनाशकों के वितरक आराम से बचकर निकल जाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को दण्ड नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए हमारी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से नियंत्रण आदेश जारी करने का निवेदन किया था जिससे कि कीटनाशकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सके ताकि सूचना प्राप्त होते ही जिला समाहर्ता कार्यवाही कर सके। इनके भण्डारों को जब्त करके दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए ताकि जो लोग घटिया स्तर के कीटनाशकों को बेचना चाहते हैं उनको बढ़ावा न मिल सके। अच्छे मानसून के कारण कपास के साथ-साथ तिलहन का भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है। इसके परिणामस्वरूप यह सम्भावना है कि तिलहन की अच्छी फसल का प्रभाव कपास के बीज की वसूली पर भी पड़े। इससे कपास की कीमतों में गिरावट आयेगी। मेरा सुझाव है कि आप खाद्य तेलों के आयात पर रोक लगाने की बात पर विचार करें ताकि भारतीय किसानों को तिलहनों व कपास के बिनौलों का उचित व अच्छा मूल्य मिल सके।

इस समय भारतीय कपास निगम में केवल कपड़ा उद्योग के ही प्रतिनिधि हैं। क्या वह कपास उत्पादकों व कपास सहकारिता के प्रतिनिधि हैं ?

कुछ राज्यों में कपास सहकारिता काफी अच्छा काम कर रही है। परन्तु कपास निगम में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। इस कमी के कारण कपास निगम उद्योगपतियों के हितों की तो रक्षा कर लेता है, परन्तु कपास उत्पादकों व सहकारिता के हितों की रक्षा नहीं कर पाता है। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि जिन लोगों ने कपास उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है उनको शामिल करने के लिए इस बात पर विचार कर आवश्यक कदम उठायें। बहुत अच्छे कपास उत्पादन व कपास सहकारिताएं हैं।

मैं सरकार को यह बताना चाहूंगा कि कपड़ा नीति का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। लुंगी हथकरघा क्षेत्र के लिए एक सुरक्षित मद है। परन्तु इसका उत्पादन विद्युत करघा मिलों में भी किया जाता है तथा परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश के हथकरघा उत्पादक विशेषकर गुन्टूर व प्रकासम जिलों के उत्पादकों को बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि वह स्पर्धा करके लुंगियों को बेच नहीं पाते हैं।

अब आंध्र प्रदेश सरकार ने एक योजना के अन्तर्गत यह सारी धोतियां व साड़ियां खरीदी थीं। दुर्भाग्यवश, इससे भी हथकरघा बुनकरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा नीति के उपबन्धों को सख्ती से लागू किया जाये ताकि हथकरघा बुनकरों को संरक्षण दिया जा सके, जोकि काफी अधिक संख्या में है। यह देश की एक बड़ी श्रम शक्ति है।

मैं अपनी पिछली मांग को दोहराना चाहूंगा क्योंकि किसी कारणवश मैं आपको सन्तुष्ट नहीं कर पाया था। श्री एडुआर्डो फैलीरो कह रहे हैं कि वह ऋणों को माफ करना स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या श्री शरद पवार जो कि कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ने 200 करोड़ रुपये के किसानों के ऋण माफ नहीं किए हैं ? साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक उद्योगपतियों के 200 करोड़ रुपये के ऋण माफ कर रही है तथा वह इन उद्योगों के स्थान पर सरकार व बैंक से नए ऋण लेकर नये उद्योग लगा लेंगे। जबकि हमारा राज्य, जिसके पास बहुत ही सीमित

साधन हैं, ने कपास उत्पादकों का 4 करोड़ रु० का ब्याज ही माफ कर दिया है। आपकी सरकार केवल 24 करोड़ रु० का ब्याज क्यों नहीं माफ कर सकती है? मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह हरियाणा को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करें।

मेरा सुझाव है कि जब तक कपास को विस्तृत फसल बीमा योजना में शामिल नहीं किया जाता है। इस समस्या का अन्तिम समाधान नहीं होगा। हम सरकार से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह हर समय किसानों की मदद करे। परन्तु यदि आप कपास को फसल बीमा योजना में शामिल कर लेते हैं तो इस योजना के अन्तर्गत किसानों की कुछ हद तक सहायता हो सकती हैं।

मैं अपनी तथा आंध्र प्रदेश के कपास उत्पादकों की ओर से केन्द्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लनाना, फेनप्रोपेथ्रिन और फ्लूवेलिनेट के आयात की अनुमति दे दी है। एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन 44,00 लीटर मेथोमाइल फार्मूलेशन का आयात कर रहा है।

मैं आर्थिक कार्य मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वित्त मंत्रालय से यह सिफारिश की है कि इन कीटनाशकों पर से आयात कर हटा दें।

कृपया मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर खुले दिमाग से विचार करें। कृपया कपास उत्पादकों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए तुरन्त कदम उठायें।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री राम स्वरूप राम(गया)** : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कपास पैदा करने वालों पर जो वक्तव्य दिया उसको मैं गौर से देख रहा था। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि प्रकाशम और आन्ध्र प्रदेश के दूसरे जिलों में किसानों को जो तकलीफें हुई हैं उनके सुधार के लिए क्या कदम उठाये हैं। प्राइस राइस का समर्थन किया यह सही है। हम जब भारत की कल्पना करते हैं तो किसानों की कल्पना साथ आ जाती है, क्योंकि भारत किसानों का देश है और किसान चाहे कपास के उत्पादन में लगे हों या गन्ने के उत्पादन में लगे हों हमेशा ही वे प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होते रहे हैं। उनको कभी बाढ़ से या कभी सूखे से नुकसान होता है और नतीजा यह होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। यहां पर काटन ग्रोअर फार्मर्स की चर्चा हो रही है। इसके तहत मैं कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश जहां मुख्यतः कपास पैदा होती है उस जैसे अन्य राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्णाटक, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब आदि हैं। आंध्र प्रदेश के किसानों ने देखा कि अगर हम ज्यादा पैदा करें तो हमारी स्थिति सुधर सकती है···वहां एक्सपर्ट लोगों ने ओपीनियन दी कि यदि आप यहां कपास

**5.00 म० प०**

की खेती आरम्भ कर दो तो उससे स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। एक्सपर्ट लोगों ने रिकमेंड किया है कि—

[अनुवाद]

कपास उत्पादन की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि उसने आन्ध्र प्रदेश में अधिकतर किसानों को समृद्ध-लना दिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत से तम्बाकू उत्पादकों ने कपास उत्पादन शुरू कर दिया है। परन्तु लगातार सूखा, एक ही प्रकार की खेती, मिट्टी की उर्वरकता में कमी बार-बार उर्वरकों के प्रयोग तथा कीटनाशकों के प्रयोग से उनका जीवन बहुत कष्टप्रद हो गया है।

[हिन्दी]

लेकिन वहां क्या हुआ। लोगों ने टोबेको की खेती छोड़कर क्या किया। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां मोनो-क्रापिंग हुआ, सायल डीजनरेशन की समस्या उठखड़ी हुई। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि आप जहां कहीं कृषि को इम्प्रूव करना चाहें, चाहे कॉटन हो, टोबेको हो या अन्य कोई कैशक्राप हो, आपके साइंसदान, स्पेशलिस्ट हर जगह मौजूद हैं, कम से कम वे उन एरियाज में जाकर किसानों को आगाह तो करें कि यहां कौन सी फसल लगाने से आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है और कौन सी फसल लगाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपने सारे देश में जगह-जगह सायल टैस्टिंग लैबोरेटरीज की व्यवस्था की है लेकिन कब मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि जहां भी वे टैस्ट करने के लिए सैम्पल लेते हैं, लैबोरेटरी में भेजते हैं, क्या उसके परिणाम से किसानों को भी अवगत कराते हैं कि यहां कौन सी फसल लगाना लाभप्रद हो सकता है मुझे तो आज तक कहीं से ऐसा सुनने में नहीं आया कि फलां जगह की मिट्टी टैस्ट की गई और उस एरिया के किसानों को बताया गया, मासमीडिया के जरिए, एडवर्टाइजमैंट्स के जरिए या किसी अन्य तरीके से, कि यहां अमुक फसल लगाने से फायदा हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था जगह-जगह कीजिए।

आपने किसानों को अनेक प्रकार की सुविधायें दी हैं, प्रावधान किए हैं और किसानों को वे सुविधायें मिलनी भी चाहिए लेकिन मैं एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश में अभी भी बहुत सा एरिया ऐसा है जहां कपास या कॉटन की खेती को जा सकती है, कपास की खेती को उन्नत किया जा सकता है, ऐसे एरियाज में आप सर्वेक्षण कराइये जहां की मिट्टी काली हो। जैसे हमारे प्रदेश में है, वहां आप टैस्ट कराइए। टैस्ट कराने के बाद कॉटन की खेती को प्रोत्साहन दीजिए ताकि उसका लाभ किसानों को भी मिले और देश को भी मिले। वैसे तो आपने किसानों की आपदा के समय क्षतिपूर्ति किए जाने की व्यवस्था की है, क्राप इन्श्योरैंश स्कीम बनायी है आज से तीन साल पहले इसी सदन में हमने पास की है, परन्तु देखने में यह आता है कि जिस किसान की इन प्राकृतिक आपदाओं में क्षति होती है इस योजना के तहत उसे वांछित क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती। पता नहीं आपने इस योजना को कौन सी अलमारी में बन्द कर दि । है कि जनमानस को उसका पता ही नहीं चल रहा है, किसानों को उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। एक मोटर साइकिल यदि कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उसे कहीं छोटा-मोटा धक्का लग जाए तो उसे क्षतिपूर्ति तुरन्त मिल जाती है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में, जो किसानों का देश माना जाता है, जहां 80 फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं, यदि उनकी बाढ़, सूखे आदि में फसल बर्बाद हो जाए, बह जाए तो उनका कभी एसेसमैंट नहीं होता, उनकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। यह हमारा दुर्भाग्य है कि क्राप इन्श्योरेंस जैसी लोकप्रिय स्कीम का लाभ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में नहीं मिल रहा है। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी योजना आपने बना रखी है लेकिन कहीं एसैसमैंट नहीं होता। हमारे देश की हजारों एकड़ जमीन हर साल इन प्राकृतिक आपदाओं में बह जाती है, चाहे उसमें गन्ने की खेती हो, कपास की खेती हो, धान की खेती हो या कोई अन्य। हम केवल मात्र एरियल सर्वे करके संतोष कर लेते हैं। मैं आपकी इस व्यवस्था को उपयोगी नहीं मानता। मेरी आपसे मांग है, दरख्वास्त है कि क्राप इन्श्योरेंस के अन्तर्गत आप सभी बिन्दुओं को कवर कीजिए तभी हम इस देश के किसानों की सच्चे माने में सहायता कर पायेंगे। वैसे तो कॉटन कार्पोरेशन इस देश के सभी किसानों की कपास खरीद लेता है और जहां पर भी सरकारी एजेंसी हैं वहां कपास का उचित मूल्य मिल जाता है।

लेकिन नतीजा यह होता है कि जब बिचौलिए उसमें आ जाते हैं और जब किसान अपनी रूई की गांठें अपनी बैलगाड़ी, ट्रक या ट्रैक्टर पर रखकर बाजार में आता है तो उसको कम्पेल किया जाता है कि वह अपने माल को इस भाव पर बेचे या उस भाव पर बेचे। वह बेचारा 3, 4 दिन कहां बाजार में रुक सकेगा ? नतीजे के तौर पर उसको सस्ते दाम पर अपनी काटन बेचकर जाना पड़ता है।

इसलिए हर क्राप में, चाहे काटन का मार्केट हो या जूट का मार्केट हो, हर ब्लाक में जहां पर उसकी मार्केट्स हैं, वहां पर उसके रुकने के लिए गोदाम जैसी सुविधा बना देनी चाहिए ताकि वह अपना सारा माल वहां रख सके और उसका एक्सप्लायटेशन बिचौलियों से न हो सके।

मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि क्राप की इंश्योरेंस जरूर करें तभी किसान को उसका फायदा हो सकेगा हर मार्केट में एक गोदाम बनना चाहिए।

[अनुवाद]

**श्री भट्टम श्री राममूर्ति** (विशाखापत्तनम) : महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने विद्वान साथी श्री वी० एस० राव द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों का समर्थन करता हूं जिन्होंने किसान विषय का विशेष अध्ययन किया है और किसान आंदोलन के सक्रिय भागीदार के रूप में उन्होंने समस्या का पूरा अध्ययन किया है तथा उन्होंने कपास उत्पादकों की वर्तमान वास्तविक आवश्यकताओं की बहुत स्पष्ट और विश्लेषणात्मक तरीके से व्याख्या की है।

मैंने चालू वर्ष के दौरान कपास उत्पादकों को सहायता के लिए सरकार द्वारा शुरू किये गये विभिन्न उपायों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की कोशिश की है। परन्तु क्या मैं मंत्री महोदय को सादर यह कह सकता हूं कि इसमें कतई सुधार नहीं हुआ है। कृषि प्रधान क्षेत्रों में कपास उत्पादकों को दिए जाने वाले किसी राहत संबंधी ठोस उपाय का स्वागत किया जाएगा। यह सर्वविदित है कि उन्होंने आत्म-हत्या की थी और उनके पास अपने जीवन को समाप्त करने के सिवाय कोई चारा नहीं है क्योंकि हाल ही में उठाई गई भारी क्षति को ध्यान में रखते हुए वे कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम नहीं है। इस अवस्था में मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह ब्याज सहित बकाया राशि की वसूली तथा ऋण के भुगतान को स्थगित करने तथा ऋण वसूली की समयावधि को 12 वर्ष करने की घोषणा करें ताकि वे सुविधापूर्वक ऋण की अदायगी कर सकें। इसकी तत्काल आवश्यकता है। अन्यथा, कपास उत्पादकों के लिए यह अदायगी बहुत मुश्किल होगी। हमें उनकी सहायता करनी होगी।

एक बात और है। सरकार चक्रवृद्धि ब्याज ले रही है जो बहुत बुरी बात है। यह बात समझ में नहीं आती कि वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंक चक्रवृद्धि ब्याज क्यों ले रहे हैं। मैं केवल यही निवेदन करता हूं कि कपास उत्पादकों से साधारण ब्याज ही लिया जाय, इससे अधिक नहीं। केवल यही नहीं, जब कभी ब्याज मूलधन से अधिक हो जाता है तो उनसे केवल मूलधन ही लिया जाना चाहिए, मूलधन की राशि से अधिक बिल्कुल वसूल ही नहीं किया जाना चाहिए और बकाया ब्याज को छोड़ दिया जाना चाहिए। सरकार को ऐसे उपाय अवश्य करने चाहियें।

कपास उत्पादकों, विशेषतौर पर आंध्र प्रदेश को आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए सरकार को अब एक और कदम शीघ्र उठाना चाहिए तथा वह यह है कि सोना जो वाणिज्यिक बैंकों में जमा है, उसको अब नीलाम किया जा रहा है। सरकार को तत्काल विभिन्न व्यावसायिक बैंकों को निर्देश जारी करने चाहियें कि इन कपास उत्पादों द्वारा गिरवी रखे गए सोने को नीलाम नहीं किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले संशोधित निर्देशों के संदर्भ में आने वाले समय में अन्य कदम उठाये जा सकते हैं।

जहां तक वसूल न हो पाने वाले ऋण का संबंध है, विभिन्न बैंकों के विषय में विभिन्न राज्य औद्योगिक इकाइयों में 5,000 करोड़ रुपये फंसे पड़े हैं। अब सरकार क्या कर रही है ? अब हम इसे बट्टे खाते डालने के लिए कह रहे हैं। यह थोड़ी सी धनराशि है, 5,000 करोड़ रुपये की थोड़ी सी धनराशि औद्योगिक इकाइयों में फंसी पड़ी है। इसलिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि कदम उठाये।

दूसरी बात जिस पर भी मेरे दोस्त श्री बी० एस० राव ने जोर दिया था वह यह है कि तम्बाकू तथा कपास की फसलों को बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए -अन्यथा उनके लिए जीवित रहना बहुत कठिन है—ताकि बाकि सहायता भी उनको अपने आप मिल जायेगी। अत्यधिक शोर-शराबा करने की अपेक्षा यह करना चाहिए।

एक अन्य कदम जो आवश्यक है और सरकार के लिए उठाना आवश्यक है, वह यह देखना है कि मौजूदा कानून में कौनसी कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। आपको यह देखने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे कि जहां तक उर्वरकों और कीटनाशकों का संबंध है उनमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। जहां तक बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों का सम्बन्ध है, आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

अन्त में, मैं मंत्री जी का ध्यान हाल ही में दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक कुछ राज्यों में, जिनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है और बेशक मंत्री जी जिस राज्य से संबंधित हैं वह भी शामिल है, वहां और अधिक ऋण सुविधायें नहीं दे रहा है। बिना कारण ही वे इसे रोके हुए हैं। यह ठीक नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, कपास उगाने वाले राज्यों में इसका स्थान प्रथम है। सबसे बढ़िया किस्म की कपास आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। वहां लगभग 5 लाख एकड़ भूमि में कपास उगाई जाती है और लगभग 20 लाख कप'स की गांठों का उत्पादन होता है। परन्तु प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब उनकी हालत बहुत खराब है वे कठिनाई में है और इसलिए उनके लिए आवश्यक राहत उपाय किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

**श्रीमती मनेम्मा अर्जया** (सिकन्दराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हनमकोंडा में काटन काफी मात्रा में नष्ट हो गया है। यही हाल प्रकाशम जिले में हुआ है। वहां के किसानों ने तो आत्म-हत्या तक कर ली है। वहां की दयनीय स्थिति को देखते हुए मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि आप सहायता के रूप में वहां क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाया है। मैं इसके लिए सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। माननीय सदस्यों ने जिन चीजों पर चर्चा की है वह बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप तो जानते ही हैं कि वह किसानों से सम्बन्ध रखते हैं। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इस कारण किसानों की जितनी भी सहायता की जा सकती है, उतनी हमें करनी चाहिए। सरकार ने हमेशा किसानों के हित में जो कुछ हो सकता था, करने की पूरी चेष्टा की है।

[श्री भजन लाल]

राव साहब ने कहा कि कपास का उत्पादन इस वर्ष काफी ज्यादा हुआ है, वह सरप्लस है और इस कारण हमें इसका निर्यात करना चाहिए। मैं राव साहब और अन्य सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कपास की इस दफा फसल बहुत अच्छी हुई है। लेकिन कई जगहों में बाढ़ आने के बाद थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी इस दफा इसका जो उत्पादन होगा वह रिकार्ड उत्पादन होगा। आंकड़ों के अनुसार 95 लाख गांठें इस वर्ष हमारे देश में होंगी। इससे पहले ज्यादा से ज्यादा 83 लाख गांठें हुई थीं। कुछ लोगों का विचार है कि एक करोड़ गांठों का भी उत्पादन हो सकता है।

आप जानते हैं कि पिछले साल सरकार ने कुल एक लाख गांठें बाहर से मंगायी थीं। इस दफा बाहर से मंगाने का सवाल नहीं है। हमारी कोशिश यह होगी कि जितनी भी हमारे देश में इसकी लागत है, उतना उसको रखकर बाकी सरप्लस का निर्यात करें ताकि किसानों को इसके अच्छे और उचित भाव मिल सकें।

कुछ सदस्यों ने कहा कि कुछ कम्पनियां निर्यात के हक में नहीं है। इसमें कम्पनियों का सवाल नहीं है। इसमें उत्पादन का सवाल है और लागत का सवाल है इसके बाद जो सरप्लस होता है उसको देखते हुए ही हम इसका निर्यात करेंगे। किसी एजेंसी या किसी कम्पनी के रोकने से इसके रुकने का सवाल नहीं है। क्योंकि इससे किसान का हित जुड़ा हुआ है। यदि हम देश से निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा भी देश में आयेगी और आगे किसान भी ज्यादा उत्पादन करेगा, जब उसको भाव अच्छा मिलेगा।

इसके साथ-साथ आपने कहा कि कुछ दूसरे मुल्क भी कपास लेने को तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इण्डोनेशिया, चाइना और दूसरे मुल्क भी हैं जो हिन्दुस्तान से कपास मांगते हैं।

इसके साथ-साथ आपने कहा कि सी० सी० आई० में सपोर्ट प्राइस पर खरीद नहीं हो रही है। अभी तक देश के अन्दर सपोर्ट प्राइस से किसी भी क्वालिटी का भाव नीचे नहीं है, कम से कम 40 किस्मों का भाव सपोर्ट प्राइस के रूप में भारत सरकार तय करती है। अभी तक किसी भी क्वालिटी का भाव सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं आया है, हर क्वालिटी का भाव सपोर्ट प्राइस से ऊपर है। यह ठीक बात है कि आज से एक हफ्ते पहले भाव कुछ नजदीक आ गया था, जैसे 600 रुपये का भाव हमने स्टोर के लिए किया हुआ था तो उसका भाव 650 तक पहुंच गया था लेकिन एक हफ्ते से उसका भाव 725 के करीब आ गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सपोर्ट प्राइस से किसी भी क्वालिटी का भाव अभी तक बराबर लेविल पर भी नहीं आया और नीचे भी नहीं आया है और हम किसी भी कीमत पर भाव नीचे नहीं जाने देंगे और यदि नीचे भाव जायेगा तो बाकायदा सी० सी० आई०, भारत सरकार और दूसरी एजेंसीज प्रियोर करेंगी ताकि भारत सरकार द्वारा तय किया हुआ सही मूल्य हर हालत में किसान को मिले। (व्यवधान)

आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में काटन पर कोई बैन नहीं है, कोई भी देश में कहीं भी काटन ले जा सकता है। व्यापारी वर्ग और बिजनेसमैन को कोई पाबन्दी नहीं है। आप जानते हैं कि जब लोग कम्पीटीशन में आते हैं तो भाव भी मुनासिब रहता है। सपोर्ट प्राइस का मतलब यही होता है कि किसान को कम कीमत नहीं मिले, किसान पिट नहीं जाए, वाजिब कीमत किसान को मिलनी चाहिए।

सपोर्ट प्राइस का मतलब यही है कि भाव यदि उससे नीचे जायेगा तो भारत सरकार बीच में आयेगी और उसको प्रियोर करेगी ताकि किसान को कम से कम वह भाव तो मिले ही।

सपोर्ट प्राइस के बारे में आपने कहा कि तय करते समय उसमें किसान नहीं होता, जब भाव तय करते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार बाकायदा किसानों के तीन नुमाइन्दे भाव तय करते समय, चाहे काटन का हो, चाहे आयल सीड का हो, चाहे पैडी का हो, चाहे गेहूं का हो, किसी चीज का भी क्यों न हो, रहते है। यह बात ठीक है कि सी० सी० आई० अलग कारपोरेशन है, वहां कोई आदमी नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि वह अपने हिसाब से प्रियोर करते हैं लेकिन भाव भारत सरकार तय करती है और इसके लिए बाकायदा एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन है, वह भारत सरकार को रिपोर्ट देता है कि इस जिस का यह भाव होना चाहिए और हम उनकी रिपोर्ट को ही नहीं मानते बल्कि वह जो रिपोर्ट देते हैं, उससे कुछ न कुछ ज्यादा भाव किसान को दिया है।

इसके साथ-साथ आपने एक कम्पनी का जिक्र किया···

[अनुवाद]

**प्रो० एम० जी० रंगा** : समर्थन मूल्य ही बहुत कम है। यह समस्या है।

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : देखिए, सपोर्ट प्राइस से भाव ऊंचा है, नीचा नहीं है, जैसा मैंने अभी कहा। अगर नीचा हो तो आपको कहना चाहिए कि सपोर्ट प्राइस, आपने यह मुकर्रर कर रखा है और भाव इससे भी नीचा है, फिर तो आप कह सकते हैं कि सरकार के सपोर्ट प्राइस तय करने के मायने क्या है। इस समय सपोर्ट प्राइस से भाव ऊंचा है, नीचा नहीं है। नीचा हो तो आप कह सकते हैं।

इसके साथ-साथ आपने एक जिक्र किया कि औरंगाबाद में एक कम्पनी है, जिसने दवाई ठीक नहीं दी। हमारे नोटिस में यह मामला आया और हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा। स्टेट गवर्नमेंट ने बाकायदा सी० आई० डी० के जिम्मे लगाया और सी० आई० डी० उसकी जांच कर रही है। अभी तक उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। ज्यों ही रिपोर्ट आयेगी, आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को इस पर कार्यवाही करनी होती है और स्टेट गवर्नमेंट को हमने बाकायदा हिदायत की है।

इसके साथ-साथ आपने बीज के बारे में कहा कि कानून बनना चाहिए। अगर कोई मिलावट करे, मिक्सिंग करे, सही बीज नहीं दे तो उसके लिए बाकायदा कानून बना हुआ है, उसके खिलाफ कार्यवाही होती है तथा उसमें सजा का प्रावधान है। किसी की कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो हम बाकायदा उसको चैक करते हैं और सरकार उस पर कार्यवाही करती है। चाहे पेस्टीसाइड्स हो, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, हरचीज के लिए बाकायदा कानून है ताकि कोई आदमी घटिया किस्म की कोई चीज सप्लाई नहीं कर सके।

एक आपने किसानों के उत्पादन के बारे में कहा। यह ठीक बात है कि इस दफा तिलहन का, आयल सीड का उत्पादन भी रिकार्ड होगा। अब तक इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा 120-122 लाख टन हमारे मुल्क में हुआ है लेकिन इस दफा 155-156 लाख टन आयल सीड्स का उत्पादन होने की सम्भावना है। आप जानते हैं वन-थर्ड तेल उसमें से निकलता है। कोई 50-52 लाख टन के करीब तेल उसमें से निकलेगा। और मेरी राय में इस वक्त देश में जो तेल की खपत है वह तकरीबन 54 लाख टन है। हमारी कोशिश होगी कि बाहर से कम से कम तेल मंगाया जाए ताकि यहां के जो किसान हैं

[श्री भजन लाल]

आयलसीड पैदा करने वाले या मूंगफली पैदा करने वाले या काटन पैदा करने वाले—आप जानते हैं कि बिनौले से तेल निकलता है—उनको अच्छे दाम मिल सकें। हमारी भरसक कोशिश होगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले साल हमने जितना एडिबल आयल मंगाया था, इस दफा उसके आधे से भी कम एडिबल आयल मंगाने की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कि उससे भी कम जरूरत पड़े। तो हम कम से कम मंगायें ताकि हमारे किसानों को अच्छे दाम मिल सकें।

आपने कर्जा माफ करने के बारे में कहा है। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई पैसा माफ नहीं किया है, पता नहीं अखबारों में कैसे छप गया। जो बहुत दिनों से दे नहीं पाए थे उनके लिए हमने लम्बी रेंज में, 10-12 साल की लम्बी रेंज में किस्तें करके सहूलियत दे दी है ताकि एकदम से उनसे वसूल न किया जाए। ब्याज भी कम किया है क्योंकि वह कई सालों का पैसा था। आप जानते हैं भारत सरकार ने भी फैसला किया है जैसे कि प्रधान मन्त्री जी आंध्र प्रदेश गए तो आपको याद होगा जहां सूखा पड़ गया था बाढ़ आ गई तो जो लोग देने की शक्ल में नहीं है उनको रियायत दी है, चक्रवर्ती ब्याज भी हमने बन्द कर दिया है, अगर असल मूलधन से ज्यादा वह राशि बनती होगी तो उसको वसूल नहीं किया जायेगा और बाकायदा 7 साल से लेकर 10 साल की किस्तों में उसको वसूल करेंगे। इस तरह से पूरी रियायत हमने किसानों को देने की कोशिश की है। कर्जा तो कोई माफ नहीं कर सकता, वह बड़ा मुश्किल काम है।

[अनुवाद]

**श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : बकाया ब्याज राशि को मुल्तवी कर देना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : आउटस्टैंडिंग के लिए आप जानते हैं कि वहीं कहत भी नहीं है, कहीं बाढ़ भी नहीं आई तब तो टाइम पर देना चाहिए किसान को। अगर सूखे की वजह से, बाढ़ की वजह से जैसे लगातार चार साल बाढ़ आ गई और किसान दे नहीं सके तो उसके ब्याज के बारे में आप कह सकते हैं कि उसमें रियायत होनी चाहिए लेकिन अगर सारी चीज सही है फसल भी टाइम पर हो रही है फिर तो जो उस पर ड्यू है वह तो टाइम पर देना चाहिए। अगर नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा? हां, किसी कारणवश वह दे नहीं सकता है तो हमने उसको रियायत देने की कोशिश की है और जैसा मैंने अभी आपको बताया...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री भक्तम श्रीराम मूर्ति** : जब ब्याज मूलधन से अधिक हो जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : हां नहीं देंगे। जहां सूखा और बाढ़ आयेगी वहां नहीं देंगे। दूसरी बात आपने ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में कहीं। यह आपकी बहुत अहम बात है। ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में आप जानते है कि स्कीम चालू है, बन्द नहीं है लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आई हुई है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारी भी कोशिश है, पहले भी मीटिंग हुई हैं और अभी पीछे भी मीटिंग हुई है, प्रधान-मन्त्री जी चाहते हैं कि किस तरह से सारी फसलों को कवर करें चाहे वह कैशक्राप हों या दूसरी हों

और कैसे हम सारे किसानों को कवर कर सकते हैं। अभी तो जो लोन लेते हैं उन्हीं को कवर करते हैं बाकी कवर नहीं होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सारे किसान कवर होने चाहिए। और इसके लिए मीटिंग्ज हो रही हैं। हमारी कोशिश है कि अगली खरीफ फसल तक इसके बारे में हम कोई निर्णय कर लेंगे और उसमें हम चाहेंगे कि बाकायदा काटन भी, गन्ना भी और सारी फसलें कवर हों और सारे किसान कवर हों चाहे कोई लोन ले या लोन न ले। अब हम इसमें कहां तक सफल होंगे यह बाद में बतायेंगे लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि उसमें सारे कवर होने चाहिए।

इसी तरह से श्री राव साहब ने कहा गुंटूर और प्रकाशम जिले के बारे में कि बीमारी क्या आई। आप जानते है बीमारी तो आ गई है लेकिन उसको बाकायदा रोकथाम करने के लिए महकमे की तरफ से पूरी कोशिश हुई है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस बीमारी की कैसे रोकथाम की जाये। बाकी आपने केश क्राप के बारे में कहा कि मिट्टी आदि का टैस्ट करके किसानों को बताना चाहिए तो बाकायदा स्वायल टेस्टिंग के लिए लेबार्टरीज बनी हुई हैं, हर प्रदेश में 10, 10, 30 लेबार्टरीज बनी हुई हैं। बाकायदा साधन हैं, वहां टेस्टिंग कराना चाहिए। हमारे किसान भी जागृत हो गए हैं, इतने भोले नहीं रहे कि न करायें। हमने सारे मुल्क को 15 जोन में बांट रखा है। बाकायदा हम देश के किसानों को बतायेंगे कि क्लाइमेट के हिसाब से कौन से प्रदेश में कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल बोना उचित होगा। कितनी खाद और उसमें कौन सी दवाई डालना होगा, यह जानकारी हम देश के किसानों को देते आए हैं। यह जानकारी शुरू से देती आई है और इसी का परिणाम है कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ा है। जैसा कि आपने कहा है, हम किसानों को जानकारी देते हैं, लेकिन हम इससे बड़ा एक काम करने जा रहे हैं। सारे मुल्क को हमने 15 जोंस में बांटा है ताकि वहां की आबोहवा, पानी और मिट्टी के हिसाब से वहां पर फसल की बुआई की जाए।

इसी तरह से आपने कॉटन ग्रोअर्स की खेत की मिट्टी के बारे में कहा है। हम बाकायदा किसानों को मिट्टी के टैस्ट के बारे में जानकारी देते हैं। आप जानते हैं कि आई० सी० ए० आर० ने और यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा काम किया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक बड़ा काम किया है और किसानों को पूरी जानकारी दी है। अगर हम किसानों को जानकारी नहीं देते तो देश में इतना उत्पादन नहीं बढ़ सकता था। यह जानकारी का ही परिणाम है कि देश में इतना उत्पादन बढ़ रहा है। यह ठीक बात है कि किसानों को और जानकारी मिलनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई है। किताबों में छपा हुआ है, लेकिन किताबी ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। जब तक पूरा प्रदर्शन करके, खेतों में जा-जाकर किसानों को पूरी जानकारी नहीं देंगे, तब तक काम अधूरा है।

**श्री राम स्वरूप राम** : मंत्री जी तहसील लैवल पर प्रदर्शन करवाइए।

**श्री भजन लाल** : तहसील नहीं ब्लाक लैवल पर लगती है। लेकिन मैं कहता हूं कि और मिसाल होनी चाहिए और भी लगनी चाहिए। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ क्राप इंशोरैंस की बात मैंने बताई। आपने सी० सी० आई० में बिचौलियों की बात कही है कि किसानों को काटन का दाम ठीक नहीं मिलता है। इस मामले में बिचौलियों का सवाल नहीं है। बिचौलिए इसलिए नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि काटन मण्डियों में आक्शन से बिकती है। बाकायदा व्यापारी आपस में कम्पीटीशन में लेते हैं। यह नहीं कि बीच में कोई ठगी होती है। हम एक और बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस बारे में किसानों की शिकायत भी नहीं है कि फसल के टाइम पर किसानों का अनाज सस्ता बिकता है और बाद में मंहगा हो जाता है। हमने ट्रायल के तौर पर फैसला किया है, 14 प्रदेश

[श्री भजन लाल]

जो ज्यादा अनाज पैदा करते हैं, उन प्रदेशों में जैसे व्यापारी अपना सामान, अपना अनाज और अपनी जींस को बैंक में रखकर 80 प्रतिशत बैंक से ले लेता है, उसी तरह से किसान भी अपनी जींस अपने ही घर में रखकर और बैंक का ताला लगवाकर बैंक से पैसे ले सकता है। यह स्कीम हमने चलाई है। हमने हर प्रदेश में एक जिले को छांटा है, जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। राव साहब यह मैं आप को बताना चाहता हूं। इसमें बिहार भी शामिल है। 14 प्रदेश जो अनाज पैदा करते हैं, वे सारे के सारे इसमें हैं। तजुर्बे के तौर पर हर प्रदेश में एक जिले को छांटा है और पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि किसानों की जो हमेशा की शिकायत है, वह दूर हो जाए। किसान अपने अनाज को अपने ही घर में रखकर बैंक से ताला लगवाकर 80 प्रतिशत बैंक से पैसा ले सकता है। इस प्रकार जब किसान को जरूरत होगी, तब वह अनाज को बेच सकेगा। इस स्कीम को हमने पहली दिसम्बर से चालू किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस स्कीम के बारे में किसानों को बतायें, ताकि किसान इसका पूरा फायदा उठा सकें।

एक बात रामामूर्ति जी ने लम्बे कर्जे के बारे में कही है। जैसा मैंने आपको कहा, कर्जे लम्बी अवधि में दिए हैं। ब्याज के बारे में, मूलधन के बारे में और कीटनाशक दवाइयों के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। बाढ़ के बारे में आपने जिक्र किया। इसके भी नियम बने हुए हैं, जो उन नियमों का पालन नहीं करेगा, तो आप जानते हैं कि इसके बिना काम कैसे चलेगा। इसके साथ-साथ मैं कह सकता हूं ''

[अनुवाद]

**श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : आप यह नियम क्यों नहीं बना देते हैं कि किसानों से साधारण ब्याज लिया जायेगा न कि चक्रवृद्धि ब्याज।

5 28 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : मैंने आपसे अर्ज किया है कि सीधे सिम्पल इन्टरैस्ट लेते हैं किसानों से। लेकिन किसी किसान की देने की नीयत न हो, न कहीं बाढ़ आई है, न कहीं सूखा है और उसने तीन साल के लिए दस हजार रुपए लोन लिया हो और वह कोई भी किस्त अदा न करे तो उसको कैसे रियायत दी जाएगी। कहीं सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई बीमारी लग जाए और फसल बर्बाद हो जाए तब तो उसको रियायत देने की बात है और हम रियायत देते हैं। भारत सरकार किसानों के साथ हमदर्दी पूरी रखती है। जितना भी हम किसानों के लिए कर सकते हैं, करने का भरसक प्रयत्न करते हैं और आगे भी हमदर्दी रखकर भारत सरकार कोशिश करेगी ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले और कोई ठगी न हो।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

**श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : किसानों द्वारा गिरवी रखे गए सोने की बोली लगाने की प्रथा को छोड़ देना चाहिए। अब यह प्रथा प्रचलित है। इन लोगों के लिए यह बहुत मुश्किलें पैदा करती हैं।

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : इस बारे में ऐसा है कि पहले कई बार चर्चा हुई है और प्रधान मंत्री जी ने भी वहां पर एलान किया है। जिन किसानों ने अपना जेवर और अपना सोना बैंक में रखा हुआ था, वह नीलाम नहीं होगा। नीलामी पर पाबन्दी लगा दी है और किसान उसको छुड़ा सकेगा, जब भी उसके पास पैसे होंगे। नीलामी होने का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

**श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार निर्यात कोटे की घोषणा कब करेगी जिससे कि किसानों को सहायता मिलेगी। सरकार किस तारीख तक निर्यात कोटे की घोषणा करेगी।

[हिन्दी]

**श्री भजन लाल** : राव साहब, मैंने अभी अर्ज किया कि हर साल तकरीबन होता है और इस दफा हमारे मुल्क में कॉटन का रिकार्ड उत्पादन होगा और हमारी कोशिश होगी कि मुल्क में जितनी खपत है, उसको छोड़कर, देश के अन्दर जितनी जरूरत है, उसको रखकर बाकी कॉटन का निर्यात हो।

**अध्यक्ष महोदय** : निर्यात करना चाहिए।

**श्री भजन लाल** : करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : देशी कॉटन का भी करें।

**श्री भजन लाल** : बिलकुल ठीक है।

---

5.30 म० प०

## नियम 193 के अधीन चर्चाएं

(एक) सिओल ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का निराशाजनक प्रदर्शन — (जारी)

[अनुवाद]

**श्री सी० माधव रेड्डी** (आदिलाबाद) : महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मद संख्या 18 को स्थगित किया जा सकता है और हम मद संख्या 19 को ले सकते हैं।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : ओलम्पिक खेलों पर जो डिस्कशन हुआ है, उसका जवाब करवा देते हैं।

[अनुवाद]

मेरे विचार में वह बहुत समय से इन्तजार कर रही है। मेरे पास केवल आधे घण्टे का समय है।

**श्री अजय मुशरान** (जबलपुर) : महोदय, श्री देव सियोल गये थे। इसलिए, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास केवल आधा घंटे का समय है, हां श्री देव।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीरहाट) : महोदय, आप इस मद के लिए 15 मिनट का समय रख सकते हैं और 15 मिनट का समय दूसरी मद के लिए रख सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी बात है ? ठीक है, 5 मिनट का समय श्री देव के लिए है और 10 मिनट का समय उनके लिए है।

**श्री के० पी० सिंह देव** (ढेंकानाल) : महोदय, मैं···

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आप पांच मिनट बोल लीजिए।

[अनुवाद]

यह आदेश है; आप बहस नहीं कर सकते हैं।

**श्री के० पी० सिंह देव** : समाचारपत्रों, जनता और संसद की हमारे देश में खेलों के प्रति रुचि, जो इस सभा में उपस्थिति को देखकर जहां खेलों पर चर्चा के साथ कोरम पूरा करना पड़ा, को देखकर दुःख होता है। आज, खेलों में प्रदर्शन एक राष्ट्र के स्तर का प्रतिष्ठा सूचक बन गया है।

महोदय, 1976 के बाद ये पहले ओलम्पिक खेल हैं जिनका अफ्रीकावासियों ने बायकाट किया है। 1980 में पश्चिम समुदाय ने बायकाट किया था और 1984 में पूर्वी गुट के देशों ने बायकाट किया था। 167 में से 160 देशों ने 13,400 खिलाड़ियों के साथ 237 स्वर्ण पदकों, 237 रजत पदकों और 260 कांस्य पदकों के लिए भाग लिया था।

इन ओलम्पिक खेलों में पुरानी प्रतिष्ठायें नष्ट हो गईं और नई प्रतिष्ठायें स्थापित हुईं; थोड़े से समय में नये सितारों का उदय और लोप हुआ, जहां व्यक्तिगत कीर्ति और राष्ट्रीय गौरव बेहतर प्रदर्शन और बदतर रूप में परिणत हुआ; जहां श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं थी, चाहे उसके लिए प्रेरणा उत्तेजक औषधियों से मिली हो और चाहे वह उत्तेजक औषधियों से अर्जित की गई हो; जहां बड़ी संख्या में खिलाड़ी एकत्र हुए थे और जहां मशीनी मानव जैसी पूर्णतया प्राप्त की गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण और एकमात्र कारण खिलाड़ियों का गैर-पेशेवर होना रहा है और यह बदलते हुए समय का परिणाम है। आज खिलाड़ियों में पेशेवर होने की भावना व्याप्त है। हमारे खिलाड़ियों के वैज्ञानिक प्रशिक्षण से ही कुछ सुधार हो सकता है।

महोदय, इस पृष्ठभूमि में हमें अपने प्रदर्शन को देखना होगा। उद्देश्य क्या था ? इस देश के 47 खिलाड़ियों और 19 अधिकारियों को शताब्दी के सबसे भव्य खेल आयोजन में भेजने का क्या उद्देश्य था ? महोदय, मेरे विचार में उद्देश्य—मुझे खेद है कि यहां मेरे माननीय साथियों को मेरी बात कड़ी लगेगी—भारत सरकार द्वारा 16 फरवरी, 1988 को घोषित 'आपरेशन एक्सेलैंस' पर आधारित था जिसमें सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संघ तथा राष्ट्रीय संघ के परामर्श से यह निर्णय लिया था कि वे ऐसे दल तैयार करेंगे जिनका चुनाव एक चुनाव समिति वैज्ञानिक तरीके से करेगी और तीन चार

वर्ष के प्रशिक्षण के बाद एक अल्पअवधि, तत्कालिक और एक दीर्घावधि संदर्शी योजना तैयार की जायेगी।

महोदय, मैं निवेदन करता हूं और यहां एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं जो 1981 में म्यूनिख में विश्व चैम्पियनशिप के दौरान हुई थी विद्यालय के बच्चों का एक दल दो किलोमीटर फाइनल दौड़ में सोवियत संघ से केवल 4 फुट पीछे रह गया और वे खुश थे। उनके प्रशिक्षक ने उनकी खिंचाई की और कहा, "मूर्खो तुम्हारा लक्ष्य 1984 में लास एंजल्स में होने वाले ओलम्पिक खेल हैं, 1981 की विश्व चैम्पियनशिप नहीं।" मैं यह बात विनम्रतापूर्वक दोहराना चाहता हूं कि कि हमारा लक्ष्य 1990 में बीजिंग में होने वाले एशियाई खेल हैं, 1988 में हुए ओलम्पिक खेल नहीं थे। 1988 ओलम्पिक में हमारे देश से चार टीमों—हाकी, टेनिस, टेबल टेनिस और निशानेबाजी को उनके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कारण शामिल किया गया था और उन्हें अर्हताप्राप्त नही करनी पड़ी थी। इसलिए हमारे प्रदर्शन का अनुमान इस परिपेक्ष में लगाना चाहिए। हमने बरायनाम मुक्केबाजों का एक दल भी भेजा था जिसने वहां प्रशंसा प्राप्त की थी। परन्तु दुर्भाग्यवश यदि एक मुक्केबाज जख्मी नहीं होता तो शायद हम एक स्वर्ण पदक जीत जाते। भारोत्तोलन में हमारे एक खिलाड़ी ने राष्ट्रमण्डल खेलों के रिकार्ड में सुधार किया है। सबसे विवादास्पद दल, महिला खिलाड़ी दल, आपको जानकर खुशी होगी कि इसने अपनी योग्यता बेशक सिद्ध कर दी और यद्यपि यह दौड़ों में पिछड़ गई फिर भी एशिया में सबसे बेहतर टीम है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक प्रशिक्षण और वैज्ञानिक प्रबन्ध का अर्थ यह है कि जब उनसे आशा की जाये तो उन्हें अवश्य आगे आना चाहिए। टिकट छिद्रण मशीन अथवा इस्टेंट काफी मशीन की तरह नहीं है कि बटन दबाया और टिकट बाहर।

खिलाड़ियों के चुनाव में पक्षपात के बारे में भी कुछ आलोचना हुई है मैं जोर देकर तथा प्रतिवाद के डर के बिना कहता हूं कि खिलाड़ियों का चुनाव, पहली बार वैज्ञानिक तरीके से किया गया था और मैं माननीय मंत्री, सचिव तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक और खेल अधिकारियों को एक घंटे में दल के चयन हेतु बधाई देता हूं।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यहां यह बात दोहराना चाहता हूं कि पदकों तथा प्रदर्शन से जनसंख्या का कुछ लेना देना नहीं है। निश्चय होना चाहिए, सतत तथा समर्पित प्रयास होना चाहिए। आपको विद्यालयों से ही बच्चों का चुनाव करना चाहिए जैसाकि जर्मन जनवादी गणतंत्र में किया जाता है। वे सात वर्ष की उम्र से ही बच्चों का चुनाव करना शुरू कर देते हैं। यदि वे अपनी रूप रेखा के अनुरूप बच्चों को योग्य नहीं पाते तो वे उन्हें साधारण विद्यालयों में भेज देते हैं और जो बच्चे योग्य पाये जाते हैं उन्हें खेल विद्यालयों में रखा जाते हैं। हर दो वर्ष बाद उनकी क्षमता का मूल्यांकन भी किया जाता है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेहरबानी करके अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री के० पी० सिंह देव** : मैं अपना भाषण शेक्सपीयर की मार्क एन्टनी के अन्त्येष्टि भाषण की इन पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं।

> "मित्रो, रोम के नागरिकों और देशवासियों; मेरी बात सुनिये, मैं सीजर को दफनाने आया हूं उसकी प्रशंसा करने नहीं; मनुष्य जो बुराई करते हैं वह उनकी मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, उनकी अच्छाईयां प्राय: उनकी हड्डियों के साथ दफना दी जाती हैं।"

[श्री के० पी० सिंहदेव]

महोदय, गत वर्ष पी० टी० ऊषा शीर्ष स्थान पर थी। हमें यहां ऐसी बातें कहकर खिलाड़ियों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए जिससे उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े और हमारे खेल-कूद पर भी उसका असर पड़े। सिओल में अपने प्रदर्शन से हमारे खिलाड़ियों ने सम्मान अर्जित किया है।

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानती कि आप मुझे कितना समय देने जा रहे हैं। मैंने इस सदन में 6 घन्टे से अधिक समय तक इस चर्चा को सुना है। और अब मुझे यह बताया गया है कि मुझे आठ अथवा दस मिनटों में ही उत्तर दे देना है। मैं समझती हूं कि यह उचित नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : जैसी कि कहावत है, संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता है।

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा** : लेकिन ऐसा उस समय उचित नहीं है जब बहुत सी अनुचित बातें भी कही गई हों। मैं यह कहना चाहूंगी कि मैं विभिन्न वक्ताओं द्वारा कही गई सभी बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगी। मुझे उन सभी बातों को एक साथ लेना पड़ेगा। मैं केवल यही कह सकती हूं। दल के नेता द्वारा बहुत से प्रश्नों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

मैं दो बातों को बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहती हूं। खिलाड़ियों के चयन में कोई पक्षपात नहीं किया गया। दूसरे, खिलाड़ियों का चयन भारत सरकार, भारतीय ओलम्पिक संघ और महासंघों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित स्तर के आधार पर किया गया था। यदि कोई व्यक्ति वापस आकर यह कहता है कि सरकार ने गड़बड़ कर दी तो मैं केवल यही कह सकती हूं कि वे यह नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं।

**श्री अजय मुशरान** : हम महासंघों के बारे में जानना चाहेंगे। सरकार को कोई भी दोष नहीं दे रहा है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : हम सरकार को दोष देते हैं।

**श्री अजय मुशरान** : अच्छा, आप सभी बातों के लिए उन पर दोष लगाते हैं।

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा** : यदि आप मेरा समय ले लेंगे तो मैं इस मिनट में अपना भाषण कैसे समाप्त कर सकती हूं?

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आप विषय को बदल क्यों रहे हैं? उन्हें उत्तर देने दीजिए।

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा** : मैं सदन को यह याद दिलाना चाहती हूं कि स्वतन्त्रता के पश्चात, वर्ष 1952 में व्यक्तिगत स्पर्धा में केवल एक रजत पदक ही जीता गया है।

उसके बाद व्यक्तिगत स्पर्धाओं में ओलम्पिक खेलों में हमने कभी भी कोई पदक नहीं जीता।

आज अचानक यह कहना कि हमें शीर्ष स्थान पर पहुंचना चाहिए बहुत अधिक आशा करना है। मैं केवल यह कह सकती हूं कि जहां तक भविष्य के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण और तैयारियों का सम्बन्ध है, हमने इस समय इस बारे में उचित व्यवस्था की है। केवल अभी खेल-कूद प्रशिक्षण के बारे में गम्भीर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है और मैं यह कहना चाहती हूं जैसा कि मैं सदन के

समक्ष पहले भी कह चुकी हूं कि बंगलौर में खेल-कूद के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की गई है जो कि प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद के लिए आवश्यक है। हमारे यहां सोवियत विशेषज्ञ भी हैं। वे प्रशिक्षण, खेल-कूद तकनीक और देख-रेख में हमारी सहायता कर रहे हैं। हमारे यहां ऐसे 5 विशेषज्ञ हैं और सात अन्य विशेषज्ञों के यहां आने की सम्भावना है और उनके मार्ग-निर्देश के अन्तर्गत हम वास्तव में अपनी बहुत सी तकनीकों को और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए अपनी बहुत सी प्रणालियों को नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय में खेलकूद समय बिताने की गतिविधि अथवा पाठ्येतर गतिविधि नहीं है। यदि आप परिणाम चाहते हैं तो प्रशिक्षण और भागीदारी पूर्ण-कालीन होनी चाहिए। परन्तु गत 25 वर्षों से हमारे यहां पटियाला में ही एकमात्र प्रशिक्षण केन्द्र है। पिछले तीन वर्षों में हमारे देश में छह प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

हम कुछ विशेष खेल-विधाओं का चयन भी करने जा रहे हैं। विगत में हम खेल-कूद की प्रत्येक विधा में भाग लेने का प्रयास कर रहे थे। अब हमने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए 12 प्रमुख विधाओं का चयन किया है। हम केवल इन 12 विधाओं में ही भाग लेंगे और वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और चार अन्य विधाओं को सहायक विधाओं के रूप में रखा गया है। जो बातें हमने वर्ष 1986 में कही थी, मैं उन्हीं बातों को दोहराना चाहती हूं। हमने चार वर्षों की एक प्रशिक्षण योजना को आरम्भ किया है जिसका परिणाम चार वर्षों के बाद 1990 में दिखाई देगा। हमने इस बार भी ओलम्पिक खेलों में भाग लिया। हमने एक देश के रूप में ओलम्पिक खेलों में भाग लिया और यदि चयन···

**श्री अजय मुशरान** : यह बात एक अनुबोध है। आपके दल के खराब प्रदर्शन के बाद ही आप ऐसा कह रहे हैं।

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा** : यह अनुबोध नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं। मैं इस वास्तविकता को ध्यान में रख रही थी कि संघ, आई० ओ० ए० तथा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पिछले ओलम्पिक में छठे स्थान के लिए निर्धारित मानदंड ही उचित था। यह मानदंड उपलब्ध स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था। छठे स्थान की बात सोचते हुए हम कैसे स्वर्ण पदकों अथवा रजत पदकों की आशा कर सकते हैं? हमें यह चयन करना था कि हमें भाग लेना है अथवा नहीं। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना प्रशिक्षण का ही एक अंग है। हमें यह देखना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। मुझे हाकी के बारे में एक बात कहनी है जिसके बारे में बहुत चर्चा की गई है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहती हूं कि जब हम ओलम्पिक में गये तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्थान ग्यारहवां था। मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रशिक्षण के कारण इस ओलम्पिक में हम छठे स्थान पर पहुंचे हैं। एशिया में हम तीसरे स्थान पर थे और अब हमारा स्थान दूसरा है। मैं केवल यह कह रही हूं कि हम गतिशील हैं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि हम शीर्ष स्थान पर हैं। विरोधी पक्ष के किसी व्यक्ति ने यह कहा है कि यह सबसे घटिया प्रदर्शन रहा है और मंत्री महोदय को अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। मुझे उनके ऐसा कहने की परवाह नहीं है।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो एशियाई खेलों में हमारी निम्नतम स्थिति वर्ष 1978 में उस समय थी जब जनता पार्टी सत्ता में थी। आप आजकल के बारे में क्या कह रहे हैं? आप सरकार को दोष देते हैं। मैं केवल यह कह रही हूं कि राजनीति को सरकार

[श्रीमती मारग्रेट आल्वा]

के उत्तरदायित्व से मत जोड़िये। हम राष्ट्रीय सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं, बिना इस बात पर विचार किये कि कौन सी सरकार अथवा व्यक्ति क्या कर रहा है।

**श्री अजय मुशरान** : परन्तु आप महासंघ को दोष क्यों नहीं देते हैं ?

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा** : दूसरे, मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश में खेलकूद के लिए 11.60 करोड़ रुपये का कुल आबंटन किया गया था। छठी योजना में आपने 13 करोड़ रुपये का आबंटन किया था। श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री और खेल मंत्री बनने के बाद ही वर्ष 1986 में इस राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया। नये बजट में अभी केवल तीन वर्ष ही हुए है जिसमें आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है, उपकरण आयात किए जा रहे हैं, कृत्रिम ट्रैक और ऊंची सतहें बनाई जा रही हैं और खेलों के विकास पर आवश्यक बल दिया जाने लगा है। लेकिन जैसाकि मैंने पहले कहा हमें विदेशी प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी अथवा हमें वे पहले ही मिल गए हैं। हमें सभी आवश्यक उपकरण मिल गए हैं।

(व्यवधान)

यदि आप उत्तर को सुनना नहीं चाहते तो किसी के उत्तर देने का कोई फायदा ही नहीं है।

**श्री के० पी० सिंह देव** : आप इंदिरा गांधी स्टेडियम क्यों दे रहे हैं ?

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा** : हम इन्दिरा गांधी स्टेडियम नहीं दे रहे हैं। वहां पर कम्पलैक्स के बारे में जो कि होटल के लिए रखा गया था, उसके बारे में यह निर्णय लिया गया कि उसके स्थान पर अस्पताल बनाया जाना चाहिए। यह निर्णय मैंने नहीं किया बल्कि यह पहले किया गया था।

**श्री अजय मुशरान** : आप महासंघों के बारे में बात क्यों नहीं करतीं जिन्होंने यह गलती की है। महासंघों द्वारा किये जा रहे बुरे काम के कारण सरकार की बदनामी हो रही है। वे ठीक तरीके से चयन नहीं कर रहे हैं। वे लोगों को ठीक तरीके से प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। यह काम सरकार का नहीं बल्कि उनका है। जहां तक महासंघों का सम्बन्ध है, वे पंजीकृत संस्थाओं के नाते स्वायत्तता का दावा करते हैं···

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आप उससे सहमत क्यों होते हैं ? (व्यवधान)

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा** : गत वर्ष, हम 'आपरेशन एक्सेलेंस' नामक मार्गनिर्देश लाए थे, ताकि इसके लिए कतिपय चयन मानदंड हों, और पहली बार राष्ट्रीय चयन समितियां स्थापित की गई हैं और उसमें महासंघों, भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन, प्रशिक्षक, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता और सरकार के एक प्रतिनिधि को इसमें लिया गया है ताकि इसे एक राष्ट्रीय···

**अध्यक्ष महोदय** : यदि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो क्या हम उसमें भी संशोधन नहीं कर सकते ? आप कहते हैं कि वे स्वायत्त संस्थाएं हैं···

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा** : गत वर्ष भी, जब यहां यह वाद-विवाद हुआ था, तो सभा ने यह कहा था कि हमें यह देखने के लिए कदम उठाने चाहिएं कि महासंघों और पंजीकृत खेल संस्थाओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखा जाना चाहिए। हम खेलों को समवर्ती सूची में लाने के लिए प्रस्ताव

लाए हैं ताकि खेलों के सम्बन्ध में एक अखिल भारतीय विधान लाया जा सके···(व्यवधान) दुर्भाग्यवश उसे भी राजनीति का रंग दिया जा रहा है···।

**श्री अजय मुशरान** : वे आपके प्रति जवाबदेह होने चाहिएं।

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा** : मैं कहना चाहती हूं यह कोई नई बात नहीं है। हम 26 देशों—सामाजिक, लोकतांत्रिक, सभी तरह की विभिन्न प्रणालियों के लगभग 26 देशों से हम विधान लाए हैं जिनमें प्रशिक्षण के विकास के लिए केन्द्रीय विधान मण्डलों अथवा संसद द्वारा निदेश दिए जाते हैं। ऐसा ही हम करना चाहते हैं और इसे समवर्ती सूची में लाने के लिए हम एक विधेयक लाए है। मैं सभी सदस्यों से इसका समर्थन करने का अनुरोध करती हूं, ताकि हम अखिल भारतीय विधान बना सकें। मैं केवल इतना कह सकती हूं कि वाद-विवाद में इन सभी बातों का सुझाव दिया गया है—महोदय, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आप पहले ही मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं—12 वर्ष से कम के बच्चों का चयन करना, विशेष क्षेत्रों से प्रतिभावान बच्चों का चयन करना और उन्हें खेल विद्यालयों में आवश्यक प्रशिक्षण देना, ये सभी कार्य शुरु कर दिए गए हैं।

**सभापति महोदय** : ठीक है। उनको भी ध्यान में रखिए।

**श्रीमती मारग्रेट आल्वा** : मुझे आशा है कि चाहे मैं इस विभाग में रहूं अथवा नहीं, हमने जो कुछ किया है उसके परिणाम आप आगामी दो वर्षों में देखेंगे।

**5.47 म० प०**

## (दो) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में तूफान से हुई क्षति

**अध्यक्ष महोदय** : अब कुमारी ममता बनर्जी, आपको पांच मिनट का समय दिया जाता है। आप जो कुछ कहना चाहती हैं संक्षेप में कहिए।

**कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर)** : ठीक है, महोदय।

हाल ही में आए भारी चक्रवात से पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार तथा उड़ीसा के कुछ भागों में भारी नुकसान हुआ है। पांच सौ से अधिक लोग मर गए हैं, 800 मछुआरे अभी तक लापता हैं और 55,000 पशु मारे गए हैं। फसल क्षेत्र का 40 प्रतिशत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं कुछ क्षेत्रों को विशेषकर दक्षिण 24 परगना, सुन्दरबन क्षेत्रों, गोसाबा, बंसती, नमखाला, बोरवाली, कुलफी और अन्य क्षेत्रों को देखने गई थी। मैं यह भी जानती हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त के निर्वाचन क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक नुकसान हुआ है। लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवस्था बनाए रखें···

**कुमारी ममता बनर्जी** : मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूं कि प्रधानमन्त्री के निर्देशों के अनुसार ···(व्यवधान) आप बाधा क्यों डाल रहे हैं ? मुझे केवल पांच मिनट का समय दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : भद्र महिला के भाषण में व्यवधान न डालिये। सहृदयता का परिचय दें।

**कुमारी ममता बनर्जी** : वह उस स्थान का दौरा करने जा रहे हैं। उन्होंने वचन दिया है कि केन्द्रीय सरकार से जो कुछ भी हो सकता है वह करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि वहां पर लोगों को अब पोलीथीन, तिरपालों, दवाइयों, ब्लीचिंग पाउडर और दुग्ध पाउडर की तत्काल आवश्यकता है। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि आप वहां पर हुए जान और माल के नुकसान का अनुमान लगाने के लिए तत्काल एक केन्द्रीय दल भेजें, क्योंकि वहां पर अब तक ठीक से अनुमान नहीं लगाया गया है। दूसरा, आपको राज्य सरकार को पर्याप्त धन देना चाहिए, जिससे कि केन्द्रीय सरकार से लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि आप इसमें सम्बद्ध संसद सदस्यों को, ऐसे संसद सदस्यों को जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में वास्तव में नुकसान हुआ है, उन्हें इसमें सम्मिलित करना चाहिए। आप उन सभी संसद सदस्यों को—चाहे वे इस पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों—इसमें सम्मिलित करना चाहिए। उनके माध्यम से, आप यह धनराशि प्रभावित लोगों के लिए खर्च कर सकते हैं।

आप पहले ही एक सर्व-दलीय बैठक बुला चुके हैं और इसके बाद आपने बताया कि आप इस राहत कार्य में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को इसमें शामिल करेंगे। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

तीसरा, आप जानते हैं कि वहां पानी की कमी है। लोगों के घर नष्ट हो गए हैं तथा उनके सगे-सम्बन्धी मर गए हैं। सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है। लोग अब वहां पूरी तरह से असहाय हैं। अतः, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि उनके कृषि ऋणों को माफ करने पर विचार किया जाए। जो ऋण उन्होंने बैंकों से लिए हैं, उन्हें उनको वापस करना होता है, उन्हें माफ किया जा सकता है। क्योंकि लोग वहां पूरी तरह से असहाय हैं। वे क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आपको अगामी फसल के लिए उन्हें कृषि ऋण देने के बारे में भी सोचना चाहिए। अन्यथा वे लोग अपनी नई फसल के लिए योजना नहीं बना पाएंगे।

मैं आपको और अधिक ब्यौरा नहीं देना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त इस विषय पर बोलें।

मैं केवल एक अपील करना चाहती हूं। जब आर्मेनिया में भूकम्प आया था—जोकि एक भारी भूकम्प था—श्री गोर्बाचेव उस समय संयुक्त राष्ट्र में थे, वे तत्काल आर्मेनिया लौट गए थे। मैं यहां कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहती हूं। लेकिन मैं केवल श्री इन्द्रजीत गुप्त और बसुदेव आचार्य से अनुरोध करना चाहती हूं कि वे अपने मुख्यमंत्री से प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए अनुरोध करें क्योंकि जो भी हो यह एक अच्छा कार्य होगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट)** : महोदय, मुझे बहुत जल्दी-जल्दी अपनी बात समाप्त करनी है।

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, पांच मिनट में।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : देश के इस भाग में अब तक का सबसे अभूतपूर्व चक्रवात आया है और इसने न केवल उत्तरी 24 परगना के और दक्षिणी 24 परगना जिलों में विनाश किया है अपितु उसके पश्चात् इस चक्रवात का रुख बंगलादेश की ओर हो गया और वहां भी इसके कारण भयंकर विनाश

हुआ। मैं विशेष संदर्भ में अपनी बात कह रहा हूं कि चक्रवात का रुख किस ओर बदल गया—आशा है कि आप मेरी बात समझेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : ममता जी पहले ही इसका जिक्र कर चुकी हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर उत्तरी भाग की ओर जाकर बंगलादेश की तरफ मुड़ गया। जिस दिशा में यह चक्रवात मुड़ा, दुर्भाग्य से वहां एक खण्ड है सिंगालगंज, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, वह पूर्णतः तबाह हो गया है।

मंत्री महोदय कुछ देर के लिए वहां हेलिकाप्टर से गए थे और उन्होंने आकाश से वहां की स्थिति देखी। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि जब तक आप उन उन क्षेत्रों और उन गांवों में पैदल जाकर नहीं देखते आप उस आपदा का सही अंदाज नहीं लगा सकते। अब जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर उन लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए काम करें। करीब 500 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 55,000 पशु मर गए हैं तथा इस क्षेत्र में रहने वाले करीब 800 मछुआरे, जो उस समय समुद्र में मछली पकड़ने गये थे, लापता हैं। वहां पेयजल उपलब्ध नहीं हैं। जिन तालाबों से सामान्यतः लोग पीने का पानी लेते हैं, वे अब दूषित हो गए हैं। जो लोग चक्रवात की चपेट में बच गए, पेय जल की कमी अथवा जहरीले पानी के कारण उनके भी मरने की आशंका है। अतः इन लोगों को पानी सप्लाई करने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जाने चाहिएं, चाहे पानी की सप्लाई नये कुएं खोदकर की जाए, जिसमें काफी समय लगेगा या फिर नावों आदि के द्वारा वहां पानी पहुंचाया जाये। मैं आपको बता दूं कि नदी के दूसरे छोर की तरफ से, बंगलादेश की जनता ऐसा कर रही है। बंगलादेश की जनता नावों के माध्यम से पानी के बड़े टैंक भरकर वहां पहुंचा रही है और इन लोगों की सहायता करने का प्रयास कर रही है। हम उनके अच्छे पड़ोसियों जैसा किए जा रहे इस कार्य की प्रशंसा करते हैं। वहां हजारों घर नष्ट हो गये हैं।

सरकार ने यह कहा है—हम उस दिन कलकत्ता में राजभवन में हुई बैठक में उपस्थित थे—कि प्रत्येक परिवार को अपना घर दुबारा बनाने के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे। जहां केवल एक बांस की कीमत 40 रुपये है वहां 500 रुपये से लोगों द्वारा पुनः घर बनाने की अपेक्षा की जा रही है? यह तो एक मजाक है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस राशि को और बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि इतनी ही राशि देने का मानदंड निर्धारित किया गया है। यदि यही मानदंड है तो मैं यही कह सकता हूं कि किसी अन्य मद के अन्तर्गत कोई अन्य तरीका निकाला जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत इस राशि को बढ़ाया जा सके। अन्यथा ये लोग मर जायेंगे। मुझे इतना ही कहना है। चक्रवात ने समूचे गांवों को ही उखाड़ कर दो-तीन मील दूर फेंक दिया है। वहां उनका कोई नामो-निशान नहीं बचा है। लोगों का सब कुछ समाप्त हो गया है। सभी प्राइमरी स्कूल नष्ट हो गए हैं। कुछ हाई स्कूल जो पक्के भवनों में थे, वे भी उजड़ गए हैं। बच्चों की पुस्तकें, कापियां सब कुछ खो गया है। उनके इम्तहान नजदीक आ रहे हैं। इस स्थिति में जो पशु बचे हैं, वे भी चारे की कमी के कारण मर जायेंगे। वहां किसी किस्म का चारा नहीं है।

अतः आप अन्दाज लगा सकते हैं कि वहां कितनी बड़ी आपदा आई है और इन लोगों तथा पशुओं को बचाने के लिए क्या राहत देना आवश्यक है। मुझे यह बताया गया है कि केन्द्रीय दल अभी तक वहां नहीं गया है, किन्तु आशा है कि कुछ दिन के बाद वह दल वहां जाएगा। यह दल वहां जाएगा और लौटकर अपना प्रतिवेदन देगा, तब केन्द्रीय दल निर्णय करेगा और उसके बाद पैसा मन्जूर किया

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

जाएगा। राज्य सरकार ने 52 करोड़ रुपये मांगें हैं और उन्होंने इस माह की 9 तारीख को सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है। अत: मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं—मेरे पास बोलने के लिए केवल 5 मिनट का समय है—कि वे इस मामले में क्या फौरी-उपाय करने जा रहे हैं।

**श्री अमल दत्ता** (डायमंड हार्बर) : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : आप एक मिनट में क्या कह सकते हैं ?

**श्री अमल दत्ता** : महोदय, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भी सम्बन्धित है।

**अध्यक्ष महोदय** : उस बारे में पहले ही कहा जा चुका है। इसमें क्या फर्क है ? बताइये वह क्या है।

**श्री अमल दत्ता** : महोदय, मन्त्री जी हमें 6 दिसम्बर को मिले थे और 7 तारीख को उन्होंने यहां भाषण दिया था और दोनों अवसरों पर उन्होंने कहा कि जैसे ही अन्तिम आकलन कर लिया जाएगा, केन्द्रीय दल वहां जाएगा। अन्तिम आकलन 9 तारीख को पेश किया गया था। आज सात दिन बीत चुके हैं और केन्द्रीय दल अभी तक वहां नहीं गया है। केन्द्रीय दल को वहां जाना चाहिए था और सरकारी राजकोष से वहां कुछ पैसा भेजना शुरू कर दिया जाना चाहिए था। राज्य सरकार पहले ही 7 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। यह धनराशि उत्तर बंगाल में आई बाढ़ों के लिए दी गई सीमांत राशि से अधिक है। अत: राज्य सरकार के पास सीमांत राशि भी नहीं है। राज्य सरकार अन्य स्रोतों से धन लेकर स्वयं अपने संसाधनों में से ही खर्च कर रही है। केन्द्र से पैसा तत्काल मिलना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार 50 लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खर्च कर रही है और यदि केन्द्र से पैसा नहीं मिलता है तो यह राहत कार्यों को जारी नहीं रख सकती है···(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : बस इतना ही।

**श्री अमल दत्ता** : इसलिए, मैं केन्द्रीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि धन राज्य सरकार की जरूरत के हिसाब से मिले···(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : यह बात तीन या चार बार कही जा चुकी है।

**श्री अमल दत्ता** : राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि वे इतना अधिक खर्च कर चुके हैं। इसलिए, इस आधार पर तो केन्द्रीय दल के वहां जाने से पहले ही उन्हें कुछ धन मिल जाना चाहिए ···(**व्यवधान**)।

**अध्यक्ष महोदय** : यह आप चार बार कह चुके हैं। यही उन्होंने कहा है। इतना कहना पर्याप्त है। यह कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा नहीं बनेगा···

(**व्यवधान**)*

**कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव)** : महोदय, हम इस त्रासदी के बारे में बहुत चिन्तित हैं और मैंने स्वयं देखा है कि कितने व्यापक रूप से लोगों का नुकसान हुआ है···(**व्यवधान**)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री अमल दत्ता** : महोदय, आपके इस कथन का क्या प्रमाण है ? (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह सत्र का अन्तिम दिन है। मैंने ही इसे पेश किया। मैं इसे लाया हूं क्योंकि मैं इस विनाश से बड़ा विचलित हो गया था। अन्यथा इसे यहां नहीं लाया जाता।

**श्री पी० एम० सईद** (लक्षद्वीप) : महोदय, उन्होंने अंडमान का दौरा नहीं किया है। उन्हें अंडमान का भी दौरा करना चाहिए था।

**श्री श्याम लाल यादव** : महोदय, प्रधानमन्त्री के निदेश पर मैंने तत्काल उस क्षेत्र का दौरा किया और उसी रात प्रधानमन्त्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को 20 लाख रुपये तत्काल राहत कार्यों के लिए दे दिए। बाद में, हमारी रिपोर्ट पर गौर करने के पश्चात प्रधानमन्त्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को राहत कार्यों के लिए फिर से 30 लाख रुपये दिये।

जहां तक धन की बात है, मैंने और वित्त मन्त्री ने भी वहां की सरकार से कहा था कि वे राहत कार्यों को जारी रखें। हम उनको विस्तृत ज्ञापन पत्र प्राप्त होते ही एक दल नियुक्त करेंगे। माननीय सदस्यों को दी गई मेरी यह सूचना सही है कि यह ज्ञापन 9 दिसम्बर को प्राप्त हुआ था। 14 दिसम्बर को एक दल गठित किया गया था और चूंकि उन्हें अपना दौरा राज्य सरकार से सलाह करके बनाना था, इसलिए यह दल 18 दिसम्बर की सायं को वहां जाएगा। 19 और 20 तारीख को वे उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना का दौरा करेंगे। 21 तारीख को वे राज्य सरकार से चर्चा करेंगे और 21 तारीख सायं को वापस आ जायेंगे तथा उसके तुरन्त बाद वे सिफारिशों को अन्तिम रूप देंगे। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि खर्च की अधिकतम सीमा का अनुमोदन इस माह के अन्त तक कम से कम समय के भीतर कर दिया जायेगा···(व्यवधान)

**श्री वसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : क्या इस माह में ?

**श्री श्याम लाल यादव** : जी हां, इस माह में। जहां तक तत्काल राहत देने की बात है राज्य सरकार के पास धन है। यदि राहत कार्य करने के तरीके और साधनों की कोई परेशानी है तो हम इस पर गौर कर सकते हैं। अन्यथा जैसे कि मैंने वित्त मन्त्री से पूछताछ की है उन्होंने मुझे बताया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अतः वह अपने स्वयं के खाते में से खर्च कर सकते हैं। तत्पश्चात्, हम उन मानकों के आधार पर धन देंगे जो ··(व्यवधान)।

**श्री वसुदेव आचार्य** : जो उनके पास था उसे वे पहले ही खर्च कर चुके हैं।

**श्री श्याम लाल यादव** : अर्थात् उनके पास धन है। इसके बारे में कोई कठिनाई नहीं है··· (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय** : यही उन्होंने कहा है कि वे इसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। यही उन्होंने कहा है।

**श्री श्याम लाल यादव** : इसलिए, वे धन खर्च कर सकते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जहां तक उनकी स्थिति की बात है वह ठीक है और वे पैसा खर्च कर सकते हैं। उनके पास पैसे की कोई समस्या नहीं है।

महोदय, दूसरी बात उस सहायता के मानकों के बारे में है जो कि मकान बनाने, पशुओं, बहुत

[श्री श्याम लाल यादव]

छोटे और छोटे किसानों के लिए उपलब्ध की जाती है। इन मानकों में हाल ही में वर्ष 1986 में संशोधन किया गया था···(व्यवधान)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या आप समझते हैं कि 500 रुपये काफी हैं?

**6.00 म० प०**

**श्री श्याम लाल यादव** : नहीं, काफी नहीं हैं। यह मानक निर्धारित हैं। पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों, विशेष इकाईयों के लिए पुन: स्थान देने और निर्माण के लिए 1000 रुपये और केवल मकान निर्माण के लिए 500 रुपये और मरम्मत के लिए तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 200 रुपये रखे गए हैं। यह सहायता दी जाती है। अन्यथा अन्य प्रयोजनों के लिए, बकरी और अन्य चीजों के लिए, गाद निकालने के लिए, पशुओं के लिए छोटे और सीमांत किसानों, हथकरघा बुनकरों के सभी वर्गों को सहायता देने के लिए वर्गीकृत किया जाता है और उनके मानक निर्धारित किये जाते हैं। परन्तु इस समय यह मानक है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार मानकों में परिवर्तन किया जाता है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या कुछ और किया जा सकता है।

अब, दल के जाने पर, दल के सदस्यों की राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा होगी और वे उन लोगों को सहायता देने का कोई तरीका ढूंढ़ने की कोशिश करेंगे, जिनका नुकसान हुआ है। जहां तक खाद्यान का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल सरकार को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध किया गया है और उनकी जरूरत को आगे भी पूरा किया जायेगा। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं।

महोदय, जहां तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात है हमें उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमें सूचना मिली है कि वहां क्षति थोड़ी ही हुई है ज्यादा नहीं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मामले में अधिक कुछ भी नहीं किया जाना है। इस कार्य का राज्य प्रशासन ध्यान रखेगा। और यदि वे कोई मांग या ज्ञापन भेजते हैं तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे।

जहां तक औषधियों का सम्बन्ध है, सरकार के पास पर्याप्त दवाएं हैं और हमने यह आश्वासन भी दिया है कि जिन दवाओं की आवश्यकता है, हम उन्हें तुरन्त उपलब्ध कराएंगे।

**श्री बसुदेव आचार्य** : पॉलीथीन का क्या हुआ?

**श्री श्याम लाल यादव** : जी हां, हमने वह उपलब्ध कराई हैं और वह उसे उठा रहे हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : क्या यह पर्याप्त होगी···?

**श्री श्याम लाल यादव** : वह उपलब्ध कराएंगे। हमने उन्हें अधिक से अधिक उठाने को कहा है, किन्तु पॉलीथीन के बारे में उनके सख्त नियम और प्रतिबन्ध हैं। जब तक वह इसकी जांच नहीं कर लेते वह एक इन्च पॉलीथीन नहीं उठाएंगे किन्तु वह एक सीमा है। अन्यथा जो भी सम्भव है वह मैं करूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : लोगों के लिए जो भी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, मेरा विचार है वह उठाए जाएंगे।

**श्री श्याम लाल यादव** : ठीक है, जो भी जरूरत है हम उसे पूरा करेंगे। महोदय, मैं आपको

इसका आश्वासन देता हूं। मैं माननीय सदस्यों को फिर से यह आश्वासन दे सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस ओर पूरा ध्यान दे रही है और जिस किसी सहायता की जरूरत है, हम वह उपलब्ध कराएंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : यही बात मैंने कही है। क्योंकि वह मुसीबत में हैं उन्हें राहत की जरूरत है। क्योंकि जो कुछ भी किया जाना है, जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि मैंने पंजाब में भी तथा अन्य स्थानों पर भी देखा है। इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही की जानी चाहिए और मेरे विचार से चूंकि मंत्री महोदय ने इसका ध्यान रखा है इसलिए वह ध्यान रखेंगे और उनकी अनुकम्पा बनी रहेगी तथा वह जो भी कर सकते हैं करेंगे।

———

**संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक सत्र रहा है, विशेषरूप से चुनाव सुधार अधिनियम के कारण। महोदय, आपके मार्गनिदेश में यह सत्र बहुत अच्छा गुजरा है और हम इस बारे में बहुत खुश हैं। उपाध्यक्ष महोदय भी आपके योग्य नेतृत्व में काफी मेहनत करते रहे हैं। दोनों ही पक्षों के सदस्यों ने इस सत्र में काफी रुचि ली और विभिन्न विषयों पर बोले और मैं दोनों ही पक्षों के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। विपक्ष के नेताओं ने समय-समय पर मुझे जो सहयोग दिया है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूं।

महोदय, मैं लोक सभा सचिवालय और उसके महासचिव का भी आभारी हूं। इस सदन में भी समय-समय पर उनकी ठीक ही प्रशंसा की गई है और हम उनसे बहुत प्रसन्न हैं। महोदय, संसदीय कार्य विभाग पर भी इन दिनों काफी बोझ पड़ता है, और मेरे विचार से उनकी कड़ी मेहनत के लिए उनका भी विशेष उल्लेख होना चाहिए। मैं अधिकारियों और कर्मचारियों की बात कर रहा हूं अपनी नहीं। मैं हमेशा ही मार्शल का धन्यवाद करने के लिए तत्पर रहा हूं। कम से कम मैं अपने बारे में तो यह कह सकता हूं कि वह नियमों के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं।

महोदय, यदि मैं अपनी सहयोगी श्रीमती शीला दीक्षित का धन्यवाद नहीं करता तो मेरा कर्त्तव्य अधूरा रह जाएगा। मैं वाच एण्ड वार्ड सहित सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं जो अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते रहे हैं।

अन्त में मैं समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूं जो सत्र की कार्यवाही को अपने अखबारों में छापते रहे हैं। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर)** : हम अपना ही धन्यवाद कर रहे हैं और अपने आपको ही बधाई दे रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्यों नहीं ? आपने अपना काम किया है।

माननीय सदस्यों, चूंकि आठवीं लोक सभा का 12वां सत्र आज समाप्त हुआ है, इसलिए, मैं अपनी ओर से तथा अपने सहयोगियों—उपाध्यक्ष तथा सभापति के पैनल के सदस्यों की ओर से सदन

की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए सदन के सभी वर्गों का धन्यवाद करना अपना कर्तव्य समझता हूं।

इस छोटे से सत्र में 24 बैठकें हुईं जो लगभग 154 घण्टे तक चली।

संसदीय प्रजातन्त्र के इतिहास में यह सत्र एक ऐतिहासिक सत्र माना जाएगा। इस सत्र में 18 और 21 वर्ष के बीच की आयु के लगभग 5 करोड़ युवकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। इस सदन ने कल संविधान (बासठवां संशोधन) विधेयक, 1988—इकसठवां संविधान संशोधन—जो युवाओं को मतदान अधिकार प्रदान करता है—पारित करने में अभूतपूर्व एकता प्रदर्शित की। इसके अलावा, इस सदन ने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1988 पास करके चुनाव प्रणाली में कुछ आवश्यक सुधारों पर अपनी अनुमति की मुहर लगा दी।

कुल मिलाकर इस सदन ने इस सत्र में 15 सरकारी विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित किया। उपरोक्त दो विधेयकों के अतिरिक्त जिन विधेयकों पर विचार किया गया और पारित किया गया वह इस प्रकार है : संविधान (साठवां संशोधन) विधेयक; भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक; वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक और स्वापक औषध तथा मनोप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक।

इस सभा के पटल पर कुल मिलाकर 128 तारांकित प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा हमने सात ध्यानाकर्षण प्रस्तावों तथा दो आधे घण्टे की चर्चाओं पर विचार किया।

इस सभा ने इंडियन एयरलाइंस के विमानों की हाल ही में हुई दुर्घटनाओं से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर एक स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया।

किसानों और कृषि मजदूरों की मांगों; बोफोर्स तोप सौदे; आवश्यक वस्तुओं की कीमतों; सियोल ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का निराशाजनक प्रदर्शन तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आए तूफान से हुई हानि के बारे में नियम 193 के अंतर्गत पांच अल्पावधि चर्चाएं हुईं। सवाल यह है कि हालांकि हमने इस पर पूरी चर्चा नहीं की किन्तु इसका प्रभाव यह रहा कि हमने समस्या पर विचार किया। प्रत्येक सदस्य ने इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया होता। किन्तु सवाल यह है कि जब हम यह महसूस करते हैं कि कुछ बुरी घटना घटी है तो यह प्रत्येक के हृदय को प्रभावित करती है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीरहाट) : आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ढाई घण्टे तक चला।

**अध्यक्ष महोदय** : हम इससे आधे समय में कर सकते थे, किन्तु इसके बावजूद स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इसे पूरा महत्व दिया गया है और मेरे विचार से प्रभारी मंत्री जी ने भी कहा है कि वह इसका ध्यान रखेंगे। हर ओर जहां भी यह विपदा है हमें मानवता के नाते उनका दुख बांटना चाहिए और जितना भी सम्भव हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। मेरे विचार से सरकार भरसक प्रयत्न करेगी।

सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत 180 मामले उठाए।

पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को जारी रखने तथा मिजोरम में राष्ट्रपति शासन लगाने सम्बन्धी सांविधिक संकल्पों पर इस सदन द्वारा विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया।

जहां तक वित्तीय कार्य का सम्बन्ध है तमिलनाडु तथा पंजाब राज्यों की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की पूरक मांगों (सामान्य) पर विचार किया गया तथा उन्हें स्वीकृत किया गया।

हमने अपने समय के महान लोक सभा अध्यक्ष श्री जी० वी० मावलंकर की जन्म शताब्दी कई कार्यक्रम आयोजित करके बड़े शानदार ढंग से मनाई।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसके सदस्य राष्ट्रों जिसमें हमारा देश भी शामिल है, ने 10 दिसम्बर, 1988 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 40वीं वर्षगांठ मनाई। सदन में 7 दिसम्बर को इस विषय के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया।

इस सत्र के दौरान मुझे श्री लाल डहोमा संसद सदस्य के विरुद्ध श्री राम प्यारे पनिका द्वारा दर्ज की गई याचिका के बारे में विशेषाधिकार समिति की एक रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था। सम्बन्धित रिकार्ड और समिति के निष्कर्षों की ध्यानाकर्षण जांच करने पर मुझे दुख के साथ यह घोषणा करनी पड़ी कि श्री लाल डहोमा सदन का सदस्य बने रहने के अयोग्य हो गये हैं। तदनुसार दिनांक 24 नवम्बर, 1988 से श्री लाल डहोमा की सदस्यता समाप्त हो गई।

हमारी संसद में संविधान के बावनवें संशोधन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण संसद की सदस्यता खोने का यह पहला मामला है।

मुझे व्यक्तिगत तौर पर प्यार और स्नेह देने के लिए और हीरक जयन्ती वर्ष पर सचिवालय के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मुझे एक बार फिर सभी सदस्यों को धन्यवाद देना है। इससे मुझे अपने उन कर्तव्यों का पालन करने में बहुत सहायता मिली है जिनका दायित्व आपने मेरे ऊपर सौंपा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं।

मुझे यह भी कहना है कि मेरे दायित्व के अधिकतर भा को योग्य उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वहन किया गया। उन्होंने जो भार वहन किया मैं उसके लिए उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मुझे बैठने, बातचीत करने और अन्य कार्य करने दिया। मैं सभापति तालिका के सभी बहादुर सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। प्रश्न यहां बैठकर देखने और बातचीत करने का है। मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि उपाध्यक्ष महोदय सदन में 7½ घन्टे तक बैठते रहे हैं। यह एक रिकार्ड की बात है। हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। मुझे अपने सभापति श्री सोमनाथ रथ और यहां उपस्थित अन्य सभी लोगों की भी प्रशंसा करनी चाहिए।

**श्री वसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : शीला दीक्षित जी की भी प्रशंसा करनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, बहनजी अपनी सम्मोहक मुस्कान से यहां उपस्थित हम सभी लोगों को प्रसन्न और सभी बातों से अवगत कराती रहती है। वे जब भी पर्दे से झांककर यह पूछती है कि "क्या मैं अंदर आ सकती हूं, "तो मैं कहता हूं कि बहनजी, आप पहले ही अंदर आ चुकी हैं, आपका सदैव स्वागत है।" और वे जीवन में एक नई ताजगी और बहार लाती है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हमने कभी इसका आनन्द नहीं उठाया।

**अध्यक्ष महोदय** : तब तो आपका स्वागत है। आपने इतने समय तक कैसे इसे खो दिया।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मुझे कभी अवसर ही नहीं मिला।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपने आज ध्यान नहीं दिया ? यही बात तो है। चीफ व्हीप और संसदीय कार्य मंत्री के बारे में भी यही बात है।

**श्री वसुदेव आचार्य** : युवा।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, वे युवा है। उनकी मुस्कान स्पष्ट है।

**श्री डी० पी० यादव** (मुंगेर) : वे दयालु हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या ऐसी बात है ? फिर मैं इस बात की भी प्रशंसा करता हूं। मैं दोनों पक्षों के उनके सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इस पक्ष से हैं अथवा उस पक्ष से हैं। मैं आप सब लोगों का सम्मान करता हूं। मैं लोक सभा के सभी सदस्यों का सम्मान करता हूं। यह एक परिवार है। यहां चर्चा का प्रश्न राजनैतिक हो अथवा सैद्धान्तिक परन्तु मैं समझता हू कि सदन के बाहर हमें अपने श्रेष्ठ सम्बन्धों पर गर्व है और यही संसदीय लोकतन्त्र का आधार है। हमारी लड़ाई सैद्धान्तिक है व्यक्तिगत नहीं। यह प्रश्न उन विचारों का है जिनमें एक दूसरे पर आक्षेप लगाये जाते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप नहीं लागाया जाता। मैं समझता हूं कि हमें इस परम्परा को कायम रखने का प्रयास करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी परम्पराएं बनाई हैं और मैं समझता हूं कि भविष्य में भी आप ऐसी ही परम्पराएं बनाएंगे। हम सम्पूर्ण विश्व में आप सब के कारण ही अपना सिर ऊंचा रखते हैं क्योंकि आप लोग 80 करोड़ लोगों के इस महान लोकतांत्रिक राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। जब भी मैं बाहर जाता हूं तो आपका प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है।

**श्री वसुदेव आचार्य** : प्रो० मधु दंडवते की अनुपस्थिति में हम एकाकी अनुभव कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, मैं भी एकाकी अनुभव कर रहा हूं। मुझे लोकसभा सचिवालय की रक्षा तथा प्रहरी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहिए। वे भली प्रकार अपना योगदान देते रहे हैं। वे बहुत बुद्धिमान हैं। मैं इस कार्य में सम्मिलित सभी एजेन्सियों को भी धन्यवाद देता हूं। मार्शल आप पूरी तरह सक्षम है। वह कभी भी किसी मुद्दे को नहीं छोड़ते हैं और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं।

**श्री सी० माधव रेड्डी** (आदिलाबाद) : हमने कभी भी उनसे मार्शल की तरह व्यवहार नहीं किया।

**अध्यक्ष महोदय** : वे कामरेड मार्शल हैं। बस यही बात है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि अनुवादकों, भाषान्तरकारों और अन्य सभी व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है। प्रेस गैलरी में ऊपर बैठे व्यक्तियों का रवैया भी बहुत उदार रहा है और उनके अच्छे सहयोग के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मैं आपके लिए मंगलमय नव वर्ष की कामना करता हूं क्योंकि अब हम नव वर्ष में ही मिलेंगे।

**एक माननीय सदस्य** : पहले क्यों नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय** : इससे पहले भी मिल सकते हैं। जब भी आप यहां उपस्थित होते हैं तो मुझे खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि यह समारोह जारी रहे। मैं इससे कभी भी नहीं उकताता।

**श्री शान्ताराम नायक** (पणजी) : प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्रिसमस मंगलमय हो।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्रिसमस, नव वर्ष और नई ऋतु मंगलमय हों।

**श्री संकुहीन चौधरी** (कटवा) : महोदय, हम चाहते हैं कि ये दिन बार-बार आएं।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, चौधरी साहब निश्चित रूप से वापसी मंगलमय हो। मैं समझता हूं कि आप सदैव उत्साह से वापस आते हैं। मैंने पिछली बार यह ध्यान दिया था कि आप अपेक्षाकृत दुबले थे। परन्तु इस समय आप हृष्ट-पुष्ट होकर आये हैं और मैं आपके सौभाग्य की कामना करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।

सभा अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

6.15 म० प०

**तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।**

---

सनलाइट प्रिन्टरस, 2265, डा सैन मार्ग, दिल्ली-6

पी०एल०एस०-48/45/22/88 (एन०)
185

© 1988 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।